

ISSN No 2347-7075
Impact Factor- 7.328
Volume-3 Issue-10

INTERNATIONAL JOURNAL of ADVANCE and APPLIED RESEARCH



Publisher: P. R. Talekar
Secretary,
Young Researcher Association
Kolhapur(M.S), India

Young Researcher Association



International journal of advance and applied research (IJAAR)

A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal

Volume-3

Issue-10

Chief Editor

P. R. Talekar

Secretary,

Young Researcher Association, Kolhapur(M.S), India

Editorial & Advisory Board

Dr. S. D. Shinde

Dr. M. B. Potdar

Dr. P. K. Pandey

Dr. L. R. Rathod

Mr. V. P. Dhulap

Dr. A. G. Koppad

Dr. S. B. Abhang

Dr. S. P. Mali

Dr. G. B. Kalyanshetti

Dr. M. H. Lohgaonkar

Dr. R. D. Bodare

Dr. D. T. Bornare

Published by: Young Researcher Association, Kolhapur, Maharashtra, India

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors



CONTENTS

Sr No	Paper Title	Page No.
1	भारतीय 'स्त्री' उन्नति विकास परिवर्तनातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान. प्रा. गांगुरडे रामदास भिमा	1-6
2	बच्चों के व्यवितत्त विकास में समाज की भूमिका अळ्णु कुमारी	7-9
3	वर्तमान की आवश्यकता जलवायु स्मार्ट कृषि कु. आकृति खरे डॉ. एस.बी. विश्वकर्मा	10-13
4	महिलांचे विविध क्षेत्रातील योगदान एक अध्ययन प्रा. डॉ. लीना श. गावंडे, प्राध्यापक उज्ज्वला गुलहाने	14-16
5	भारतीय सिनेमा की विकास यात्रा मुकेश उपाध्याय	17-20
6	किशोरों एवं किशोरियों के सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका ज्योति कुमारी	21-26
7	बालकों के सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका सुलोचना कुमारी	27- 32
8	तैशिवक अर्थव्यवस्था में कामकाजी महिलाओं का योगदान प्रियंका सामर	33-36
9	लोकसाहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन प्रा. वैशाली गिरधर पाटील	37-40
10	समांतर अर्थव्यवस्था निर्मितीची कारणे व परिणाम प्रा. डॉ. देवराव नामदेव सोनकांबळे	41-46
11	भारत में खाद्य सुरक्षा: एक अध्ययन रघुबर प्रसाद सिंह, साध्वी सिंह	47-50
12	सोलापूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय विहिरीद्वारे होणाऱ्या जलसिंचित क्षेत्राचा भौगोलिक अभ्यास (सन 2010-11) डॉ. लोढे सी.बी.	51-55



भारतीय 'स्त्री' उन्नती विकास परिवर्तनातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान

प्रा.गांगुडे रामदास भिमा.

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख (एम.ए,बि.एड,सेट,पेट,पी.एच.डीappr)

सुपे कला,विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय सुपे, ता.बारामती,जिल्हा पुणे.

Corresponding Author- प्रा.गांगुडे रामदास भिमा.

ईमेल abhiramdip@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7519278

प्रस्तावना:

भारतीय समाज हा एक कृषी प्रधान आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेचा देश व समाज आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या निम्म्याहून अधिक असणाऱ्या लोकसंख्येत महिला आणि वंचित बहुजन मागासलेल्या समाज वर्ग लोक संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. येथील जुनाट पारंपारिक, मनुवादी,सनातनी व्यवस्थेमुळे आणि चालीरीती प्रथा यांच्या नावाखाली सती प्रथा, बालविवाह, बहुपत्रीत्व आणि पुरुष श्रेष्ठत्व या संकुचित विचार दृष्टिकोन आणि येथील मुठभर समाज घटकातील जुनाट, संकुचित विचाराच्या काही समाज वर्ग,गट लोकांनी कुटुंब, सामाजिक, राजकीय,आर्थिक, कौटुंबिक,सार्वजनिक मानसन्मान अशा सर्व क्षेत्रापासून भारतातील बहुतांशी महिलांना त्यांच्या अधिकार, स्वातंत्र्य ,सामाजिक कौटुंबिक अधिकार स्वातंत्र्य सन्मानापासून वंचित ठेवलेले आहे स्त्री म्हणजे मूल आणि चूल अशा मर्यादित चौकटीत बांधून ठेवले. महिलांच्या शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अधिकाराची शोषण येथील पुरुषप्रधान संस्कृतीने स्वार्थापोटी मोठ्या प्रमाणात केले आहे. स्वतंत्र पूर्व काळापासून ते आधुनिक काळात भारतातील महिला /स्त्री उन्नती विकास सुधारणा आणि सुरक्षिततेसाठी अनेक भारतीय समाज सुधारक, महापुरुषांनी अर्थात राजाराम मोहन राय,महर्षी धोंडो केशव कर्वे, न्यायमूर्ती रानडे,गोखले,ठक्कर बाप्पा, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अशा अनेक समाज सुधारकांनी स्त्री व्यवस्थेच्या व तीच्या अनिष्ट चालीरीतीच्या विरुद्ध क्रांती चळवळी केल्या मात्र त्यामधून ठोस असे परिणाम व उपाय योजना भारतीय पुरुष समाज घटकांनी निर्माण होऊ दिल्या नाही. उलट अडथळे निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आधुनिक काळातील, मानवतेचा पुरस्कार करणारे भारतीय अखिल स्त्री उन्नती परिवर्तन सुधारणा शास्त्रीय व बुद्धीवादी आणि वास्तव दूरदृष्टी अभ्यासू दृष्टिकोनातून महामानव ज्यांनी बुद्ध धम्माच्या तथागताच्या उपदेशाचा ख्रियांच्या उन्नती विकासाच्या स्थान,मानसन्मान,आदर्श उपदेश, जीवनपद्धती, मानव आणि भारतीय ख्रिया जीवनाला क्रांती प्रेरणा अशा बौद्ध संस्कृतीच्या आचारनाचा उपदेश देणारे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरयांनी भारती महिलांच्या सर्वांगीण प्रगती विषयी त्यांच्या न्याय हळ्के आणि स्त्री मुक्ती या दृष्टिकोनातून भारताच्या प्रसार माध्यमे, संसद ,सार्वजनिक सामाजिक स्थानी बोलताना ठासून बोलत असे .ख्रियांची प्रगती ज्या प्रमाणात झाली असेल त्यावरून मी एखाद्या समाजाची प्रगती बरोबर त्या राष्ट्राची प्रगती मोजत असतो. भारतातील महिला गुलामगिरी, दारिद्र्य विरुद्ध सामाजिक क्रांती व त्यांच्या न्याय हळ्के स्वातंत्र्य मान सन्मान मिळवून देण्या साठी हिंदू कोड बिल आणून ते भारतीय संसदेमध्ये मांडले त्या विरोधात येथील व्यवस्था गेल्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांच्या मान सन्मान अधिकार स्वातंत्र्याला विरोध केलेल्या संसदेचा पहिलाच कायदा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे भारतातील आम महिला उन्नती, विकास, परिवर्तन, सुधारणातील महत्त्वपूर्ण योगदान " न भूतो न भविष्यती"असा योगदानाचा इतिहास भारतातील कोणतीही महिला-पुरुष, समाज नाकारू शकत नाही.

उद्दिष्टे:

- १) भारतीय स्त्री दारिद्र्य, अवनीती, सामाजिक, राजकीय जीवनातील दुर्योग स्थाननन्हा अभ्यास करणे.
- २) भारतीय स्त्री उन्नती विकास परिवर्तन बदलात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची वास्तव, सत्य कृती युक्त योगदान अभ्यासणे.
- ३) भारतीय महिलाना पुरुषावरोबरचे स्वातंत्र्य हक्क, मान सन्मान सार्वजनिक स्थान मिळवून देण्यात साठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानिक, कायदात्मक दिलेला लढा, संघर्ष भूमिकांचा अभ्यास करणे.

गृहीतके:

- १) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय महिलांना/स्त्रीला संविधानिक व कायदात्मक अधिकार प्राप्त करून देताच भारतीय समाजातील महिलांचे स्थान, हक्क, स्वातंत्र्य, मान सन्मान मोळ्या प्रमाणात जागृती झाली.
- २) भारतीय समाज/लोकांमध्ये आधुनिक काळात महिलांची/मुलींची शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, औद्योगिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय सर्वच क्षेत्रात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महिला संघर्ष उदय उन्नती विकास संघर्ष लढायला यश प्राप्त होऊन महिलांवरील होणारी अन्याय अत्याचार विरोधात जाचक कायदे त्याचवरोबर महिला सबलीकरण सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित झाले आहे.

अभ्यास पद्धती:

सदर विषयाचा अभ्यास करण्यास कामे सर्वेक्षण संशोधन अभ्यास पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे.

भारतातीय समाज व्यवस्थेतील स्त्री संस्कृती इतिहास:

भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थेतील स्त्रियांचा इतिहास अभ्यासता स्त्रियांना कायमच दुर्योग स्थान देण्यात आलेले आहे. स्त्रियांना दासी, गुलाम, चूल आणि मूल अशा प्रकारची हीन वागणूक दिल्याचे आढळते. विशिष्ट स्त्रियांना धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, या ठिकाणी संकुचित भावनेतून आदराचे स्थान देण्यात आल्याचे आढळते. परंतु बहुतांशी भारतीय समाज व्यवस्थेतील महिलांना विशेष मर्यादिच्या पलीकडे जाऊ दिले नाही. हा भारतीय व्यवस्थेतील स्त्रियांचा वास्तव इतिहास आपल्या सर्वांना माहीत आहे. भारतीय महिलांची अवस्था

केविलवाणी आणि दैनिय होती. शिक्षणापासून मुळातच त्यांना वंचित ठेवले जात होते. अशा प्रकारची अवस्था होती. लहानपणीच मुला, मुलींची लग्न लावून देण्याची कुप्रथा, देवी देवांना लहान मुली वाहने, सोडून देणे. देवाला मुरली म्हणून सोडणे. स्त्रियांना पुरुषावरोबरचे शिक्षण न देणे सार्वजनिक ठिकाणी बसून देणे वास्तव्य न करून देणे नोकरी न करून देणे. पुनर्विवाह न करणे. नवस उपास तपास महिलांनीच करणे बंधनकारक केले होते. महिलांच्या नैसर्गिक विधी काळी तिचा द्रेष, मत्सर, कौटुंबिक व सामाजिक ठिकाणी करणे. असा एकूणच भारतीय महिला /स्त्रियांचा सामाजिक इतिहास अभ्यासता एक भयावक आणि आधुनिक काळाला पटणार नाही. मानवतावाद उदारमतवाद, लोकशाही, विज्ञान शास्त्रीय दृष्टिकोनाला मुळीच मान्य नसणाऱ्या दृष्ट व वाईट प्रथांनी महिलांचा सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास आढळतो तो वास्तव असल्याची ही पुरावे ऐतिहासिक अभ्यासत आहेत.

भारताच्या या महिला सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थेला येथील समाज, राज्यकर्ते हीच जबाबदार असल्याचे निष्पत्र होते. अशा व्यवस्थित च्या विरुद्ध आणि महिला उन्नती विकास मुक्तीच्या उदार दृष्टिकोन विचार भावनेतून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिला क्रांतीची ज्योत पेटवून क्रांतिकारक असे बदल करण्याची आणि भारतीय स्त्री महिलांना त्यांच्या गुलामगिरी, दारिद्र्य, दासी चूल नि मुल यापासून तसेच सामाजिक बंधने झुगारून त्यांचा मान सन्मान आदर हक्क स्वतंत्र्यासाठी नव्याने आंदोलने, चळवळी, क्रांतीस एक भक्तम असा आधार निर्माण करून प्रभावी भूमिका, योगदान दिले. यातूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची महिला उन्नती, विकास आणि प्रगती परिवर्तन बदलाविषयीचा दृष्टिकोन हा मानवतावादी, आधुनिक, विज्ञानवादी तत्त्वनिष्ठ आणि वास्तव असाच होता.

भारतीय स्त्री मुक्ती उन्नती विकास सुधारणातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा तत्त्वनिष्ठ, दूरदृष्टी दृष्टिकोन स्त्री मुक्ती लढ्याचा भक्तम आधार बनला.

१.भारतीय समाज व्यवस्था, जाती व्यवस्था,आणि स्त्री व्यवस्था दृष्टिकोनातून:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मानवतावादी उदारमतवादी समतावादी दृष्टिकोनातून भारतीय महिलांच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमीच सार्वजनिक, संसद ,संसदेत आणि लेखनातून,भाषणातून ख्रियांची प्रगती त्या प्रमाणात होते. त्याच प्रमाणात एखाद्या समाजाची प्रगती मोजता येते. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1942 रोजी नागपूर येथील ऑल इंडिया डिस्प्रेड क्लासेस वुमन्स कॉन्फर्म्स वेळी अखिल भारतीय महिलांना उद्देशून महिलांच्या सर्वांगीण प्रगती, विकास दृष्टिकोनाचा सहजतेने ओळख करून दिली. भारतीय पुरुष प्रधान आणि सामाजिक पारंपारिक अंदाज, अंधशब्दा, रुढी ,परंपरांनी जखडलेल्या या भारतीय महिलांना स्त्रीला देवता म्हणून तिची पूजा करायची तर दुसरीकडे तिला वस्तू म्हणून दुय्यम स्थान दासी लेखायचे वर वरची सहानुभूती महिलांच्या संदर्भात व्यक्त करून मात्र स्त्री एक माणूस आहे. तिची स्त्री म्हणून होणारी पिलवणूक नष्ट केली पाहिजे.स्त्रीला स्वतंत्रपणे जगता आले पाहिजे. तिचे हक्क शोषण, अन्याय, अस्पृश्यता आणि वर्णव्यवस्था या सर्व गोष्टीचा अंत होणे. आवश्यक आहे. भारतीय ख्रियांना पुरुषा बरोबरीने समान वागणूक,समान हक्क समतेचा अधिकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बहाल करण्यासाठी महिलांचे नीती धैर्य, आत्मविश्वास, उत्साह वाढवण्यासाठी बळ दिले आहेत. हे आजच्या भारतीय महिलांनी विसरता कामा नये.

२. भारतीय स्त्री मुक्तीचा मूळ आधार बुद्ध धम्म, वैधानिक,मानवतावादी दृष्टिकोन:

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे स्त्री मुक्तीचे स्त्री परिवर्तन सुधारणा वादाची खंडे समर्थक होते त्यांनी तथागत गौतम बुद्धाच्या धम्मा मधील स्त्री मुक्तीचा मूल्य आधार आणि विज्ञानवादी वास्तव मानवतावादी दृष्टिकोनातून भारतीय समाजातील अखंड वंधनामध्ये अडकलेली भारतीय महिला स्त्री या चौकटी मधून बाहेर मुक्तपणे करण्यासाठी महिलांना त्यांच्या उन्नती आणि सर्वांगीण विकासासाठी सर्वात प्रथम त्यांच्यातील अंधशब्दा अविश्वास, पारंपारिक दृष्ट चालीरीती, रुढी, परंपरेतून बाहेर काढण्यासाठी शिक्षण या साधनाचा उपयोग करून सर्व महिलांना पुरुषाबरोबरच

शिक्षण आणि त्या शिक्षणातून भारतीय स्त्री साक्षरता, ज्ञानार्जन असा मूलमंत्र दिला. संपूर्ण स्त्री मुक्ती संघटन निर्माण करण्याचा अभूतपूर्व दृष्टिकोन आज यशस्वी झाल्याचा पुरावा म्हणजे आजची मुक्त,स्वतंत्र मान-सन्मान प्राप्तीयुक्त बदललेली सुधारलेली स्त्री / महिला होय.

३. भारती महिला न्याय, हक्क, स्वतंत्र्य, संघर्ष लढ्याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधानिक व कायदेत्सक दृष्टिकोन प्रत्यक्ष कृती मार्ग:

भारतातील आम स्त्री यांना पुरुषांच्या बरोबरीने समान हक्क मिळावीत वागणूक मिळावी जोपर्यंत ख्रिया आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र होत नाही तोपर्यंत त्यांना कुटुंबात समाजात मानसन्मान प्रतिष्ठा मिळणार नाही त्याचबरोबर महिलांना शिक्षण शिक्षणाच्याअधिकार प्राप्त झाल्याशिवाय महिलांची उन्नती विकास होणार नाही म्हणून येथील जातीव्यवस्था आणि ख्रियांचे दुय्यम स्थान यातील अंतर संबंध प्रभावीपणे कायदा आत्मक आणि संविधानात्मक दृष्टिकोन आणि मांडला आहे. महिलांना त्यांच्यावर होणारी अन्याय अत्याचार छेळ या विरोधात आत्मनिर्भर आणि संघर्षात्मक भूमिका घेण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायद्याचा आधार उभा केला स्त्री मुक्तीच्या संदर्भात आदर्श संहिताचा जाहीरनामा मांडत राहिले. स्त्री- पुरुषांच्या भेदाची दरी नसावी यातील अंतर कमी करण्याची भूमिका प्रभावीपणे कायद्याद्वारे मांडली. येथील जाती व्यवस्थेतील जटिल रुढी परंपरातील स्त्री गुलामी दारिद्र्य आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीतून समाज व्यवस्थेच्या विषमताचा कमी करून गुलामगिरीचे अंत अशा मानवतावादी दृष्टिकोन कायदात्मक दृष्टिकोन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्भर्डि आणि स्वच्छ भूमिकेतून मांडला. त्याशिवाय त्याला प्रत्यक्ष वाचा फोडली. हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे.डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील केवळ दलित महिलांना नवे तर भारतातील आम समाजातील महिलांना स्वतःचा मान सन्मान आणि स्वाभिमान माणुसकी प्राप्त करून दिली. त्यासाठी हिंदू कोड बिल भारतीय संसदेत कायदामंत्री म्हणून मांडले त्यामध्ये कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशातील ख्रियांच्या प्रगतीवर अवलंबून असते.म्हणून भारतीय स्त्री ही प्रगत असावी अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 11 एप्रिल 1946 रोजी संविधान सभेमध्ये

घेतली. 26 सप्टेंबर 1951 पर्यंत त्यावर विचार मंथन झाली मात्र हिंदू कोड विल भारतातील संसदेमध्ये जे आम्ही उदार दृष्टिकोन आणि महिला सन्मानाची सार्वत्रिक ठिकाणी मोठमोठी भाषण आश्वासन देणारी आमचे राजकीय नेत्यांनी हिंदू कोड विलाला नकार दिला. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पहिल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला हेच हिंदू कोड विल पुढे स्थियांसाठी एक सुरक्षा कवच तयार झाले. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या संविधानिक आणि कायदात्मक दृष्टिकोन आणि भारतीय महिलांच्या संघर्षाला अन्यायाला गुलामीला दारिद्र्याला वाचा फोडून एक महान क्रांतीचा संदेश देऊन भारतातील -उन्नती विकासासाठी सर्व प्रयत्न करून भारतीय महिला सुरक्षितेसाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी महत्वपूर्ण अशी योगदान दिले. हे भारतातील सर्व जाती धर्मातील महिलांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. केवळ आपली नोकरी, आपला पती आपले मुले- बाले किंवा कुटुंब नव्हे तर ज्यांनी आपल्याला स्त्री म्हणून सर्व अधिकार मान सन्मान प्राप्त करून दिला त्या महामानवाचा ऋण आपण ठेवले पाहिजे. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. स्त्री मुक्तिसाठी स्थियांच्या न्याय हक्कासाठी त्यांच्या सार्वजनिक सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानिक आणि कायदात्मक कृतीयुक्त संघर्ष आणि त्या संघर्षाचा इतिहास आजही जिवंत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय महिलां प्रबोधन:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्त्री सक्षम, सबलीकरणात देशातील सर्व स्थियांना समान अधिकार प्राप्त होतील. तसेच विशेष वर्ग किंवा विशेष जातीच्या स्थियांना त्याचा लाभ होईल. याची कोणत्याही प्रकारची चिंता नव्हती. तर सर्व जाती आणि वर्गाच्या स्थियांच्या अधिकाराची संरक्षण करायचे होते. देशाच्या विकासासाठी देशाच्या सर्व वर्गातील लोकांना त्याच बरोबर स्थियांना समानतेचा अधिकार प्राप्त करून दिला. त्यासाठी वारंवार सभा, लिखाण, प्रसार माध्यमे, संसदेत लढा देऊन सन्माननीय न्याय प्राप्त करून दिला.

नागपूर येथे १९४२ स अखिल भारतीय दलित महिला परिषदेस उपस्थित 25 हजाराहून अधिक महिला स्थियांना संबोधित करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थियांच्या प्रगतीवर शिक्षणावर भर दिला महिलांना स्थावर व जंगम

इस्टेट वारसा हक्क आणि सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर आवाज उठवला. महिला परिषदेत आव्हान देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय समाजात संदेश दिला. भारतीय समाज दारिद्र्य अवस्थेत राहण्याची कारण म्हणजे समाजातील स्थियांना गैण दर्जा होय. मनुस्मृतीने शुद्रा बरोबर भारतीय स्थियांच अवमान केला असे ठासून सांगितले. भारतीय समाजातील पालेमुळे इतकी खोल गेलेली आहे. की येथील लोक कायद्याला सुद्धा जुमानत नाही. आपल्या मुली बायका एकूण स्थियांचे शत्रू त्याचबरोबर समाजाचे शत्रू बनलेली बघितल्या नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुलांच्या आणि मुलींच्या शिक्षणासाठी आग्रह धरला. आपल्या समाजाची प्रगती झपाट्याने होईल यासाठी स्त्री शिक्षणावर सतत भर दिला जावा यासाठी महत्वपूर्ण भूमिका घेतली.

भारतीय अस्पृश्य महिला परिषद नागपूर या ठिकाणी खान कामगार महिला प्रस्तुती भत्ता, कोळसा खाणीत काम करणाऱ्या स्त्री कामगारांना व कष्टकरी स्थियांसाठी 21 दिवसाची किरकोळ रजा, एका महिन्याची हक्काची रजा, दुखापत झाल्यास नुकसान भरपाई, वीस वर्षाची सेवा झाल्यावर निवृत्ती वेतनाची तरतूद, पेन्शन यासारख्या महत्वपूर्ण महिलांसाठी संविधानिक आणि कायदात्मक लढा दिल्याचा इतिहास ताजाच आहे.

स्वतंत्र कायदामंत्री असताना हिंदू संहिता विधेयक अर्थात हिंदू कोड विलाच्या प्रस्ताव लोकसभेत मांडला अस्पृश्यतेचे स्त्री मुक्तिची उच्चाटन लग्नसंबंधातील स्त्री- पुरुष समानता सियांना काढीमोड घेण्याचा अधिकार वारसा हक्क लाभ सामाजिक न्यायाचा लढा यशस्वीपणे लढले आणि अखिल भारतीय महिला मध्ये एक नवे चैतन्य आत्मविश्वास निर्भिंडता आणि विश्वास निर्माण केला. दलित अस्पृश्य समाजातील महिला उद्बोधन भाषण प्रभावी व यशस्वी ठरले महाड येथे दलित पुरुषांच्या बरोबर सत्याग्रह यशस्वी करण्यासाठी दलित स्थिया ही प्रचंड संख्येने आलेल्या होत्या त्यावेळी भाषणात बाबासाहेबांनी तुम्हाला आपला मुलगा शिपाई व्हावा असे बाटते का? तो ऑफिसर व्हावा अशी आकांक्षा तुम्ही का करीत नाहीत? तुम्ही सर्वांनी जुन्या गलिच्छ चालीरीती सोडून दिल्या पाहिजेत गळ्यामध्ये डुप्लिकेट गळसन्या व दागिने घालण्यापेक्षा चांदीची दागिने

सोन्याचे दागिने घाला. मृत जनावराची मास खाऊ नका दारुबाज नवऱ्याला, भावाला अगर मुलांना स्थान देऊ नका. मुलींना शिक्षण या शिक्षण घ्या ज्ञानांजन करा अशा दारिद्र्यात पडलेल्या निरक्षर अशिक्षित स्त्रियांना योग्य ती दिशा देऊन स्त्री कुटुंब सुधारू शकते अनिष्ट प्रथा पद्धतीला झुगारून देण्याचे आव्हान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांना दिली होती. समाजातील अत्यंत दुर्लक्षित महिला लोकांच्या आत्मसन्मानाकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले विचार वेळेवेळी भाषणातून प्रबोधनातून देऊन भारती स्त्री उन्नती विकास सुधारणेला बळ दिली एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करून दिल.

हिंदू कोड बिलरुपी भारतीय स्त्रीयांना/ महिलांना पुरुषाबरोबरचे हळ्क अधिकार मान सन्मान सार्वजनिक स्थान प्राप्ती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचेअभूतपूर्व योगदान:

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील सर्व समाज वर्ग गटातील महिलांच्या होणाऱ्या अन्याय अत्याचार समस्या, दारिद्र्य, गुलामी, मरण येतना पुरुष प्रधान संस्कृतीतून मुक्त करण्यासाठी घटनात्मक तरतूद आणि हिंदू कोड बिल मांडून महत्वपूर्ण महिला सबलीकरण सक्षमीकरण आणि स्वातंत्र्य स्त्रियांना सार्वत्रिक स्थान, समाज आणि अस्पृश्यता यातील अंतर संबंध नष्ट कले. एकूणच महिला मुक्ती उन्नती विकास प्रगती ही राष्ट्राची संपत्ती व विकास असल्याचे हिंदू कोड बिल द्वारे भारतीय समाजा समोर स्पष्टपणे मांडले. हिंदू विवाह कायदा हिंदू वारसा हळ्क कायदा हिंदू अज्ञान पालकत्व कायदा हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा महिला प्रस्तुती सहाय्य पेन्शन सार्वजनिक सुट्ट्या स्त्री शिक्षण, आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनण्यासाठी सक्षम असा कायदा नेम हा हिंदू कोड बिल म्हणून आणले. स्त्रियांनाही त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याचे बळ आत्मविश्वास हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्राप्त करून दिला. समाज रचनेत बदल घडवून घटनात्मक तरतुदी करणारी हिंदू कोड बिल ठरले. स्त्री- पुरुषामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेद किंवा दरी नसावी स्त्री पुरुषांच्या बरोबरीने समानतेची वागणूक मिळावी श्री स्वातंत्र्याचा स्त्री समतेचा पुरस्कार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेहमीच करत आले आहे. ॲगस्ट 1946 रोजी संविधान सभेत हिंदू कोड बिल मांडण्यात

आले. या हिंदू कोड बिलाला भारताच्या महत्वपूर्ण अशी घटना रूप प्राप्त झाली होती. संसदेत पालमेंट मध्ये यापूर्वी इतका महत्वाचा आणि प्रभावी कोणताही कायदा ठरला नाही. इतकी प्रभावी हिंदू कोड बिल ठरल. महिलांना संरक्षणाची ,आत्मबलाचे, उर्जा निर्माण करून देणारे हे हिंदू कोड बिल मोठ्या पराकर्षाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडले. त्यासंदर्भात कठोर आणि प्रभावी कायदा करण्यात यावा मात्र येथील समाजात आणि स्त्री विरुद्ध असणाऱ्या विशिष्ट मूठभर लोकांना ते रुसले नाही. त्याला विरोध करताच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र कायदामंत्री पदाचा राजीनामाही दिला. त्यानंतर 1955 56 मध्ये हिंदू कोड बिल मधील अनेक कायदे स्वीकारले लोकसभेत मंजूरही झाले. या कायद्यातील तरतुदीमुळे भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात मोठ्या प्रमाणात क्रांतिकारक बदल परिवर्तन घडणार सुरुवात झाली स्त्री पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली हिंदू कोड बिलावर संपूर्णपणे मंजूरीने मिळाला आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजीनामा देताना समाजाच्या वर्गातील असमानता स्त्री पुरुष यांच्यातील असमानता त्याचप्रमाणे निगडित कायदे करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची शेणाऱ्या ढिगार्यावर राजमहाल बांधण्यासारखी वाटते. भारतीय नारी केवळ मुले जन्मास घालणारी उत्पादित मशीन नाही किंवा धुनी भांडी करणारी मशीन नाही. तर कुटुंबात उत्तम जन्माला येणाऱ्या अर्भकाच्या/ अपत्यावर संस्कार करून आदर्श समाजाचा पाया रचणारी माता आहे.जननी आहे. ती एक माणूस आहे. महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले यांच्या मते स्त्रियांनी ज्ञान क्षमता निर्माण करणे आवश्यक आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या या योगदानामुळे अन्यायाविरुद्ध रडण्याएवजी महिला लढू लागले आहे शिक्षण घेऊ लागले आहे देशातील स्त्रियांना मुक्ती परिवर्तन बदलाची प्रेरणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या क्रांतीतून प्राप्त होताना दिसत आहे म्हणून मला असे वाटते आपण सर्व भारतीय समाजातील मानव स्त्री-पुरुष आणि विचारशील मानव म्हणून आपण जोपर्यंत स्त्रियाकडे पाहणार नाही. तोपर्यंत स्त्रियांना त्यांच्या स्वतंत्र होण्यास अडथळे निर्माण होत जाणार स्त्रियांच्या स्वतंत्र्यातील,मुक्तीतील उन्नती, विकासातील अडसर आपण

न बनता त्यांच्या उन्नती विकासाला पोषक अशी समाज स्थिती कौटुंबिक स्थिती राजकीय स्थिती निर्माण करून या महान कार्यामध्ये सहभागी व्हावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आधुनिक भारतातील महिलेला उन्नती विकास प्रगतीची द्वारी खुली करून तिचा सार्वजनिक मान सन्मान आदर निर्माण करण्यासाठी मोलाचे योगदान दिलेले आहे.

निष्कर्ष:

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील सर्व जाती धर्म समाज वर्गातील स्त्रियांना/ महिलांना विधायक संविधानात्मक कायदा आत्मक संघर्ष क्रांती लढ्यातून एक स्वतंत्र मुक्त चारित्र्यवान निर्भय निर्भीड सुशिक्षित सुजणे स्वावलंबी नारी निर्मिती करण्याचे सर्व मार्ग खुले केल्यामुळे त्यांच्या उन्नती विकास परिवर्तन बदलाला आज पोषक सामाजिक आर्थिक राजकीय स्थिती स्त्री सबलीकरण सक्षमतीकरण प्रेरणा व उत्तेजन प्राप्त झाले आहे.

संदर्भ ग्रंथ:

- १) डॉक्टर आंबेडकर यांचे स्त्री विषयक लेखन महेंद्र गायकवाड संघर्ष प्रकाशन नागपूर २०१८.
- २) भारतीय इतिहासातील स्त्री आणि कर्तुत्व सुषमा देशपांडे विद्या बुक्स प्रकाशन औरंगाबाद.
- ३) ग्रामीण मातंग श्री रामचंद्र भिसे डायमंड पब्लिकेशन पुणे. २०१६.
- ४) डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर और उनकी समतावादी क्रांती मानव अधिकारो के परीप्रेक्षय २०१९
- ५) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय अधिकारी ता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली.
- ६) भारत में नारी शिक्षा प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली अग्रवाल जे.सी.
- ७) डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांची पत्रकारिता प्रबोधन पोळ गंगाधर पानतावने.
- ८) दलित चलवळीच्या दिशा नारायण कांबळे.
- ९) दैनिक लोकमत, सकाळ, लोकसत्ता, सम्राट वृत्तपत्र प्रकाशित लेख. इको
- १०) रेडिओ, दूरदर्शन माध्यमांशी विविध मान्यवरांच्या मुलाखती.



बच्चों के व्यवितत्त्व विकास में समाज की भूमिका

अन्नु कुमारी

Department Of Home Science L.N.M.U Darbhanga

Corresponding Author- अन्नु कुमारी

Email- annukumaridbg1991@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7519288

सारांश:-

समाज बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। सामाजिक-सांख्यिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तान्तरित करता है। सामाजिकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है, बल्कि इसी से मानवोंचित गुणों का विकास होता है और व्यवित सुसभ्य व सुसंरक्षण भी बनता है। संख्यिकी का हस्तान्तरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के बिना व्यवित समाजिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है।

परिचय:-

समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यवित समाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक व्यवितत्व का विकास होता है। सामाजिक-सांख्यिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। सामाजिकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है, बल्कि इसी से मानवोंचित गुणों का विकास होता है और व्यवित सुसभ्य व सुसंरक्षण भी बनता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के बिना व्यवित समाजिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है, जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। इस तरह यह सांख्यिक मूल्यों प्राथमिकताओं और प्रतिमानों को बच्चों के व्यवहार में संक्रमित करने की प्रक्रिया है। यह विभिन्न प्रक्रियाओं, शैक्षिक संस्थाओं और लोगों द्वारा संपन्न होती है। समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनौचिक एवं गलत व्यावहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है।

भूमिका:-

बच्चों के व्यवितत्व विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, व्योंकि समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। यह व्यवित को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, लड़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना और विपरीत समाजीक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। समाजीकरण द्वारा संख्यिक सभ्यता और अन्य अनगिनत विशेषताएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित होती हैं और जीवित रही हैं। बालक जन्म के समय कोरा पशु होता है।

जैसे-जैसे वह समाज के अन्य व्यवितरों तथा सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता रहता है, वैसे-वैसे वह अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करते हुए सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों को सीखता रहता है। इस प्रकार, बालक के सामाजिकरण की यह प्रक्रिया नियंत्र चलती रहती है।

बच्चे के सामाजिकरण में परिवार एवं माता-पिता की भूमिका:-

- सामाजिकरण करने वाली संस्था के लिए में परिवार व माता-पिता का असाधारण महत्व है यह कहा जाता है कि माँ के त्याग पिता की सुरक्षा में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है, वह उसके जीवन की स्थायी पूँजी होती है।
- बच्चा सबसे पहले परिवार में जन्म लेकर परिवार का सदरमा बनता है। उसका सबसे घणिष्ठ संबंध अपनी माँ से होता है। माँ उसे दूध पिलाती है और तरह-तरह से उसकी रक्षा करती है।
- बच्चे को नियमित रूप से खाने-पीने की पहचने की तथा रहने की सीख उसे माँ से मिलती है। इससे बच्चे के मन में एक सुरक्षा की आवश्यकता बनती है जो उसके जीवन को स्थिर तथा दृढ़ बनाती है आगे चलकर उसे उसके व्यवितत्व के विकास में सहायता होती है।
- माता और पिता से बच्चे की अधिकतर आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। साथ ही बच्चा यह देखता है कि कुछ कार्यों को करने पर माता या पिता उसे प्यार करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और कुछ कार्यों को करने से उसे दंड मिलता है व उसकी निंदा होती है।
- परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन-कौन से काम करने चाहिए और किन-किन कार्यों से बचना चाहिए? इससे बच्चा

- धीर-धीरे यह सीख जाता है कि समाज में वया अच्छा है और वया बुरा और समाज उससे वया चाहता है? धीर-धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज को मान्य होते हैं।
- माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं। वे उसके साथ हँसते-बोलते हैं। बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होठों को हिलाकर गाते करने की प्रक्रिया को बार-बार देखता और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। इसी के परिणामस्वरूप समाजिकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का विकास उसमें होता है।
 - परिवार में प्रायः एक से अधिक सदस्य होते हैं उनमें से प्रत्येक के अलग-अलग मिजाज, रुचि, व्यवहार के तरीके, भावनाएँ आदि होती हैं फिर भी उनमें से प्रत्येक के साथ बच्चे को घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है, वर्तोंकि परिवार के एक छोटे-से दारों के साथ किस प्रकार मिलकर रहा जाता है, दूसरों से किस प्रकार अनुकूलन किया जाता है? इस अनुकूलन के दौरान उसमें सहनशीलता का गुण भी पनप जाता है।
 - परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, जो समाजिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं।
 - परिवार में रहकर बच्चा माँ-बाप से समाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमास का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है तथा अपनी मौलिक धारणाओं का आदर्श एवं शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो, तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चे की यह भावना उसके बाह्य समाज से व्यवहार में भी झलकती है।
 - माँ-बाप की समाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चे के समाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवारों के बच्चों में सामान्यतः स्वयं के श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। इसके विपरीत निर्धन परिवारों के बच्चों में सामान्यतः निर्धनता के करण हीन भावना पनपती है। जिससे उसे समाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है।
 - अच्छे एवं सुसंरक्षित परिवारों के बच्चे भी सामान्यतः सुसंरक्षित होते हैं जबकि विभिन्न समाजिक-आर्थिक समस्याओं से ग्रसित परिवारों के बच्चे सामान्यतः झगड़ातूं अथवा अपने परिवार के सदस्यों की प्रकृति के अनुरूप होते हैं।
 - बालक के शारीरिक एवं समाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
 - खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, खतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, खलाक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है। खेल-क्रियाओं

द्वारा बालक को आत्माभिव्यवित का अवसर मिलता है, जिससे उसके सामाजिकरण में सहायता मिलती है।

- अधिकांश खेलों मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है इसलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। इसलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अपरिहित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करना तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। समूह द्वारा अपनाए जाने या इसमें लोकप्रिय होने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है जो सामाजिकरण के लिए बहुत आवश्यक है।
- सामूहिक खेलों के आदान-प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर खेलते हैं, तो उनमें एकता त सहयोग की भावना पनपती है। यही मिल-जुलकर खेलने की भावना आगे चलकर मिल-जुलकर रहने की भावना में बदल जाती है।
- खेलों के जरिए बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है।
- खेलों में कुछ तिशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। यह बालकों को अनुशासित होने में सहायता करता है।
- खेल में हर-जीत का अनुभव बच्चों में सहनश्वित का विकास करता है, जो समाजिकरण में अत्यंत आवश्यक है।

बालकों का समाजीकरण करने वाले तत्व:-

बालक के समाजीकरण में उसका परिवार, पड़ोस, स्कूल, उसके साथी, उसका समुदाय, धर्म इत्यादि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

वंशानुक्रम:-

बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे-मूलभाव, संवेग, सहज क्रियाएँ त क्षमताएँ आदि। उनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

परिवार:-

बालक के समाजीकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का प्रमुख स्थान है। इसका करण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी-न-किसी परिवार में ही होता है। जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाता है। वैसे-वैसे वह अपने माता-पिता, आई-बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति-रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीर-धीरे सीख जाता है।

पड़ोसी:-

पड़ोसी भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ

अन्तः क्रिया द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले

विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है, तो उसका बालक के व्यवितरण के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और यदि खराब है, तो बालक के बिगड़ने की संभावना है। यही कारण है कि अच्छे परिवारों के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं।

स्कूल:-

परिवार तथा पड़ोस के बाट स्कूल एक ऐसा स्थान है जहां पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करते आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है जिससे उसका समाजीकरण त्रिव्युति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहां एक ओर विभिन्न विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रिति, रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों तथा आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है वही दूसरी ओर उसमें स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता रहता है। इस दृष्टि से परिवार तथा पड़ोस की भाँति स्कूल भी बालक के समाजीकरण का मुख्य साधन है।

बालक के साथी:-

प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। वह खेलते समय जाति-पांति, ऊंच-नीच तथा अन्य प्रकार के भेट-शातों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अन्तः क्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उद्देश्य:-

1. इसका उद्देश्य बच्चों को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, झड़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना है।
2. विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाना है।
3. मानवोत्तिक गुणों का विकास करना है।
4. संस्कृतिक मूल्यों, प्राथमिकताओं और प्रतिमानों को बच्चों के व्यवहार में संक्रमित करना है।
5. समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित कर अनेकिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना है।
6. समाजीकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता और अन्य अनिवार्य विशेषताएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी छस्तांतरित होती हैं और जीवित रहती हैं।

निष्कर्ष:-

निष्कर्ष एवं सुझाव अध्ययन के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परिवारिक वातावरण के साथ-साथ विद्यालय के वातावरण और संगठन का प्रभाव बच्चों के शैक्षणिक विकास पर पड़ता है और साथ ही निष्कर्ष के तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि

सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यवितरण सामाजिक द्वारा सामाजिक आत्म-निरांत्रण, सामाजिक उत्तराधित तथा संतुलित व्यवितरण का अनुभव प्राप्त करते हैं।

संदर्भ सूचि:-

1. आटिया, सुदर्शन, शिशु पालन और माँ के दायित्व, पुस्तक महल दिल्ली २०१२
2. पारीक, आशा, बाल विकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, २००६
3. पारीक, मथुरेश्वर, बाल विकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध सिसर्च पब्लिकेशन, नई दिल्ली, २००९
4. नौटियाल, जयप्रकाश, बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, २००७
5. दास, अगतान, बाल विकास, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, २०१२
6. मूरजानी, जानकी नारंग, दर्शन कौर, मोहन, मणिका, बाल विकास का मनोविज्ञान, अपोलो प्रकाशन, जयपुर, २००९
7. Asuwel. Theory and Problems of child development, New York, 1950



वर्तमान की आवश्यकता जलवायु स्मार्ट कृषि

कृ. आकृति खरे^१ डॉ. एस.बी. विष्वकर्मा^२

^१सहा. प्राध्यापक भूगोल शास. पी. जी. महा. गढ़कोटा सागर (म.प्र.)

^२विभागाध्यक्ष, भूगोल शास. पी. जी. महा. गढ़कोटा सागर (म.प्र.)

Corresponding Author- कृ. आकृति खरे

Email-khareakriti19@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7519296

सार :-

वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, वैशिक खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर रहा है। आज किसान चरवाहे और मछुआरे, जलवायु परिवर्तन के परिणामों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरण के सभी कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। प्रान्तीयाधिकारी युग से लेकर अंतरिक्ष युग के आधुनिकतम मानव की समस्त क्रियाएं व्यवितत, खेती एवं जीवनवर्या जलवायु से नियंत्रित हो रही हैं। मानव के सभी व्यवसायों कृषि, पशुवारण, उद्योग, व्यापार, खासगत्या एवं सभ्यता के विकास में जलवायु का प्रभाव परिलक्षित होता है। ऐसे में वर्तमान की आवश्यकता जलवायु स्मार्ट कृषि का अध्ययन मानव पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण तत्व तथा नियंत्रक कारक के रूप में अपेक्षित है। जलवायु स्मार्ट कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए कृषि विधियों, पशुधन और फसलों को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए परिदृश्यों के प्रबंधन के लिए विकसित एकीकृत दृष्टिकोण है, और जहाँ संभव हो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके इसका मुकाबला करते हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्व की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, केवल टिकाऊ कृषि पर जोर नहीं दिया जाता बल्कि सतत खाद्य और कृषि के लिए दृष्टिकोण और कृषि वानिकी और मत्स्यपालन को अधिक उत्पादन और अधिक टिकाऊ बनाने के लक्ष्य को समर्थन करता है। साथ ही जलवायु स्मार्ट कृषि, कृषि उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन और कृषि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके फसलों और पौधों के लिए भविष्य की चुनौतियां का मुकाबला करने के लिए सूचीबद्ध करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में जलवायु स्मार्ट कृषि का वर्तमान समय में आवश्यकता का अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द- जलवायु, स्मार्ट कृषि, प्रबंधन, परियोजना, पद्धति, खाद्य सुरक्षा।

प्रस्तावना :

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत में लगभग ७५% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। पारंपरिक रूप से हमारे देश में मानव खासगत्या के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी जिससे प्रकृति के जैविक और अजैविक तत्व, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होते थे। कालांतर में हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या बन कर उभर रही है। ऐसे समय में हरित क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र में हुए शोध, विकास एवं तकनीकी परिवर्तन और अन्य कदमों का प्रचार प्रसार किया गया जिससे कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में निर्भर बनाया


लेकिन हरित क्रांति ने सिंचाई के साधनों और उर्वरकों की अंधाधुध उपयोग से जल स्तर में गिरावट के साथ-साथ मृदा की उर्वरता भी प्रभावित हुई। इससे प्रकृति के जैविक और अजैविक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ गया जिससे प्रदूषण में भी बढ़ोत्तरी हुई। मृदा में अनेक किस्म के जीवाणु होते हैं जो खेती के लिए महत्वपूर्ण और अनेक क्रियाओं में सहायता होते हैं। लेकिन इसानों के इस्तेमाल के कारण इनके नष्ट होने से भूमि की उर्वरा शवित में भी कमी आई। फलतः उत्पादन प्रभावित हुआ, जिसमें अंतिम रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ और मनुष्य के खासगत्या में गिरावट आई। इन्हीं सब दुष्प्रभावों के कारण आज

संरक्षण कृषि सतत कृषि, जैविक कृषि और जलवायु स्मार्ट कृषि वक्त की ज़रूरत है। यूंकि खेती और मौसम का गहरा रिश्ता है फसले, तापमान, वर्षा और नमी पर बहुत ज्यादा निर्भर है लेकिन बदलती जलवायु ने मौसम के पैटर्न को बदल कर रख दिया है। कभी तापमान ज्यादा तो कभी कम, कभी बाढ़ तो कभी सूखा ये जलवायु परिवर्तन के बड़े दृष्टिरिक्षम हैं। छात का मानना है कि तापमान बढ़ने के साथ पानी की समस्या और कम होती बारिश की वजह से कई इलाकों में गेहूँ, धान एवं अन्य फसलों की उपज पर नकारात्मक असर रहा है, जिसके परिवर्तन से मिट्टी और मतेशियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। वर्षा की कमी के साथ वर्षा सिंचित इलाकों में उत्पादकता गिर रही है इसीलिए कृषि के तौर तरीकों में कुछ बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही है।

जलवायु स्मार्ट कृषि :-

ऐसी खेती जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बन सके, इसी को जलवायु स्मार्ट कृषि का नाम दिया गया। यह कृषि पद्धति को बदलने और विकास तथा खाद्य सुरक्षा को प्रभावी बनाने वाली पद्धति को संबल करने की पहल है

यह भूआग, क्रॉपलैंड, लाइव स्टॉक, फौरेस्ट्स और फिराटीज को एकीकृत रूप से प्रबंधन करने की प्रक्रिया भी है। संयुक्त राष्ट्र के कृषि एवं खाद्य संगठन ने इस तरह की खेती के तीन उद्देश्य बताए हैं। पहला कृषि उत्पादकता एवं आमदनी में लगातार बढ़ोत्तरी। दूसरा जलवायु परिवर्तन के प्रति लवीलेपन का निर्माण और तीसरा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। कृषि एवं खाद्य संगठन ने साल २०२२ से २०३१ के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें चार बातों को शामिल किया गया है बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण, और सभी के लिए बेहतर जीवन। जलवायु स्मार्ट कृषि इसी फ्रेमवर्क का समर्थन करती है। जलवायु स्मार्ट कृषि विकास का लक्ष्य सतत विकास के तीन आयामों को एकीकृत (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण) संबंधी करके संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा और जलवायु चुनौतियों के समाधान हेतु किया जा रहा है। यह तीन स्तंभों पर निर्भर करती है, जो निम्न है - १. स्थायी खाद्य सुरक्षा २. कृषि अनुकूलन क्षमता ३. ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की क्षमता



व्लाइमेट स्मार्ट खेती की प्राथमिकताएँ :- व्लाइमेट स्मार्ट एंट्रीकल्चर पारस्परिक स्तंभों से संबंध एवं सामंजस्य



जलवायु स्मार्ट कृषि के लाभ :-

- भूमि की उपजाऊ क्षमता, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि।
- रसायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी।
- सिंचाई अंतराल और भूमि की जलधारण क्षमता में वृद्धि एवं भूमि की गुणवत्ता में सुधार।
- भूमि से जल के वाष्पीकरण में कमी।
- शौम जल स्तर में वृद्धि, मृदा, खाद्य पदार्थ और भूमि।
- सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित किया जाता ताकि परिवहन से होने वाले उत्सर्जन और लागत दोनों कम हो सकें।
- कुसुम परियोजना जैसी पर्यावरण हितेबी योजनाएं भी इस दिशा में कारब्रह हो सकती हैं।
- ड्रिप सिंचाई पद्धति, स्प्रिकलिंग पद्धति आदि सिंचाई की पद्धतियां भी कारब्रह साबित हो सकती हैं।
- जल प्रबंधन और भूमि प्रबंधन

मुख्य जलवायु स्मार्ट तकनीकियां :-

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वलाइमेट स्मार्ट तकनीकों जैसे : जल स्मार्ट, न्यूट्रियंट स्मार्ट, कार्बन स्मार्ट, उर्जा स्मार्ट एवं ज्ञान स्मार्ट आदि तकनीकियों का समावेश किया गया है। और ये सभी तकनीकियां तीन मुख्य रूपों में समाहित हैं जो इस प्रकार हैं -

१ जल स्मार्ट तकनीकियां - धान की सीधी बिजाई, फसल विविधिकरण, बैडल्यांटिंग, भूमि का समतलीकरण, धान में टैक्टिपक जल प्रबंधन, जीरो टिलेज (तप्पड में बिजाई)

२ पोषक स्मार्ट तकनीकियां -प्राक्षेत्र विशेष पादप पोषण प्रबंधन (एस एस एन एम), सॉफ्टवेयर, ग्रीन सीकर से यूरिया का प्रबंधन, दलहनों का समावेश।

३ कार्बन स्मार्ट तकनीकियां -जीरो टिलेज व फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन।

४ उर्जा स्मार्ट तकनीकियां - जीरो टिलेज, फसल अवशेष का प्रबंधन, धान की सीधी बिजाई।

५ मौसम स्मार्ट तकनीकियां -मौसम का पूर्वानुमान, सूचकांक आधारित बीमा, जरूरतों के अनुसार बीज, फसल विविधिकरण व कृषि वानिकी, किसानों को मोबाइल फोन पर संदेश देकर

फसल की कीटों से सुरक्षा, सिंचाई इत्यादि की जानकारी देना।

६ ज्ञान स्मार्ट तकनीकियां-सूचना एवं प्रसारण तकनीकियां, महिला सशवितकरण व क्षमता विकास, तिभिन्न संस्थाओं के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण।

भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए प्रयास :-

भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में मृदा खारस्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, ऐफेड एरिया डेवलोपमेंट प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर सरटेनेक्टर एक्रीकल्टर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आदि के द्वारा जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही भारत के भूभाग को २० एक्ट्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र में बांटा गया है इसका मकसद हर इकोलॉजी क्षेत्र में मृदा के प्रकार, वहाँ का तापमान वर्षण आदि के हिसाब से उचित फसल को बोना है जिससे उपज अच्छी होने के साथ-साथ मृदा की गुणवत्ता भी बनी रहें।

भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि के क्षेत्र :-

भारत में महाराष्ट्र में १०७ करोड़ से ज्यादा किसान हैं और वहाँ ५०% से अधिक खेती भूमि योग्य है लेकिन जलवायु परिवर्तन ने राज्य के कई सूखा प्रभावित जिलों में कृषि उत्पादकता को प्रभावित किया है, इन सूखा प्रभावित जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, विश्व बैंक द्वारा समर्पित ६० करोड़ डॉलर की महाराष्ट्र जलवायु लचीला कृषि परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना एवं कृषि व्यवसाय के अवसरों में सुधार करना और छोटे एवं सीमांत किसानों को सतत तरीके से अपनी आय बढ़ाने में मदद करना है।

निष्कर्ष

पिछले तीन-चार दशकों में खेती में बहुत सी समस्याएं आई हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए भारत सहित दुनिया के अनेक देश अब जलवायु स्मार्ट खेती की ओर अग्रसर हैं। पिछले कई दशकों से सघन खेती करने से, एक वर्ष में २-३ फसलें और लगातार एक तरह की फसल उगाने से, रसायनिक उर्वरकों का अत्यधिक, असंतुलित व अनुचित प्रयोग और जैविक खादों के प्रयोग की अनदेखी करने के

कारण कृषि में ज्यादा उत्पादन लागत और कम फायदा हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य में इसकी तरह की खेती को ही अपनाना होगा हमारी आवी पीढ़ियां अच्छे से अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

सुझाव :-

- स्थानीय स्तर पर ही मृदा उपयुक्त अनाजों को उगाया जाए।
- मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सायानिक कीटनाशकों के कम प्रयोग के साथ उचित अनुपात में उर्वरकों का प्रयोग किया जाए।
- सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित किया जाए, ताकि परिवहन से होने वाले उत्सर्जन और लागत दोनों कम हो सकें।
- कुसुम पर्यावरण जैसी पर्यावरण हितैषी योजनाएं भी इस दिशा में कारब्रह छो सकती हैं।
- जल प्रबंधन और भूमि प्रबंधन भी इस दिशा में सहायक हो सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- दूरदर्शन चैनल - कृषि दर्शन
- [www. Down to Earth.org.in](http://www.Down to Earth.org.in)
- Dristiias.com
- CCAFS Climate change agriculture and food security
- Google (Internet)
- दैनिक भारकर
- FAO - food and agriculture.org
- कुरुक्षेत्र मेगजीन (पत्रिका) अंक जनवरी २०२२
- केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संरथान करब्रह, हरियाणा भारत।



“महिलांचे विविध क्षेत्रातील योगदान एक अध्ययन”

प्रा. डॉ. लीना श. गावंडे¹ प्राध्यापक उज्ज्वला गुल्हाने²

¹सहयोगी प्राध्यापक गृह अर्थशास्त्र विभाग स्वर्गीय पंचफुलाबाई पावडे कला वाणिज्य महिला महाविद्यालय वरुड.

² गृह अर्थशास्त्र विभाग महिला महाविद्यालय अमरावती

Corresponding Author- प्रा. डॉ. लीना श. गावंडे

DOI- 10.5281/zenodo.7519305

प्रस्तावना—

भारतीय समाजात, समाज व कुटुंब या दोन्ही क्षेत्रात स्त्रीला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात तिला विविध भूमिकांमधून वापरावे लागते. भारतीय समाज आणि संस्कृती पुरुषप्रधान होती आणि आहे. त्यामुळे आपल्या हळ्काचे स्थान प्राप्त करण्याकरिता स्त्रीने सतत जागरूक राहिले पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण व आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करणे आवश्यक आहे. निटिंश काळात राववल्या गेलेल्या धोरणाचा आणि त्यांनी कलेल्या सुधारणा चा स्त्री जीवनावर निश्चितच फरिणाम झाला. त्याचाच फरिपाक म्हणजे आज जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांनी कर्तृत्व गाजवले आहे.

1975 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ म्हणून साजेरे झाले. 1975 ते 1985 या दशकात महिलांचा दर्जा उंचावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले. स्त्री सबलीकरणावर भर देण्यात आला. भारतीय स्त्रियांचा आजचा दर्जा पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव, आज समाजसुधारकाचे व चलवळी चलवळीचे फलित, स्त्री शिक्षणाचा विस्तार वाहतुकीच्या साधनांचा प्रसार, औद्योगिकीकरण व नागरीकरण, संयुक्त कुटुंबाचे विघटन, आंतरजातीय विवाह, हुंडा पद्धती. इत्यादी अनुकूल फायदे यातून दिसून येतात. एक काळ असा होता की, स्त्रीचे कार्यक्षेत्र घराच्या आतच होते. घरात पुरुषांचेच वर्षत्व असे. सर्व निर्णय पतीच घेई. कार्यालयात स्त्रिया क्वचितच दिसत. संपूर्ण महाविद्यालयात दोन-चार मुली असत. चारचौघित चौकात, रस्त्यात सार्वजनिक ठिकाणी मुली व स्त्रिया मोकळेपणाने बोलताना दिसत नसत. उज्ज्व शिक्षणात पुरुष जातींचीच मुक्तदारी होती. या पार्श्वभूमीवर आजचे हृदय आश्वर्यचकित करणारे आहे. आजच्या स्त्रीने केलेली स्वतःची प्रगती खरोखरच आश्वर्यचकित करणारी आहे. महात्मा फुले, आगरकर, महर्षी कर्वे यांनी भारतीय स्त्रीला हा आत्मविश्वासाचा मार्ग दाखविला आणि स्त्री विचार करू लागली. चूल आणि मूल या पलीकडे जाऊन विविध क्षेत्रात आपण पुरुषांच्या बरोबरीने समर्थपणे कार्य करू शकतो याची जाणीव तिला झाली. आज सर्व क्षेत्रात तिने स्थान मिळविले तर काही क्षेत्र तिने पूर्णपणे काबीज केले. सरकारने आता पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना अधिकार बहाल केले आहे. आता राजकीय क्षेत्रात स्त्रीला 33 % आरक्षण दिले आहे.

त्रिजसज्जा – महिला, योगदान, सबलीकरण.

‘समान मानव माना स्त्रीला | तिची अस्मिता खुडू नका| दासी म्हणुनी पिटू नका| वा देवी म्हणुनी भजू नका’

अशाच काही कर्तृत्वावान स्त्रियांच्या असामान्य कार्यकर्तृत्वाची दखल येथे घेतली आहे.

1) सिंधुताई सपकाळ –

वेदनान मधून वेद निर्माण होतो असे म्हणणाऱ्या पद्मश्री सिंधुताई सपकाळ यांचे जीवन म्हणजे एक विश्वसनीय कथाच आहे. त्या म्हणायच्या अंगावर संकट कोसळले तर संकटावर पाय देऊन उभे राहायचे मग संकटाचीच उंची कमी होते. जीवनात आपोआप वेद निर्माण होतो. तो

अवघ्या जगण्याला ऊर्जा पुरवतो सिंधुताई आश्रय नसणाऱ्या पारवरंना परवाखाली घालणारी माय होत्या.

2) मेरी कोम-

मेरी कोम म्हणजे मूर्तिंमंत चैतन्य!

स्त्रियांचे हात फक्त बांगड्या घालण्यासाठी नसतात तर वेळ प्रसंगी स्वतःच्या संरक्षणासाठी सुद्धा असतात. जागतिक स्तरावर बॉम्बिंग मध्ये करिअर करून तब्बल आठ दा त्यांनी वैशिक चॅम्पियनशिप मध्ये भारतासाठी पदक जिंकलेले आहे. मातृत्व प्रासीनंतरही त्यांनी त्यांचे जीवन खेळाडूंसाठी प्रेरणाश्रोत ठरले आहे.

3)गीता फोगाट –

अद्वितीय व्यक्तिमत्व

‘जिच्या हाती पाढण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी’ असे म्हणतात त्याची दोरी हलविणारे नाजूक हात आज वेळप्रसंगी वत्र हस्त बनून कुस्ती खेळू शकतात .पहिल्या भारतीय महिला पहिलवान म्हणून त्यांनी नावलौकिक मिळवला पण यासाठी त्यांना अतोनात हाल अपेष्टा आणि भरपूर श्रम करावे लागले. त्यांनी ते केले सुद्धा घरातून सहकार्य मिळाले .म्हणून त्यांनी अनेक शिखर पादाकांत केली. “ निर्धार हाच जीवनाचा आधार आहे” हे सत्य त्यांनी त्यांच्या जीवनातून स्पष्ट होते.

4)टेसी थॉमस –

यांना अग्री डॉटर म्हणून सुद्धा ओळखले जातात आज महिला सबलीकरणाचा मुद्दा राष्ट्रीय प्रगतीचा अविभाज्य भाग झाला आहे . “जोपर्यंत महिला स्वतःहून पुढे येत नाही तोपर्यंत समाजाचे ,राष्ट्राचे कल्याण होणार नाही .स्त्री कुटुंबाचा कणा आहे,असते जोपर्यंत ती सबला होणार नाही तोपर्यंत कुटुंब व पर्यायाने समाज पुढे येणार नाही. अर्धे जग स्थिरांचे आहे .तिची जमीन आणि तिचे आभार तिला मिळाले पाहिजे .प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या दोन बाजू समानतेच्या पर्यायवाची ठरते हा प्रयत्न माझा मलाच करण्याची गरज आहे. माझी भेदक नजर माझ्याच अस्तित्वाच्या विषमतेवर पडल्यापासून माझा प्रवास सुरु आहे.या प्रवासाला निश्चितपणे गती मिळेल आणि हा प्रवास आपले ध्येय गाठील असा माझा विश्वास आहे.

5)सुधा मूर्ती-

विविध भूमिकेतून नावलौकिक प्राप्त केलेल्या सुधा मूर्ती म्हणजे सामान्यातील असामान्य व्यक्तिमत्व इन्फोसिस सुरु करण्यापासून त्याला शिखरावर नेणाऱ्या सुधा मूर्तीनी स्थिरांच्या सामाजिक समानतेच्या चळवळीला आपल्या पद्धतीने पुढे आणले .टाटा कंपनीत इंजिनिअर म्हणून रुजू होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला ठरल्या. “सिम्पल लिविंग ॲंड हाय थिंकिंग” या म्हणीला सार्थ करणारे त्यांचे जीवन अनेकांना प्रेरणा ऊरोत ठरते.

6)मेधा पाटकर-

मेधा पाटकर या एकमेव द्वितीय आहेत हेच खेरे! सेवा आणि समोर पण यांचे अद्भुत मिश्रण त्यांच्या ठिकाणी आढळते. त्यांच्यातील शक्तीला आणि कार्य कर्तुत्वाला मनापासून सलाम करावासा वाटतो .नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर गांधीवादी विचारांच्या पाईक आहे. त्यांनी मुंबईच्या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आपला प्रवास सुरु केला आणि आज पर्यावरणाच्या क्षेत्रात त्या अग्रणी आहेत. मेधातार्ड आदिवासींच्या न्याय हळ्कासाठी लढा देत

आहे .साधीसुती साडी नेसलेली ही महिला जेव्हा आदिवासी मध्ये राहून आपले जीवन अर्पण करते तेव्हा त्यांच्या या कळवळीला दुर्दम्य इच्छाशक्तीला आणि समर्पणाला पर्यायच नाही.

7)तुलसी गौडा – कर्नाटक राज्यातील तुलसी गौडा या 72 वर्षीय महिलेला जंगल एनसायक्लोपीडिया म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी एक लाखापेक्षाही जास्त वृक्ष लागवड करून त्यांचे संवर्धन केले आहे. जंगलातील प्रत्येक वनस्पतींची त्यांना शास्त्रीय माहिती आहे ,जी औषधी शास्त्राच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे. भारत सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले. स्त्री शक्तीचे एक आगळे वेगळे रूप त्यांच्या जीवनातून साकारते.

8)राहीबाई सोमा पोपेरे-

कृषी क्षेत्रातील त्यांचे ज्ञान अनुभव आणि मेहनत यांच्या सहाय्याने त्यांनी सीड बँक तयार केली. आणि सीड मदर असा नावलौकिक मिळवला .पद्मश्री मिळवून महिला शेतकरी हे विरोध सन्मान आणि मिरवणाऱ्या राहीबाई आपल्या भागातील सर्वांना शेती विषयक मार्गदर्शन करीत आहे .पहिल्यांदा शेती केली ती महिलांनीच हे यावरून सिद्ध होते.

निष्कर्ष-

आजच्या स्त्रीची ताकद जबरदस्त वाढली आहे .ती शिक्षण, नोकरी करते .परंतु अजूनही घराची जबाबदारी तीच उचलते. शिवाय मुलांचा अभ्यास त्यांच्या भविष्याची जडणघडण यांचा भारहितिने स्वतःवरच घेतला आहे .एवढे सगळे पेलण्याची प्रचंड क्षमता आजच्या स्त्रीने कमावली आहे. आणि उद्योग व्यवसायातही आपली चमक दाखवून “ हम भी किसीसे कम नही” हे सिद्ध केले आहे.

भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार ,बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, सिंक्रीम राज्याचे देशात विलनीकरण तसेच बांगलादेश युद्ध जिंकून स्वर्कर्तुत्व सिद्ध केले .त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये अनेक भारतीय स्थिरांनी आपले कर्तुत्व सिद्ध करून दाखविले आहे .प्रत्येक क्षेत्रात त्या झळक त्या आहेत. महिला या देशाचे भविष्य ठरणारी शक्ती आहे. आणि ही शक्ती सुदृढ व सक्षम बनविणे ही समाजाची जबाबदारी आहे. आपल्या देशाची अर्धी लोकसंख्या महिलांचीच आहे .मुळात भारतीय महिलाही अवला नसून ती वेगवेगळ्या रूपातील नवदुर्गा आहे.स्त्री शक्तीचा आदर करणारा देश आहे. समाजातील अनेक महापुरुषांना घडविण्यात स्थिरांचे योगदान आहे.

संदर्भ ग्रंथ सूची(रेफरन्स)

- 1) शिक्षण संक्रमण (मासिक) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे.
- 2) प्राध्यापक लीना गावंडे.
- 3) प्राध्यापक उज्जवला गुल्हाने.
मराठी पाठ्यपुस्तक समरंग



भारतीय सिनेमा की विकास यात्रा

मुकेश उपाध्याय

शोधार्थी भारतीय रंगमंच विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

Corresponding Author- मुकेश उपाध्याय

ई. मेल - mukeshupadhyay969@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7519313

सारांश -

सिनेमा का प्रारम्भ एक नए प्रकार के मनोरंजन का सूत्रपात था। वर्तमान में भारतीय फ़िल्म उद्योग अपने सवा सौ वर्ष पूरे कर चुका है, सवा सौ वर्ष की इस अवधि में भारतीय सिनेमा का सफ़र आसान नहीं रहा बल्कि यह कई ऐसे मोड़ से गुज़रा है, जिसमें सिनेमा ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। आज अपनी कार्यशैली की वजह से भारतीय सिनेमा की लोकप्रियता समूचे विश्वभर में फैली है।

सिनेमा तकनीक पर निर्भर कला है और आज जिस त्वरित गति से तकनीक में बदलाव हो रहा है, उससे सिनेमा में भी काफ़ी परिवर्तिन हो रहा है। भारतीय सिनेमा का सफ़र मूक सिनेमा, सवाक् सिनेमा से होते हुए रंगीन पर्टे तक आया और आज एपेशल इफेक्ट्स और डिजिटली माध्यम से नवीन प्रयोग किए जा रहा है, जिसमें तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। सिनेमा को यह स्थान प्राप्त करने में लंबा समय लगा है। भारतीय सिनेमा न केवल देश और समाज में अपनी जड़ों को और गहरा जमा चुका है अपितु वैश्विक मंच पर भी भारत की छति को ऊंचा दर्जा दिला चुका है। आज भारत विश्व भर में फ़िल्मों के निर्माण में शीर्ष पर स्थापित है, जिससे वर्तमान में भारतीय फ़िल्म उद्योग अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं।

मुख्य शब्द - मूक सिनेमा, सवाक् सिनेमा, रंगीन सिनेमा, तकनीक, एनिमेशन

उद्देश्य - भारतीय सिनेमा का सफ़र सन् १९१३ से २०२२ तक का लगभग सवा १०० वर्ष का हो चुका है और जाहिर है कि हमने चंद वर्ष ही देखे होंगे। लेकिन इस जातुर्ड सफ़र के संघर्षों की क्रमिक और विस्तृत यात्रा है, जिसको इस शोध पत्र के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया गया है।

भूमिका -

आज से सवा सौ साल पहले मानव सभ्यता में वया किसी ने कल्पना की होगी कि चलते-फिरते बिंबों को हम किसी पर्दे पर प्रदर्शित होते देखेंगे? किसी भी कला का जन्म अचानक नहीं होता, उसका क्रमिक विकास होता है। आरंभ में कला का एक सूक्ष्म रूप होता है और धीरे-धीरे और क्रमिक प्रयोगों के बाद उसमें परिवर्तता आती जाती है। सिनेमा, कला का वह आधुनिक माध्यम है, जिसमें तकनीकी प्रयोग से कहानी कहने की प्रभावशाली क्षमता है। सिनेमा एक ऐसी ही कला है, जिसमें कला मनुष्य की सृजनात्मक

चिंतन शृंखित और उसके घेतना के विकास से जुड़ी है। सिनेमा को सातवीं कला माना गया है (छ: कलाएं हैं- वित्रकला, वास्तुकला, रंगमंच, नृत्य, संगीत, साहित्य) और यह अपने आप में एक सम्पूर्ण विद्या है। कहा जाता है कि यदि किसी देश और समाज को भली-भाँति जानना और समझना हो तो वहाँ की फ़िल्में देखने से भी आप वहाँ की संस्कृति का सामाज्य अनुमान लगा सकते हैं।

सिनेमा अपने आप में सम्पूर्ण कला का रूप है, वर्णोंकि इसमें नाट्यकला, वित्रकला, साहित्य, काव्य आदि सभी कलाओं का समावेश है। इस आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा शुरूस हो जिसकी ज़िंदगी से सिनेमा का कोई सरोकार न रहा हो। लगातार बढ़ कर सिनेमा आज ऐसा रूप धारण कर चुका है कि वह प्रतिदिन नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज के युग में सिनेमा एक ऐसी विद्या के रूप में विकसित और परिष्कृत हो चुका है, जिससे

समाज का हर वर्ग किसी न किसी रूप में अपना जु़ड़ाव रखता है। किसी भी देश में बनने वाली फ़िल्मों को वहाँ के समाज और परम्परा का दर्पण कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। सिनेमा समाज का मनोरंजन तो करता ही है साथ ही समाज को पढ़ें पर आईने की तरह प्रदर्शित भी करता है। “सिनेमा के पास सम्बोधण की जो सशक्त ताकत है, वह उसे अपेक्षाओं की भारी-भरकम सूची थमा देती है। यही कारण है कि सिनेमा से बस मनोरंजन की आशा नहीं की जाती बल्कि तमाम विमर्शों, सामाजिक, राजनैतिक यथार्थों के प्रतिबिंब को ढूँढ़ने की चेष्टा भी उसमें अवसर होती रहती है। कहा भी जाता है कि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है।”³ जो सिनेमा हम आज देखते हैं, वह हमारे सामने सिनेमा का विकसित रूप है, जिसके पीछे सवा सौ सालों के अथक परिश्रम की गाथा है।

भारतीय सिनेमा -

भारतीय सिनेमा की यात्रा बड़ी दिलचर्प रही है। सिनेमा बीसवीं शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है। फ्रांस में फ़िल्म प्रदर्शन के महज ६ महीने बाद ही सिनेमा पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत में भी पहुँचा। यह वही समय था, जब पेरिस के दो भाईयों ‘लुमियर ब्रदर्स’ ने ७ जुलाई, १८९६ को बंबई (अब मुंबई) के वाटसन होटल में फ़िल्म का पहला प्रदर्शन किया। जिसके लिए एक रुपया प्रति व्यक्ति टिकट लगाया गया था और जिसे देखने के लिए बंबई का उत्तर वर्ग आया था, उसी दिन भारत में सिनेमा का आगमन हुआ। इस फ़िल्म के प्रदर्शन पर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ लिखता है— “एक शृंखलाली लालटेन की मटद से वास्तविक जीवन से मिलते-जुलते बहुत से दृश्य पढ़ें पर दिखाई गए। जिस प्रकार प्रत्येक पात्र की भावभिन्ना अत्यंत रूपरेखा से प्रस्तुत की जा सकी, उससे पता चलता है कि छायांकन की कला और जादुई लालटेन का गठजोड़ किस उन्नत रिथित तक पहुँच चुका है। एक मिनट में लगभग सात-आठ सौ छायाचित्र पढ़ें पर प्रकाशमान होते हैं। इन दृश्यों को दर्शकों ने बेहृष्ट पसंद किया।”⁴ जब पहली बार इसे लोगों ने देखा तो लोग चकित हुए बिना नहीं रह सके। “भारत में ल्यूमियर के छायाचित्रों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। जिसके बाद शाम के नाटक बंद करने पड़े। यह पहला नज़ीर था, जब सिनेमा की दस्तक के बवत ही शियेटर पर उसका असर

देखा गया। शियेटर बंद हो गया और उसकी जगह पर यहाँ डॉर्टी चित्रों का प्रदर्शन होने लगा।”⁵ सिनेमा के आने के पहले तक नाटकों का जनमानस पर काफ़ी प्रभाव था, नाटक जनता के बीच सशक्त मनोरंजन के माध्यम थे, लेकिन सिनेमा के आते ही उसके शक्तिशाली तकनीकी प्रभाव ने नाटकों के प्रभाव को धीरे-धीरे धूमिल कर दिया। जैसे जैसे सिनेमा की तकनीक विकसित होती गई रूगमंत्र अपने अवसान पर आता गया।

भारतीय सिनेमा का इतिहास भी लगभग उतना ही पुराना है, जितना कि विश्व सिनेमा का इतिहास है। विदेशी फ़िल्में भारत तो आ गई, लेकिन शुरुआती दिनों में भारतीय दर्शक विदेशी फ़िल्मों से खयां का जु़ड़ाव नहीं पाते थे। तब तक भारतीय फ़िल्म बाज़ार पूरी तरह यूरोपीय और अमेरिकी फ़िल्मों के नियंत्रण में था, और दर्शक बहुत कम थे वर्योंकि आम दर्शक इनसे अपने को अलग-थलग पाते थे। १८ मई १९१२ को ‘रामचंद्र गोपाल तोरणे’ यानी ‘दादा साहब तोरणे’ ने हिंदू संत ‘पुंडलिक’ पर आधारित एक मराठी नाटक ‘श्री पुंडलिक’ की रिकॉर्डिंग की और इसे सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया। बाद में इस पर बहुत विवाद उठा कि ‘श्री पुंडलीक’ और ‘राजा हरिश्चंद्र’ में से किसे भारत की पहली फ़िल्म माना जाना चाहिए? “पुंडलिक, ‘राजा हरिश्चंद्र’ से एक वर्ष पूर्व रिलीज हुई और शानदार चली भी थी, फिर उसे भारत की पहली फ़िल्म का दर्जा वर्यों नहीं प्राप्त है? इस पर विशेषज्ञों के तर्क को तवज्जो दें, तो यह तथ्य सामने आता है कि ‘पुंडलिक’ एक मंचरथ नाटकीय कथाचित्र है जो फ़िल्म के प्रारूप के अनुकूल कहानी पर बनी चलचित्र नहीं है। इतना ही नहीं इसके कैमरामैन से लेकर अधिकांश तकनीशियान भी विदेशी थे, इसकी प्रोसेसिंग लंदन में हुई तथा ‘राजा हरिश्चंद्र’ की अपेक्षा ‘पुंडलिक’ की लंबाई काफ़ी कम है। इसलिए यह पहली संपूर्ण भारतीय फ़िल्म नहीं समझी जाएगी। ‘राजा हरिश्चंद्र’ विधिवत एक कहानी के आधार पर पटकथा के चलन एवं निर्देशन के अनुसार कलाकारों द्वारा अभिनय पर आधारित है। इस फ़िल्म की शूटिंग, प्रिंटिंग एवं प्रोसेसिंग सभी विशुद्ध रूप से भारत में ही हुए, इसलिए प्रथम भारतीय फ़िल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ ही है।”⁶ वस्तुतः एक नाटक को कैमरे

के माध्यम से शूट कर लेना फ़िल्म निर्माण की श्रेणी में नहीं आता।

मूक सिनेमा -

भारतीय सिनेमा की अपनी यात्रा की शुरुआत भी मूक सिनेमा के रूप में हुई जिसका श्रेय धुंडियज गोविंद फ़ाल्के द्वारा साहब फ़ाल्के को जाता है। भारतीय सिनेमा के पितामह, 'दादा साहब फ़ाल्के' बबर्ड के सर जे. जे. खूल ऑफ़ आर्ट से प्रशिक्षित कलाकार थे। वह मंच के अनुभवी अभिनेता के साथ साथ शौकिया जात्वगर भी थे। बड़ौदा के कला भवन से फोटोग्राफी का प्रशिक्षण भी लिया था। सन् १९१० में क्रिसमस के अवसर पर मुंबई में एक तिदेशी फ़िल्म 'लाइफ़ ऑफ़ जीसस क्राइस्ट' देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह फ़िल्म देखते ही दादा साहब की रातों की नीट उड़ गई और तब उन्होंने फैसला कर लिया कि उनकी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य फ़िल्मकार बनना है। इसी फ़िल्म से दादा साहब फ़ाल्के को 'राजा हरिष्चंद्र' बनाने की प्रेरणा मिली थी। उनके अनुसार, "जब जीसस क्राइस्ट के जीवन-दृश्य मेरी आँखों के आगे से गुज़र रहे थे तो मेरे मन की आँखों के सामने उभर रहे थे- हिन्दू देवी-देवता, श्रीराम, श्रीकृष्ण उनकी अर्योध्या व गोकुल नगरी। मेरे मन में उथल-पुथल मच गई। वहा हम भारत की सन्तानें कभी परदे पर भारतीय चेहरे, भारतीय दृश्य देख सकेंगे? सारी यत इसी उद्देश-बुन व कथमकश में बीती।"⁹

३ मई १९१३ को 'राजा हरिष्चंद्र', एक भारतीय पौराणिक साहित्य की कथा, जो आरतेन्दु हरिष्चंद्र के नाटक पर आधारित थी, भारत की पहली फ़ीतर फ़िल्म के रूप में दर्शकों के सामने आई थी। सिनेमा का यह सफर जिसमें सिनेमा ने अपने प्रारंभ से ही धार्मिक और पौराणिक साहित्य से कथावस्तु ग्रहण की थी। भारत में सिनेमा का आधार साहित्य ही बना। शुरुआत रामायण, महाभारत तथा कालिदास के नाटकों से हुई, उन्हें लगा कि 'रामायण' और 'महाभारत' जैसे पौराणिक महाकाव्यों से फ़िल्मों के लिए श्रेष्ठ कहानियां मिल सकेंगी। वह प्रतिदिन नए-नए प्रयोग करते रहते थे, उनके पास कई प्रकार का हुनर था। अतः वह अपने अनुभव का लाभ उठाकर पहली भारतीय फ़िल्म बनाने का ऐतिहासिक कार्य करने वाले भारत के पहले निर्माता बने। फ़ाल्के की अनवरत कार्य-निष्ठा के कारण ही भारत में फ़िल्म उद्योग की नीत पड़ी। सन् २००३ में परेश मोकाशी द्वारा

निर्देशित मुशहूर 'हरिष्चंद्राची फैवटी', नामक मराठी फ़िल्म, १९१३ में प्रदर्शित फ़िल्म 'राजा हरिष्चंद्र' पर ही आधारित थी। इसमें दादा साहब फ़ाल्के के उस संघर्ष की कहानी है, जो उन्होंने १९१३ में 'राजा हरिष्चंद्र' बनाते समय किया था।

सवाक सिनेमा -

भारतीय सिनेमा 'मूक सिनेमा' से 'सवाक सिनेमा' तक चुनौतीपूर्ण सफर से गुज़रा है। १४ मार्च १९३१, हिंदी सिनेमा जगत के लिए ऐतिहासिक बदलाव का दिन था, यही वह तारीख थी जब से भारतीय सिनेमा हमेशा के लिए बदल गया। इसी दिन भारत की पहली सवाक फ़िल्म 'आलमआरा' को सिनेमाई पर्दे पर प्रदर्शित किया गया था, जिसका सारा श्रेय इसके निर्देशक अर्देशिर इरानी को जाता है। "१९३२ में 'आलमआरा' नामक वित्रपट के द्वारा सिनेमा को आवाज प्राप्त हुई। गूंगा वित्रपट बोलने लगा।"^{१०} यह एक पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था, जिसका नाट्य रूप से सिनेमाई रूपांतरण, एक पारसी नाटककार जोसेफ डेविड ने किया था। इस फ़िल्म के प्रमुख कलाकारों में थे- मास्टर विट्ठल, जुबैदा, सुशीला और पृथ्वीराज कपूर जो पारसी नाटकों के सिद्धरथ कलाकार थे। सवाक फ़िल्मों के आगमन से भारतीय सिनेमा में वृहृष्ट परिवर्तन आया। फ़िल्मकारों ने अपना ध्यान विशुद्ध व्यावसायिकता की ओर मोड़ा और फ़िल्म में नाच-गानों और विज्ञापन का प्रयोग किया जाने लगा।

रंगीन(कलर) सिनेमा -

श्वेत-श्याम फ़िल्मों के दौर में किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होनी कि फ़िल्में रंगीन भी हो सकती हैं और बिना रंगों की फ़िल्मों में सर्वप्रथम रंग भरने का काम किया निर्देशक मोती गिडवानी ने, सन् १९३७ में गिडवानी ने फ़िल्म 'किसान कन्या' का निर्माण किया जो कि भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फ़िल्म थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली रंगीन फ़िल्म होने के कारण यह ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस फ़िल्म की कहानी एक ग्रीष्म किसान और उसकी परेशानियों पर आधारित थी और इस फ़िल्म के निर्माण से ही रंगीन फ़िल्मों का दौर शुरू हुआ। 'किसान कन्या' के निर्माण के सालों पहले फ़िल्म निर्देशक ती शांताराम ने फ़िल्म 'सैरंधी' को रंगीन करने की कोशिश में फ़िल्म के प्रिंट को जर्मनी भेजा था। जर्मनी में किंहीं तकनीकी त्रुटियों के

कारण फ़िल्म की यह प्रक्रिया अंतिम रूप ना ले सकी। अतः हारकर ति शांताराम ने 'सैरंधी' को उत्तेत-श्याम में ही रिलीज़ करने का निश्चय किया। इस तरह 'किसान कन्या' को पहली रँगीन फ़िल्म होने का श्रेय जाता है।

निष्कर्ष -

सिनेमा के प्रारम्भिक काल में भारत गुलामी के दौर से गुज़र रहा था। भारतीय सिनेमा की लंबी यात्रा काफ़ी संघर्षों और उतार-चढ़ाव से भरपूर रही है, जिसमें कई अक्षूठे और नवीन प्रयोग हुए हैं। भारत आज विश्व में सबसे ज़्यादा फ़िल्मों का निर्माण करने वाला उद्योग बन गया है। आज यहाँ प्रतिवर्ष औसतन, छोटी-बड़ी फ़िल्में मिलाकर, १००० से ज़्यादा फ़िल्मों का निर्माण हो रहा है। भारतीय सिनेमा का दरारा अब सिफ़ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि भारतीय फ़िल्म को अब अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का साथ मिलने लगा है। यही कारण है कि इसकी सराहना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। दंगल, पीके, रईस, दिलवाले, जब तक है जान आदि फ़िल्मों ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी भरपूर कमाई की है। विदेशी बाज़ार का योगदान भारतीय बॉक्स ऑफिस को समृद्ध कर रहा है।

परिवर्तन इस संसार का परम सत्य है, जो कल था वह आज थोड़ा बदल चुका है और जो आज है उसका स्वरूप कल कुछ और होगा। इसी तरह विश्व में सिनेमा का स्वरूप काफ़ी हट तक परिवर्तित हो चुका है और यह बदलाव का दौर निरंतर संक्रिया है। भारतीय सिनेमा का आरंभिक दौर बेशुक रंगरहित त धवनिरहित रहा हो पर सालों पहले से भारत में ३D एनिमेटेड फ़िल्मों का निर्माण होने लगा और अब तो ४D फ़िल्मों का दौर है, जो पूर्ण रूप से तकनीक का कमाल है। “ज़्यादा दिन नहीं हुए जब सिनेमा की तकनीकी शब्दावली में हार्ड डिरक, रैकैनिंग, वीएफएवस, एसएफएवस जैसे शब्द हार्ड फाई माने जाते थे, लेकिन अब ये रोज़मर्रा की जरूरतें हैं। मौजूदा वक्त में एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन ९० फीसदी फ़िल्में डिजिटल तकनीक से ही बनने लगी हैं।”^{१०} आज बदलते तकनीक की गति ने सिनेमा को हर तो ऊँचाई दी है, जिससे सिनेमा की नीत उत्तेत हुई और सिनेमा को बल मिला है। इस तरह भारतीय वित्तपट की तिकास-यात्रा निरंतर गतिमान बनी हुई है, यहाँ अनेकों प्रयोग होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे।

संदर्भ-ग्रंथ सूची :

१. त्रिपाठी, अ. (२०१७), बाज़ार के खेल के बीच सिनेमा में तिमर्श, प. म, पुखराज जांगिड़ (सं), अपनी माटी (२०)
२. चड्ढा, म. (१९९०), हिन्दी सिनेमा का इतिहास, नई दिल्ली: सचिन प्रकाशन, पृ. ४०
३. श्रीवारत्न, स. (२०१४), समय, सिनेमा और इतिहास, नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. ०३
४. पटेल, र. (२०१२), भारत में सिनेमा का प्रवेश, नई दिल्ली: आजकल (वर्ष: ६८, अंक: ६), पृ. १३
५. दत्त, श. (२०१७), सिनेमा और साहित्य : एक अवलोकन, हिमांशु (सं), साहित्य, समाज और सिनेमा, कोलकाता: आनंद प्रकाशन, पृ. ०८-०९
६. माहेश्वरी, श. (२०१३), मराठी सिनेमा वितान, र. श, पुनीत विसारिया (सं), भारतीय सिनेमा का सफरनामा, नई दिल्ली: एटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ. १३
- ७- शुक्ल, पं. (२०१३), भारतीय सिनेमा का सफरनामा, जयसिंह (सं) नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृ. ८०



किशोरों एवं किशोरियों के सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका

ज्योति कुमारी

शोधार्थी गृह विज्ञान विभाग एल. एन. एम. टू. दरभंगा।

Corresponding Author- ज्योति कुमारी

DOI- 10.5281/zenodo.7519325

सारांश : किशोरावरस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन, महत्वपूर्ण तथा नाजुक समय होता है। इस काल में किशोर-किशोरियों में शारीरिक, मानसिक तथा संकेगात्मक दृष्टि से क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से किशोरावरस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि इस अवस्था में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, तो किशोरों के द्वारा वांछित दिशा में प्रगति करने की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी। किशोरों के आवी जीवन के निर्माण की दृष्टि से माता-पिता, अध्यापक तथा समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उनके लिए उपयुक्त एवं सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था करें। किशोरावरस्था में मानसिक शवितयों का सर्वोत्तम व सर्वांगीण विकास करने के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। किशोरों की मानसिक क्षमता, निरीक्षण शवित, तर्कशवित, विन्तनशवित, स्मरण शवित तथा कल्पना शवित का विकास उनकी रुचियों, रुझानों तथा योग्यताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। जिजासा प्रवत्ति को शांत करने के लिए प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक रथानों के भ्रमण की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, पर्यटन, वाट-विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियों जैसी पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के आयोजन से उनकी अवलोकन तथा अभिव्यक्त शवित को प्रशिक्षित करना चाहिए। संगीत, चित्रकला आदि के द्वारा किशोरों के सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है।

कुंजी : विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, किशोरावरस्था, मार्गदर्शन।

प्रस्तावना : किसी भी सभ्य समाज के लिए शिक्षा प्राण है तथा जीवन मूल्य उसकी आत्मा, मूल्यों का सम्बन्ध जीवन के दृष्टिकोण से है यदि मूल्यों को जीवन कहा जाय तो अतिथ्योवित नहीं होगी। व्यवित के जीवन में मूल्य का विकास सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ होता है। व्यवित समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। ऐमन्ट ने कहा है, कि समाज विहीन व्यवित एक कोरी कल्पना है। व्यवित स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है वह समाज से अलग रहकर ऐसे जीवित नहीं रह सकती, जैसे मछली जल के बिना। अतः व्यवित और समाज को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में निहीत है। मूल्यों की अवधारणा से तात्पर्य सिद्धान्त, आदर्श तथा नैतिकता से है। सामाजिक सम्पर्क द्वारा नैतिक विकास होता है।

हम कुछ मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं कुछ को त्यागते हैं मानव व्यवहार केवल विचारों द्वारा ही नहीं अपितु भावों के द्वारा भी होता है। स्थायी भावों के आधार पर ही मूल्यों का चयन होता है। मूल्य का अपना महत्व इसके अन्दर छिपा होता है। मूल्य अभिवृत्तियां एवं आदर्श हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं।

बाल्यावरस्था की समाप्ति के पश्चात् अर्थात् १२ या १३ वर्ष की आयु से किशोरावरस्था आरम्भ होती है। किशोरावरस्था को आंबल भाषा में एडोलसेन्स कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिया पद एडोलेसीअर से हुई है, जिसका अर्थ होता है, वृद्धि होना या परिपवता की ओर बढ़ना। किशोरावरस्था को परिभाषित करते हुए जरशील्ड ने कहा- "किशोरावरस्था वह समय है जिसमें विवारशील व्यवित बाल्यावरस्था से परिपवता की

ओर संक्रमण करता है।” वास्तव में किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल होता है किशोर अपनी वयस्सांधि के ऐसे चौराहे पर खड़ा होता है जहाँ उसे बचपन तथा व्यस्क दोनों प्रकार की भूमिकाओं से उत्पन्न विरोधी अपेक्षाओं का शिकार होना पड़ता है तथा अपनी आवश्यकताओं समस्याओं एवं महत्वकाङ्क्षाओं की पूर्ति के संदर्भ में आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श की आवश्यकता रहती है अतः किशोर एवं किशोरी को सभी प्रकार से ऐसी शिक्षा तथा समायोजन सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिनसे उनका अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास हो सके।

व्यवितत्त विकास बीयरस्टेट (१९७०) के अनुसार, ”व्यवितत्त कभी बना-बनाया नहीं आता है।” किसी व्यवित के व्यवितत्त का विकास में समाजीकरण की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यवितत्त का विकास कोई जैविक प्रक्रिया है। व्यवितत्त जन्म से ही अपने गुणों को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि माता-पिता, परिवार एवं समाज के सदस्य के रूप में वह धीरे-धीरे अर्जित करता है।

भारतीय मनीषियों की दृष्टि में व्यवितत्त विकास वैदिक युग से ही भारतीय मनीषी चरित्र की शुद्धता तथा सदाचरण पर विशेष बल देते हुए परिलक्षित होते हैं। मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने जैतिकता, आस्तिकता, सदगुण एवं बौद्धिकता से युक्त श्रेष्ठ व्यवितत्त की कामना की है। वेदों में सुदृढ़ व्यवितत्त के लिए आत्म-बल को आवश्यक माना गया है। आत्मबल व्यवितत्त का वह श्रेष्ठ गुण है जिससे व्यवित अपनी समरत कामनाएँ पूर्ण करने के साथ ही ख्यां को श्रेष्ठता के शिखर पर स्थापित कर सकता है।

अतएव ऋषियों ने मनुष्यों को तेजरवी बनने हेतु प्रेरित किया है। ऋषियों ने 'मन' को व्यवितत्त का निर्माता माना है। व्यवित के मन का अध्ययन करके उसके सम्पूर्ण व्यवितत्त का निर्धारण किया जा सकता है। 'मन

चेतनाखरूप है वह शरीर में आत्मा रूप में स्थित रहता है। व्यवितत्त को प्रभावित करने वाले मानसिक गुण बुद्धि, विज्ञन, तर्कदामता, अनुभूति, कल्पना, द्रुढ़ इत्यादि मन के विषय हैं। हृदय में उत्पन्न होने वाला सद्विचार समृद्धि का हेतु होने के साथ ही व्यवितत्त को श्रेष्ठता प्रदान करता है। सदविचारों के साथ ही 'संयम' को वैदिक ऋषियों ने विशेष महत्त्व दिया है। भारतीय आचार्यों तथा दार्शनिकों ने तीन गुणों के आधार पर व्यवितत्त को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया है। सांख्य दार्शनिकों ने सत्य रजस एवं तमस् तीन गुणों की सत्ता स्वीकार की है। सत्त्व गुण हल्का एवं प्रकाशक, र्जोगुण प्रवृत्तिशील अर्थात् चंचल होने से उत्तेजक तथा तमस् गुण भारी होने से अवरोधक अर्थात् नियमन करने वाला होता है।

किशोरावस्था में व्यवितत्त विकास - विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने व्यवितत्त को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास से जोड़ा है। अतः व्यवित का व्यवितत्त विकास उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के समूह को कह सकते हैं।

किशोरावस्था में शारीरिक विकास - किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं का शारीरिक विकास दुतगति से होता है। शरीर के बाहरी एवं आन्तरिक अंगों का पर्याप्त विकास होता है तथा उसमें परिपवर्पता भी आती है। शरीर के सभी अंग इस अवस्था में पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में बालकों एवं बालिकाओं के शरीर के भार में वृद्धि होती है, लगभग तेरह वर्ष की अवस्था में बालक एवं बालिकाओं की लम्बाई तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। यह कहना कठिन है कि इनकी लम्बाई किस आयु तक अपनी अधिकतम सीमा पर पहुँचती है। किशोरावस्था में किशोरों की लम्बाई में वृद्धि पहले होती है फिर उनके भार में वृद्धि होती है। लगभग पन्द्रह वर्ष की अवस्था तक लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक भारी होती है परन्तु इस आयु स्तर से लड़कियों की अपेक्षा लड़के भार में अधिक होने लगते हैं। इस अवस्था में हड्डियाँ पूरी तरह से

मजबूत हो जाती है तथा माँसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। बारह वर्ष की आयु में माँसपेशियों का भार कुल शरीर के भाग का लगभग ३३: और १६ वर्ष की आयु में लगभग ४४: होता है। बालकों एवं बालिकाओं में लैंगिक लक्षणों का विकास पूर्ण हो जाता है, वे लैंगिक परिपवर्ता को प्राप्त कर लेते हैं।

किशोरावस्था में मानसिक विकास - इस अवस्था में शारीरिक विकास एवं परिवर्तन की तरह मानसिक विकास व परिवर्तन भी तेजी से होता है। तुडवर्थ के अनुसार, "मानसिक विकास १५ से २० वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है।" किशोरावस्था में मानसिक विकास के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं बृद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है।

मानसिक योग्यताओं का रूप निश्चित, सोचने, समझने, विचार करने, अन्तर करने तथा कठिनाईयों में समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है। किशोरों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में पर्याप्त विकास हो जाता है।

किशोरावस्था में चिन्तन, तर्क, स्मरण एवं कल्पना शृंखित के विकास के साथ-साथ पढ़ने-लिखने की योग्यता में वृद्धि तथा भाषा विकास द्रुत गति से होता है। किशोरावस्था में रुचियों का विकास बड़ी तीव्रता से होता है जिसमें वे समूहों में खेलने, साहसिक कार्यों में रुचि तथा बालिकाओं में संगीत-नृत्य आदि में रुचि लेने लगती है। किशोरावस्था कल्पनाओं की अवस्था होती है अतः इस अवस्था में कल्पना शृंखित का विकास बहुत तीव्र गति से होती है। किशोरावस्था में चिन्तन की क्षमता विकसित हो जाती है अतः वे प्रत्यक्षा निरीक्षण के आधार पर असूर्त चिन्तन करने लगता है। चिन्तन एवं विचार-शृंखित की सहायता से वे समस्याओं का समाधान हूँड़ने तथा उनकी आलोचना तथा व्याख्या भी करने लगता है। किशोरावस्था में बहुमुखी रुचियों का भी विकास होने लगता है ये रुचियाँ, शारीरिक, मानसिक, भोजन, वस्त्र, जीवन

आदर्शा, व्यवस्था, अध्ययन, चरित्र, धार्मिक-सामाजिक, कला आदि से सम्बन्धित होती है।

किशोरावस्था में सामाजिक विकास - किशोरावस्था यौव आरम्भ होने और वयस्क होने के बीच का संक्रमण काल होती है। इस काल में बालक में शारीरिक तथा मानसिक सभी दृष्टियों से एक तीव्र बदलाव की स्थिति आती है, उसी के अनुरूप एक विशेष सामाजिक समायोजन सम्भव होता है। क्रो एवं क्रो ने लिखा है- "जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका दूसरों के दृष्टिकोण में, न केवल उसके अनुभव में परिवर्तन होते हैं बल्कि किशोर के सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों में परिवर्तन होने लगते हैं।" किशोरावस्था में मित्रों से सम्बन्ध गहरे और स्थाई के साथ-साथ समाज के मूल्यों, परम्पराओं को महत्व तथा उनके प्रति निष्ठा प्रदान करने लगते हैं। वे सामाजिक रीति-रिवाजों, धार्मिक कार्यों में संलग्नता, पूजा-पाठ आदि सामाजिक कार्यों के साथ-साथ उसमें नेतृत्व तथा राजनीतिक कार्यों में भी संलग्नता का विकास होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के निम्नलिखित रूपरूप परिलक्षित होते हैं :-

- समूहों का निर्माण
- समूहों के प्रति निष्ठा एवं श्रवित
- मित्रता की भावना का विकास
- सामाजिक घेतना का विकास
- सामाजिक परिपवर्ता का विकास
- व्यावसायिक रुचियों का विकास
- नेतृत्व का विकास
- राजनीतिक दलों से प्रभावित होना
- विभिन्न प्रकार के समाज का महत्व

माता-पिता का किशोर के व्यवितत्व विकास में भूमिका - किशोर की व्यवितत्व विकास में माता-पिता का महत्वपूर्ण स्थान है; क्योंकि परिवार बच्चे की सबसे पहली शिक्षा संरक्षा है और उसकी माँ सबसे पहली शिक्षिका। व्यवितत्व में न केवल शारीरिक गुण वरन् मनोवैज्ञानिक

गुण भी निहित रहते हैं। व्यवित के विभिन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुण मिलकर उसके कुल व्यवितत्व की रचना करते हैं। इस प्रकार से व्यवितत्व के प्रत्यय में स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, तेशभूषा, वाणी जैसे अनेक शारीरिक गुण तथा मैत्रीशांत, परोपकार, समाजसेवा, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र जैसे अनेकानेक मनोवैज्ञानिक गुण समाहित रहते हैं। केवल शारीरिक गुणों या केवल मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यवितत्व के सम्बन्ध में कुछ कहना, व्यवितत्व के अद्यूरे पक्ष को प्रस्तुत करना होगा। रुथ वेनेडिक्ट के अनुसार, माता-पिता से उनकी सन्तानों में विविध गुणों का संचरण है।

किशोरों के व्यवितत्व विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों से माता-पिता की सीधा सम्बन्ध है। माता-पिता की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका व्यवितत्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता-पिता की शिक्षा, उसके व्यवितत्व सम्बन्धी गुण, संवेगात्मक और सामाजिक व्यवहार उनके आपसी सम्बन्ध, रुचि और अभिलहि तथा चरित्र का बच्चों के व्यवितत्व विकास पर प्रभाव पड़ता है। माता-पिता की उपस्थिति-अनुपस्थिति का भी प्रभाव व्यवितत्व विकास पर पड़ता है। इन सबका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव व्यवितत्व विकास पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त किशोरों के व्यवितत्व विकास पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पिता की अनुपस्थिति का प्रभाव भी पड़ता है पिता की अनुपस्थिति बालक के समाजीकरण और विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। बच्चों के व्यवितत्व के विकास पर सबसे पहला और स्थायी प्रभाव उसके माता-पिता का होता है। परिवार में जन्म, आई-बछनों में बालक-बालिका का स्थान, परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति, बच्चों के प्रति माता-पिता का व्यवहार, व्यवसाय आदि अनेक बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। किशोरावरस्था में बालक अपने माता-पिता अथवा माता-पिता स्वरूप अपने संरक्षक के साथ जो व्यवहार करते हैं। वे एक

सामाजिक अन्तःसम्बन्धों के अन्तर्गत होता है। इसमें अलग-अलग परिस्थितियों का समावेश होता है। कुछ परिस्थितियों में बालक को दोषी करार दिया जाता है जबकि कुछ अवस्थाएँ माता-पिता की ओर से बालक के व्यवितत्व व्यवहार को प्रभावित करती है जिससे बालक के व्यवितत्व विकास के साथ-साथ उनके व्यवहार को भी प्रभावित करती है।

शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत बालक सत्य के आधार पर अहिंसा द्वारा प्रेमपूर्वक जीवनरापन करना सीखें। शिक्षा से ऐसा मनुष्य बनाना है जो स्वयं स्वच्छ से शाश्वत मल्यों के पालन का प्रयास करे, जिससे व्यवित, समाज सभी का कल्याण सम्भव हो। इसके लिए शिक्षा द्वारा व्यवित की आत्मा जागृत करना आवश्यक है, जिसके लिए आध्यात्म की आवश्यकता है। भारतीय सविधान नैतिक मल्यों की अमल्य निधि है। भारतीय सविधान की प्रस्तावना में जो मल्य बताए गये हैं उन्हें शिक्षा द्वारा छात्रों के जीवन में उतारा जा सकता है। वे मल्य हैं जो प्रजातन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ज्याय, सहिष्णुता, व्यवित की गरिमा, विचार, अभिव्यवित, ईमानदारी उपकार, तिनम्भता, अहंकार, निख्वार्थता, समझाव, मन, वचन, कर्म की एकता के गुण होते हैं। इन्हीं मूल्यों को छात्रों को अपने जीवन में उतारना है। बालक को मूल्यप्रक शिक्षा देनी चाहिए।

मूल वह सिद्धांत है जो किसी सभ्य संरक्षति वाले समाज की आधार नींव डालते हैं। हमारे जीवन को आनंदमय, सुखदारी बनाने में मूल्यों का महत्व अतुलनीय है। वर्तमान में यह एक ज्वलंत एवं चिन्ता का विषय बन गया है कि हमारे मूल्यों का इस दिन-प्रतिदिन हमारे कार्यों में साफ दिखाई दे रहा है समाज मूल्यांकीन दिखाई पड़ रहा है। ”राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में भी विद्यालयी शिक्षा के सभी रूपों पर मूल्यों के विकास की बात कही गयी है। प्रश्न उठता है कि मूल्यों के विकास हेतु पाठ्यक्रम का कौन निर्माण करें? कैसे हों? उसका क्रियान्वयन कौन करें? नि:सन्देह यह सारे कार्य अध्यापकों

द्वारा ही किये जा सकते हैं परन्तु इसके लिये अध्यापकों में स्वयं के लिये वांछित मूल्यों की रक्षापना होनी आवश्यक है तभी वे अपने विद्यार्थियों में उन मूल्यों के विकास के प्रति तत्पर हो सकेंगे। जब तक उनके जीवन में मूल्यों का कोई स्थान नहीं होगा, मूल्यों के प्रति अनुभूति नहीं होनी तब तक वे मूल्यों की समुचित शिक्षा विद्यार्थियों को नहीं दे सकेंगे और उन्हें कुसंगति, भ्रष्टाचार, लक्ष्य विहीनता आदि बुराइयों से नहीं बचा सकेंगे। आज भारत के युवा वर्ग को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो उनमें सामाजिक, नौंतिक, सांख्यिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने को प्रेरित करें तथा वे मानवता पर खरे सिद्ध हो सके, निःसन्देह विद्यार्थियों में इस प्रकार के मूल्यों को रक्षापन करने के लिये शिक्षकों को तैयार करना पड़ेगा यदि हमारे शिक्षक ऐसे मूल्यों से युवत होंगे तभी वे सशक्त हो सकेंगे और अपने विद्यार्थियों में मूल्यों का प्रस्फुटन कर सकेंगे।

आज भारतीय समाज में लोगों द्वारा जिस प्रकार के व्यवहार का प्रकटीकरण किया जा रहा है उससे ऐसा आभास हो रहा है कि नौंतिक मूल्य विलुप्त होते जा रहे हैं समाज मूल्यहीन दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि आज भौतिक प्रकृति के बावजूद भी देश को अराजकता की स्थिति से बुरजा पड़ रहा है क्षेत्रवाद, भाषावाद, भ्रष्टाचार, सम्प्रदायवाद, आंतकवाद जैसे विवादों को बढ़ावा देकर क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीयता के भाव को कुण्ठित किया जा रहा है। मूल्य आधारित शिक्षा किसी भी समाज एवं राष्ट्र को किसी भी प्रकार की बुराई, हिंसा, भ्रष्टाचार तथा उत्पीड़न के खिलाफ आधार प्रदान करती है। प्राचीन काल के महर्षि वरशिष्ठ, विश्वामित्र, सान्दीपन एवं चाणक्य जैसे मूल्यों से युवत अध्यापकों ने ही श्री राम, श्री कृष्ण एवं समाट चन्द्रगुप्त जैसे विद्यार्थियों को उत्पन्न किया अध्यापकों को अपने व्यवहार से जन सामाजिक जीवन में मूल्यों के सम्बोधन हेतु एक प्रेरक का कार्य करता है इस कारण से अध्यापकों का

जीवन मूल्यों से युवत होना अति आवश्यक है आज के सन्दर्भ में यह औचित्य और बढ़ जाता है सन्त कबीर दास जी ने भी कहा है - ”गुरु गोविन्द दोउ खड़े काके लागूं पैंया। बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दिए बताया॥” इसमें कबीर दास जी ने यह सन्देश दिया कि यदि गुरु (शिक्षक) गुणवान् (मूल्यों से युवत) है तो वह अपने शिष्य को ईश्वर की पहचान करा सकता है। ”गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि गढ़ि कालै खोट। अन्दर हाथ सहर दे, ऊपर वारे चोट॥”

शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिसके अन्तर्गत बालक सत्य के आधार पर अहिंसा द्वारा प्रेमपूर्वक जीवनयापन करना सीखें। शिक्षा से ऐसा मनुष्य बनाना है जो स्वयं स्वच्छ से शाश्वत मूल्यों के पालन का प्रयास करे, जिससे व्यवित, समाज सभी का कल्याण सम्भव हो। इसके लिए शिक्षा द्वारा व्यवित की आत्मा जागृत करना आवश्यक है, जिसके लिए आध्यात्म की आवश्यकता है।

अर्थात् एक गुणवान् गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान जिस प्रकार एक कुम्हार अच्छे घड़े के निर्माण के लिये अन्दर से हाथ का सहरा देकर ऊपर से बार-बार पिटता है और उसमें बची हुई मिट्टी को निकाल देता है। इसी प्रकार एक गुणवान् गुरु अपने शिष्य में अच्छे जीवन मूल्यों को विकसित कर लेता है और अवांछित बुराइयों को उसमें से निकाल देता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा के माध्याम से छात्र-छात्राओं को मूल्यों की शिक्षा दी जाय और यह आवश्यक रूप से सिखाया जाय कि शिक्षा प्राप्त करके वही व्यवित समाज में स्थान पा सकता है जो मूल्यों के प्रति अपनी आस्था तथा विश्वास कार्यम करें।

निष्कर्ष : अध्यायों के आधार पर कहा गया है कि किशोरावस्था समस्याओं की आयु है। किशोरों की समस्यायें परिवार, विद्यालय, रक्षाय, मनोरंजन, भविष्य, व्यवसाय, विपरीत लिंग के लोगों आदि से सम्बंधित हो सकती हैं। ये समस्यायें अर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक आदि किसी भी स्तर की हो सकती हैं। किशोरावस्था

को समस्याओं की आयु इसलिए कहा जाता है कि बालक अपने माता पिता सरंक्षकों और अध्यापकों आदि के लिए एक समस्या होता है। अतः उसमें विन्ता, उत्सुकता, अनिश्चितता और श्रान्ति के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। किशोरावस्था के अन्त तक अधिकांश समस्यायें धन, सेवस या शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में ही होती हैं। किशोरावस्था में आयु बढ़ने के साथ - साथ किशोर अपनी समस्याओं का समाधान करना रखयं सीखते जाते हैं। फलस्वरूप वे समय व्यतीत होने के साथ - साथ समायोजन में अच्छे और खुशहाल होते जाते हैं।

आज का अध्यापक यह प्रयत्न करता है कि छत्र रखयं ही किसी बात का निरीक्षण करे उस पर विचार करे और तत्सम्बन्धी निष्कर्ष निकालें। अतः शिक्षा का अर्थ अग्रसर करना या मनुष्य के गुप्त गुणों को प्रकाश में लाना है अन्य शब्दों में शिक्षा मनुष्य की विविध शारीरिक मानसिक और नैतिक शावितयों के उत्पादन और विकास की एक कला है।

इस प्रकार शिक्षा रवाभाविक विकास के परिवर्तन में निहित होती है यह परिवर्तन शिक्षा के परिणाम के कारण उस परिवर्तन से भिन्नता रखता है जो शिक्षा के अभाव में हुआ होता है। एडिसन के अनुसार “शिक्षा मानव स्थितिष्ठ की प्रत्येक छिपी तिषेषता और पूर्णता को प्रकाश में ला देती है जो ऐसी सहायता के बिना कभी भी प्रकट होने में समर्थ नहीं हो सकती थी।”

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

१. अरथाना, विपिन (२००१). मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
२. गुप्ता, डा० एस०पी०, गुप्ता, डा० अल्का (२०१२), उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ०-१०८।
३. पाठक, पी०डी० (२००८), शिक्षा मनोविज्ञान, विकास की अवस्थाएँ, आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन्स, पृ०-७३।
४. पाठक, पी०डी० (२०१२), शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा।
५. पाण्डे आर., (२०००), ”मूल्य शिक्षा के परिपेक्षा”, आर. लाल बुक डिपो मेरठ, पृ०-१७३।
६. मैनी, डी०. (२००७), ”मानव मूल्य - परक शब्दावली का विश्वकोष” खण्ड (पंचम), प्रकाशक प्रभात प्रभात कुमार शर्मा द्वारा सरल एण्ड सन्स, नई दिल्ली।
७. मृदुला शर्मा (१९९७), विचाराद्वारा मूल्य और शिक्षा का पारस्परिक संबंध, परिप्रेक्ष्य, वर्ष २ अंक १।
८. साहनी, मधु (२००१), माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मूल्यों का अध्ययन, परिप्रेक्ष्य, वर्ष १६, अंक २, अगस्त।



बालकों के सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका

सुलोचना कुमारी

शोधार्थी गृह विज्ञान विभाग एल०एन०एम०य००, दरभंगा।

Corresponding Author- सुलोचना कुमारी

Email-sulochnakumari324@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7519333

सारांश :- शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक एवं परस्पर संबंधित हैं। वस्तुतः इनका संबंध पारस्परिक कारण और परिणाम का है क्योंकि जैसा समाज होता है वैसी ही शिक्षा होती है और जैसी शिक्षा होती है, वैसा ही समाज होता है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में शिक्षा समाजिक नियंत्रण, व्यवितत्व निर्माण तथा सामजिक आर्थिक प्रगति का मापदंड होती है। शिक्षा मानव विकास का प्रारंभिक युग से लेकर वर्तमान युग तक मानव के जीवनपर्यन्त मूलभूत आवश्यकता बनी हुई है। वर्तमान परिषेक्ष्य में शिक्षा का रूपरूप में जो परिवर्तन हुआ है, उसका उद्देश्य मूलरूप से तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक सफलता आर्जित करना रह गया है। हम शिक्षा में किस तरह मानवीय दृष्टिकोण मूल्यों को समाहित करें, कि शिक्षा का वर्तमान परिषेक्ष्य का निर्माण हो सके एवं शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। और समाज के सभी वर्गों के लोगों को समानता एवं अधिकारों की प्राप्ति हो सके। इस परिषेक्ष्य को शोधकर्ता ने प्रस्तुत करने का प्रयास शोधपत्र में किया है।

कुंजी :- शिक्षा, समानता, विकास, समाज, व्यवितत्व निर्माण।

प्रस्तावना :- शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य इस प्रक्रिया में उद्भव से अवसान तक शानौः शानौः निरन्तर ज्ञान, अनुभवों, कौशलों एवं व्यवसायिक दक्षताओं को अपनी रुपी, योग्यता, वातावरण, सुविधा, आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार सीखता एवं अर्जित करते जाता है। प्राचीनकाल में शिक्षा प्राप्ति के लिए आश्रम पढ़ति संबंधी व्यवस्था अनुपम थी। प्रकृति के गोद में समर्थ व्यवधान से दूर कर्मशील, योग्य एवं ज्ञानी गुरुओं द्वारा शिक्षा ग्रहण करना सुखद एवं सफल रहा है।

गुरुकुल आश्रम प्रणाली प्राचीन काल की शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता थी। इसके अनुसार विद्यार्थी को दीर्घकाल तक गुरुगृह में रहकर विद्या अध्ययन करना पड़ता था। आवार्य का आश्रम बरती से बाहर प्रकृति के शांत, एकांत और सुरम्य वातावरण में स्थित होता था। आश्रम में सभी शिक्षार्थी आपस में भाई-भाई की तरह रहकर

शिक्षा प्राप्त करते थे। वे आपस में गुरु-भाई होते थे तथा आश्रम परिवार के एक सदस्य होते थे। आचार्यों का जीवन तथा रहन-सहन सीधा-सरल एवं विचार उच्च होते थे, जिनका प्रश्नाव सीधे शिक्षार्थी पर पड़ता था।

शिक्षा के द्वारा मनुष्य की अन्तर्निहित क्षमता को विकसित कर उसे एक योग्य, कुशल और सक्षम व्यवित बनाया जा सकता है जो अपनी क्षमता और कौशल द्वारा समाज को समृद्ध बनाकर उसे उत्कृष्ट दिशा में ले जाने का कार्य सकता है। अब व्यवित शिक्षित नहीं होंगे, तो उनका न तो चारित्रिक विकास हो पायेगा और न वे किसी कौशल क्षमता से सम्पन्न हो सकेंगे। ऐसे लोग समाज को उत्कर्ष की ओर नहीं ले जा सकते। संभव है शिक्षा के बिना अज्ञान के अंधकार में भटकता व्यवित न केवल समाज के लिए, बल्कि खतरा के लिए भी खतरा बन जाय।

शिक्षा द्वारा कौशल विकास व्यवित को आत्मनिर्भरता प्रदान करता है और समाज को समृद्धिशाली बनाता है। इसीलिए हमारी सरकार आजकल शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा व्यवित के कौशल विकास पर काफी जोर दे रही है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास की दिशा में अधिक कारबर सिद्ध होती है, जबकि वैज्ञानिक शिक्षा वैज्ञानिक खोजों आविष्कारों के मार्ग को प्रशस्त करने के साथ-साथ वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित कर अंदाविश्वासों और आस्थामूलक अविवेकपूर्ण नकारात्मक रीति-रिवाजों से व्यवित को मुक्त करने में भी सहायक होती है।

गॉदी जी का मानना था कि सत्त्वी शिक्षा वह है जिससे व्यवित की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शवितयों का विकास हो। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है- मनुष्य के शरीर, मरितष्क और आत्मा में से उत्तम तत्वों का विकास करना। शारीरिक और मानसिक शवितयों के विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा उपयुक्त होती है और आध्यात्मिक शवित के विकास के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक शवित के विकास का अर्थ है- आत्मा में निहित उत्तम तत्वों का विकास। आत्मा सदगुणों का आश्रयरथल है। आत्मा के जागृत होने पर दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, ज्याय आदि नैतिक सदगुण सक्रिय होकर व्यवित के जीवन में चरितार्थ होने लगते हैं। नैतिक शिक्षा द्वारा नैतिक चेतना जगाकर व्यवित को नैतिक सदगुणों और नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इसलिए नैतिक शिक्षा को सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की आवश्यकता आजकल सभी कोई मछूस कर रहे हैं। मूल्यों के क्षण की इस घटी में नैतिक शिक्षा एक अद्वृक दत्ता का काम कर सकती है।

जब कोई समाज-व्यवस्था विकृत हो जाती है, वह ठीक से काम नहीं करने लगती

है और समाज निर्माण के मलबूत उद्देश्यों से भटक जाती है, तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे समाज-परिवर्तन कहते हैं। इस समाज परिवर्तन के लिए शिक्षा अत्यावश्यक होती है। डॉ. अम्बेडकर ने समाज-परिवर्तन में शिक्षा की महती भूमिका को महसूस करते हुए दलितों (अब्दूतों) और पिछड़ों के उत्थान के लिए जिस चीज को सबसे अधिक आवश्यक माना था- वह शिक्षा ही थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा द्वारा ही पिछड़े वर्गों को अपने शोषण और वंचनाओं का ज्ञान होगा, उसके विरुद्ध एकजुट होने की प्रेरणा मिलेगी और अपनी असिता स्थापित करने के लिए संघर्ष करने का उत्साह प्राप्त होगा। शिक्षा निस्संदेह सामाजिक क्रांति का एक आवश्यक उपकरण है।

बायड एवं बोड का कथन है- "समाज और शिक्षा का एक-दूसरे से पारस्परिक कारणों और परिणाम का संबंध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है और इस व्यवस्था का स्वरूप समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है।

शिक्षा और समाज की अन्योन्याश्रितता इस प्रकार देखी जा सकती है कि पहले प्राचीन समय में आदर्श एवं मूल्यों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था जिससे प्रत्येक व्यवित आदर्श से युवत होता था, परंतु आज जहां शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी को महत्व दिया जाने लगा है जिससे नैतिक मूल्यों का स्थान गौण हो गया है। अतः समाज के व्यवितयों में भी मूल्य विकसित होने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा, धन लोलुपता इत्यादि की भावनाएं बढ़ी हैं।

इसी प्रकार शिक्षा भी समाज पर निर्भर होती है। उदाहरणार्थ- भारतीय समाज में जनतंत्रीय आदर्शों को स्वीकार किया है। फलस्वरूप यहां की शिक्षा में भी यहीं प्रयास किया जाता है कि सब व्यवितयों को बिना किसी

भेदभाव के जनतंत्रीय आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए।

समाज, समाजशास्त्र तथा शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए, प्रत्येक समाज अपनी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार से नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर लें तथा उसके सभी व्यवित उपयोगी सदस्य बन जाएं। यह महान् कार्य उसी समय पूरा हो सकता है जब समाज के सभी व्यवित उसके आदर्शों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए उसके साथ अनुकूलन कर सके। शिक्षा इस संबंध में सहायता कर सकती है। यही कारण है कि समय तथा परिस्थिति के अनुसार समाज यह निश्चित करता है कि व्यवित को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे वह उपयोगी और श्रेष्ठ सदस्य बनकर समाज को सबल, सृदृढ़ तथा शवितशाली बना सके। स्पष्ट है समाज शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। दूसरे शब्दों में, समाज अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों के अनुसार शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करता है।

शिक्षा तथा समाज का अटूट संबंध है। हम देखते हैं कि जब भी किसी समाज ने शिक्षा की व्यवस्था की है उसने सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। दूसरे शब्दों में, जिस समाज में जैसे आदर्श होंगे वहाँ की शिक्षा भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप होगी। यही कारण है कि यदि किसी समाज के आदर्श किसी कारण से बदल जाते हैं तो वहाँ की शिक्षा भी बदले हुए आदर्शों के अनुसार तुरंत बदल जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न समाजों में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की गई और अब भी की जा रही है। यह बात कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट की जा रही है :

प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज - प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में धर्म का बोलबाला था। अतः शिक्षा भी धार्मिक थी। दूसरे शब्दों में, यूँकि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज धर्म प्रधान था, इसलिए उस समाज में धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्यवित के धार्मिक तथा चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था।

आधुनिक समाज - आधुनिक समाज पर विज्ञान का विशेष प्रभाव है। अतः शिक्षा के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यवित की चिंतन, तर्क और निर्णय आदि मानसिक शक्तियां पूर्णरूपेण विकसित हो जाएं। ध्यान देने की बात है कि तर्तमान समाज के विभिन्न रूप हैं। प्रत्येक समाज अपने-अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। निम्नलिखित पंचितयों में हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि विभिन्न समाजों में शिक्षा का संबंध किस-किस रूप से दिखाई देता है।

आदर्शवादी समाज - आदर्शवादी समाज में विचार तथा बुद्धि को विशेष महत्व देते हुए आध्यात्मिक विकास के आदर्श को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अतः ऐसे समाज की शिक्षा में चरित्र गठन तथा नैतिक विकास पर बल दिया जाता है।

शौतिकवादी समाज - शौतिकवादी समाज में शौतिक संपन्नता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसे समाज में नैतिक आदर्शों, आध्यात्मिक मूल्यों, चरनात्मक कार्यों तथा विवेक आदि के विकास को कोई स्थान न देते हुए शिक्षा की व्यवस्था केवल शौतिक सुखों की उन्नति के लिए की जाती है जिससे समाज धन्यवाद से परिपूर्ण हो जाए।

प्रयोजनवादी समाज - प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि सत्य सदैव देश, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उसके अनुसार सत्य की कसौटी उसका पुनर्जीवन है। अतः यदि कोई सत्य यदि किसी परिस्थिति में सत्य नहीं होता, तो वह असत्य है। यूँकि प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य परिवर्तनशील है,

इसलिए प्रयोजनवादी समाज में विवार की अपेक्षा किया तथा बुद्धि की अपेक्षा परिस्थिति को अधिक महत्व देते हुए शिक्षा की व्यवस्था नवीन मूल्यों के निर्माण हेतु की जाती है।

फासिस्ट समाज - फासिस्ट समाज में राज्य को मुख्य तथा व्यवित को गौण स्थान दिया जाता है। ऐसे समाज में व्यवित से आशा की जाती है कि वह राज्य के हित में अपने जीवन की आहुति देने में भी संकोच न करें। इस दृष्टि से ऐसे समाज में शिक्षा की व्यवस्था केवल ऐसे व्यवितों के लिए ही की जाती है जो अपने हित को त्याग कर समाज की सेवा करते रहे। ध्यान देने की बात है कि ऐसे समाज पर एक ही व्यवित अपने शावित के बल पर शासन करता है। हिटलर तथा मुसोलिनी ऐसे शासकों के उदाहरण हैं। अतः ऐसे समाज में जन-संघारण की अपेक्षा केवल प्रतिभाषाली व्यवितों को ही मान्यता दी जाती है और केवल प्रतिभाषाली बालकों को शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। दूसरे शब्दों में, फासिस्ट समाज के अंतर्गत प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर नहीं मिलता। शासक को पूर्ण अधिकार होता है कि वह शिक्षा का स्वरूप अपनी इच्छानुसार जैसा चाहे वैसा निर्धारित करें। विरोध करने वालों को कठोर दंड अथवा मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस प्रकार फासिस्ट समाज में शिक्षा बल तथा आदेश द्वारा प्रदान की जाती है। बालकों को छोटी-छोटी शूलों पर कड़े से कड़ा दंड दिया जाता है। गत वर्षों में जर्मनी, इटली जापान फासिस्ट थे। वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था उत्तर सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए की जाती थी।

जनतंत्रवादी समाज - जनतंत्रवादी समाज में व्यवित के व्यवितत्व को विशेष महत्व दिया जाता है। हूंकि जनतंत्र वह आदर्श है जिसमें प्रत्येक व्यवित को एक सुखी, संपन्न तथा समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए जनतंत्रवादी समाज में प्रत्येक व्यवित को चिंतन तथा मनन करने की पूर्ण स्वतंत्रता

होती है। प्रत्येक व्यवित से यह आशा की जाती है कि वह ऐसे कार्य करे जिनसे सबका भला हो। ऐसे समाज में एक व्यवित दूसरे व्यवित का आदर करता है तथा प्रत्येक व्यवित एक-दूसरे के विकास में बाधक सिद्ध न होकर मेल-जोल के साथ रहते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलता है जिससे समाज दिन-प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहे। अप्ट है जनतंत्रवादी समाज में प्रत्येक व्यवित की स्वतंत्रता, सबके समान अधिकार तथा वैयवितक और सामृद्धिक जीवन में विश्वास आदर्श को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती कि प्रत्येक बालक को उसकी लंगियों, झज्जानों, योव्याताओं तथा क्षमताओं के अनुसार विकसित होने के लिए ऐसे अवसर मिलते रहे कि उसमें अच्छी आदतें, सामाजिक गुण, प्रेम, सद्भावना, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति, आत्म-अनुशासन तथा कर्तव्यपरायणता आदि जनतांत्रिक गुणों का विकास हो जाए।

इसी प्रकार शिक्षा यदि समाज के सदस्यों को उपर्युक्त व्यवसायों का वयन करने में सहायता देती है, तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाज विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक संस्थाओं का संचालन करता है। प्रत्येक समाज की शिक्षा प्रणाली उसके आदर्शों आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं एवं विवरणाराओं के अनुसार होती है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वास्तव में एक के बिना दूसरे का काम चलना कठिन है। समाज अपने हितों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करता है। शिक्षा समाज के पुराने विचारों का समर्थन कर उसकी नव निर्माण में सहायता देती है।

भारत का हर बच्चा और नागरिक, शिक्षित हो यह सपना है, जिसे आधुनिक भारत के निर्माताओं ने देखा था। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा रामगोहन

राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, मठनमोहन मालवीय, अली बंधु, जाकिर हुसैन, डॉ. श्रीमरात अंबेडकर, डॉ. राममनोहर लेहिया आदि आधुनिक भारत के सभी युगपुरुषों व युगमंडिलाओं ने शिक्षा पर जोर दिया और इस दिशा में प्रयास किए। लेकिन अफसोस है कि यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ और निकट भविष्य में भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है।

किसी भी देश के सारे नागरिकों का शिक्षित होना, उस देश के विकास की पहली शर्त है। इस पर लगभग आम सहमति है। विचारधारा कोई भी हो-सम्यवादी, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी या नव-उदारवादी सब इस एक मुद्दे पर सहमत हैं। शिक्षा कैसी हो, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है। इसीलिए भारत के संविधान में दस वर्ष के अंदर देश के सारे बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बावजूद देश आजाद होने के लगभग ६६ वर्ष बीत जाने पर भी यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। शायद सरकारों में बैठे लोग भारत का शासक वर्ग नहीं चाहते हैं, कि देश के सारे बच्चे भलीभांति शिक्षित हों। विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय ताकतों ने इसमें दखल देकर मामले को और जटिल बनाया है।

सरकार काफी जोर-शोर से 'सर्व शिक्षा अभियान' चला रही है और उसमें काफी पैसा भी खर्च कर रही है। इसके पहले जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) और साक्षरता अभियान भी चला है। काफी कमियों के बावजूद आखिर उनसे हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद ही मिली है। इन परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को उनके सीमित दायरे में देखेंगे, तो उनकी कई उपलब्धियाँ नजर आएंगी और कमियों के बारे में लगेगा कि उन्हें दूर किया जा सकता है। लेकिन हमें उन्हें सम्पूर्णता में भारत की शिक्षा की पूरी तर्कीर के साथ देखना होगा। उन्हीं के साथ भारत में नवउदारवादी नीति के तहत शिक्षा

में भी निजीकरण और शिक्षा का बाजार बनाने का काम जोरशोर से शुरू हुआ। देश के सारे बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी से सरकार पीछे हटने लगी। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर उपेक्षित करने, बिगड़ने और उसके मानदंडों को हल्का करने का काम भी इसके साथ ही हुआ। साक्षरता को रकूली शिक्षा के विकल्प के रूप में भी पेश किया गया। पूरे शिक्षाकों एवं सुविधाओं से युवत व्यवस्थित शालाओं के स्थान पर एक-दो शिक्षाक वाली 'शिक्षा गारंटी शाला' तथा प्रशिक्षित-स्थारी शिक्षाकों के स्थान पर पैरा-शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति भी इसी अवधि में हुई।

निष्कर्ष :- शिक्षा समाज का एक संस्थागत भाग है वह समाज में तीन प्रमुख कार्य करती है। प्रथम वह आधुनिक समाज का तिष्ठलेषण करती है। द्वितीय वह उभरते हुए समाज को विनिःत करती है। तृतीय उन समस्त शवितरों को पहचानती है और मजबूती प्रदान करती है जो उभरते हुए समाज को साकार कर सके। शिक्षा के द्वारा व्यवित का सर्वांगीण विकास होता है। उत्तम शिक्षा ग्रहण करके ही व्यवित समाज का उत्तराधीय घटक बनता है। शिक्षा से ही व्यवित सही रूप में चिंतन करना सीखता है। शिक्षा समाज का दर्पण है बच्चे के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के द्वारा ही हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फूल खिल उठता है तथा सूर्य अस्त होने पर कुम्छला जाता है ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यवित कमल के फूल की तरह खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता तथा शोक एवं कष्ट के अन्धाकार में डूबा रहता है।

संरक्ष सूची

१. पाण्डेय, डॉ. रामशक्ति, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, विज्ञोद पुस्तक मंदिर, आगरा, २००८, पृ०सं०-४२९.

२. सरसेना, छण्ट रत्नव्य, संजय कुमार, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ, २०१३, पृ०सं-६६७.
३. गुप्ता, डॉ० अल्का, शिक्षाशास्त्र का आधार सामग्री, शारदा पुस्तक भवन, डलाहालाट, २०१७, पृ०सं-२०५.
४. सरसेना, छण्ट रत्नव्य, संजय कुमार, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ, २०१३, पृ०सं-६६९.
५. इंडिया ट्रूडे मासिक पत्रिका, नोएडा, नवम्बर २०१७
६. शर्मा, आर०ए०, भारतीय शिक्षा का विकास, २००७
७. आधुनिक भारतीय शिक्षा, अप्रैल २०१६, एनसीईआरटी
८. अद्यापक शिक्षा की शोध पत्रिका, २०१७, एनसीईआरटी
९. पाठक, पी०डी०, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, २००६



वैशिष्टक अर्थव्यवस्था में कामकाजी महिलाओं का योगदान

प्रियंका सागर

(शोधार्थी) गृह विज्ञान विभाग एल०एन०एम०य००, दरभंगा।

Corresponding Author- प्रियंका सागर

DOI- 10.5281/zenodo.7519340

सारांश :- आधुनिक भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। "हिन्दू फैमली इन दी जीशन" संक्रमण स्थिति में परिवार की चर्चा करते हुए कपाड़िया लिखते हैं : परिवार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं का नौकरी करना है, जो शिक्षा द्वारा तथा आज के आर्थिक दबाओं के कारण सम्भव हो सका है। दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक महिलाओं के लिए कोई भी वेतन वाली नौकरी करना अपमानजनक समझा जाता था। आज तो पुरानी पीढ़ी के लोग भी यह चाहते हैं कि शिक्षित बहुएं परिवार की आय बढ़ाने में सहायता दें। प्रमिला कपूर ने भी खप्ट किया है कि शिक्षित कामजी या कामकाजी पत्नियों की संख्या में वृद्धि की इस प्रत्यक्ष घटना की प्रमुख प्रेरणा के मूल में उनकी बढ़ती आर्थिक आवश्यकता है, जिससे कि इन्हें पारिवारिक आय में सहयोग देना होता है। विवाह त्रैंकि मात्र शून्य गठबन्धन नहीं, अपितु दो प्राणियों का मिलन है, जिन्हें रोटी कपड़ा और निवास के साथ साथ अन्य सभी शौकिक पदार्थ भी अनवरत, अनिवार्य रूप से चाहिए। अतः आर्थिक संकट की स्थिति में परिवार के लिए आवश्यक आर्थिक साधान जुटाने में पत्नी का योगदान अनिवार्य हो जाता है। विवाहित महिलाओं के काम के प्रति भी समाज का रवैया बदल गया है। रोस ने अपने अध्ययन "दि हिन्दू फैमली इन इट्स अर्बन सेटिंग" में यह खप्ट कर दिया है कि वर्यों पत्नी का वैतनिक काम दांदों में लगाना अब समाज में अनुचित नहीं माना जाता? वह लिखती है- "निः संदेह, इतनी संख्या में विवाहित महिलाओं का बिना विरोध के नौकरी कर सकने का मुख्य कारण यह है कि आज मध्य वर्ग की आर्थिक समस्या को सभी समझने लगे हैं, और यह भी समझने लगे हैं कि परिवार के रहन सहन का स्तर बनाये रखने के लिए पत्नी की कमाई बहुधा अनिवार्य हो जाती है।

कुंजी :- आधुनिक भारत, हिन्दू, अपमानजनक, शिक्षित, आर्थिक।

परिचय :- उत्पादन और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके पीछे बहुत से अदृश्य श्रम होते हैं। जिनके होने या न होने से जीडीपी के घटने व बढ़ने का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था में इस अदृश्य श्रम का कोई मूल्य निर्धारित नहीं है। जिस श्रम का मूल्य नहीं होगा वह अर्थव्यवस्था को कैसे चला सकती है? जीडीपी में उसकी भूमिका व्या हो सकती है? उत्पादन व विकास के इस अर्थतंत्र में यह अदृश्य श्रम हमेशा उपेक्षित ही रहा है।

हमारे देश में घरेलू महिलाओं के श्रम को इसी अदृश्य श्रम के अंतर्गत रखा गया जिसका न कोई मूल्य है न कोई मौल। जिसका न ही अर्थव्यवस्था में कोई योगदान है न ही जीडीपी में। जिसके कारण उसका श्रम सदैव उपेक्षित रहा और उनके काम को 'कुछ नहीं' के

रूप में पहचाना जाता है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि श्रम का महत्व उसके मूल्य से अधिक व्यवित की पहचान से जुड़ा है। श्रम के महत्व व मूल्य के आधार पर ही व्यवित की सामाजिक व पारिवारिक पहचान निर्मित होती है।

जेनेवा (आईएलओ समाचार)-एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल के काम में ४.१ गुना अधिक समय बिताती हैं। अच्छे काम के भविष्य के लिए केयर वर्क और केयर जॉब्स पर घट रिपोर्ट के अनुसार आईएलओ की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वैशिष्टक देखभाल संकट को टालने के लिए केयर इकोनॉमी में निवेश को दोगुना करने की जरूरत है।

नीतियों में व्यापक परिवर्तन देखभाल की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करना चाहिए और महिलाओं और पुरुषों की देखभाल

जिम्मेदारियों के बीच भारी असमानता से निपटना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि वैष्णविक रत्न पर महिलाएं अवैतनिक देखभाल के काम में बिताए गए समय के तीन-चौथाई से अधिक समय का प्रदर्शन कर रही हैं।

परिवार और समुदाय के पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अपनी और दूसरों की जिंदगी में अधिक परिवर्तन लाती हैं। इस बात को मान्यता देना सामाजिक नीति का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। सामाजिक नीतियां अवसर इस अनुमान पर आधारित होती हैं कि महिलाएं कुछ मायाओं में कमज़ोर होती हैं और उन्हें समर्थन की अधिक जरूरत होती है। ते खुद का बचाव नहीं कर सकती और पुरुषों और बाहरी दुनिया से कमतर होती है। लैकिन वास्तविकता में इसका एकदम उलट है - खासकर जब हम उन परिवारों या घरों की तरफ देखते हैं जहां गरीबी बहुत अधिक है।

ऐसे परिवारों की बुनियादी जरूरतों जैसे पानी, ईंधन, खाना और देखभाल का इंतजाम महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा अधिकतर घरों में महिलाएं ही सभी वस्तुएं जुटाती हैं - चाहे वह धन हो या कोई वस्तु। अकाल जैसी बिशितियों में जब खेत-खलिहान सूख जाते हैं और परिवारों को अन्न उपलब्ध नहीं होता तो अवसर महिलाएं ही परिवार का पेट भरने के लिए जुगत लगाती हैं- कंदमूल खोदती हैं, फल तोड़कर लाती हैं। परिवारों, समुदायों और समाज के जीवन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके आधार पर सामाजिक सहयोग की नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इस पर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का कहना है: 'हमें मानव जाति को योगी नहीं, ऐसा माध्यम समझना चाहिए जिनके जरिये प्रशाती कार्य संभव है: व्यवितरण और संयुक्त, दोनों रूपों से। हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी भूमिका मात्र उपशोवता या जरूरतमंद व्यवितरणों की है। इससे आगे बढ़ते हुए हमें व्यापक स्तर पर सोचना चाहिए कि ते परिवर्तन के वाहक हैं जो अन्न अवसर मिले तो सोच-समझकर, आकलन और मूल्यांकन करके, हल निकालकर, प्रेरक बनकर, उत्तेजित होकर और इन साधनों का उपयोग करते हुए दुनिया का रूप बदल सकते हैं।

महिलाओं को सामाजिक विकास नीतियों द्वारा सहयोग या समर्थन देने के मार्ग में अनेक बाधाएं रही हैं। सबसे पहली बाधा तो इन नीतियों को

समझाने के तरीके से उत्पन्न होती है। परिवारों पर १३७० के दशक की शुरुआत में, किए गए सर्वेक्षणों, जो आंकड़े एकत्र करते थे और नीतियों के निर्माण में मदद करते थे, को इस तरह बनाया गया कि इसमें महिलाओं को कम सदम लोगों, जैसे विधावा, निराश्रित आदि की श्रेणी में रखा गया। ऐसा माना गया कि महिलाओं को बुनियादी तौर से सामाजिक कल्याण सेवाओं की जरूरत है। कई दशकों तक चले महिला आंदोलनों ने लोगों की सोच बदली। उन्हें समझाया कि महिलाएं किसी भी समुदाय या अर्थव्यवस्था में निर्णायक आर्थिक आधार होती है इसलिए उनके साथ सिर्फ यह सोचकर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि समाज को उनका कल्याण करना है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि महिलाएं अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनके काम के बेहतर परिणाम प्राप्त हों, इसके लिए उनकी भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं अब्रणी भूमिका निभाती आई हैं। कृषि कार्य और उच्च बचत दर निर्माण सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत दारों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल तक भारत की विकास दर उच्च रही है और इसका कारण बचत और पूँजी निर्माण की उच्च दर है। भारत में बचत दर सकल घरेलू उत्पाद का ३३ प्रतिशत है, जिसमें ७० प्रतिशत घरेलू बचत और २० प्रतिशत निजी क्षेत्र की बचत तथा १० प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का योगदान है। बचत, उपभोग-अभिवृति और पुनर्वृक्षण प्रवृत्ति के मामले में कोई संदेह नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था महिला केन्द्रित है। कृषि उत्पादन में महिलाओं की औसत आगीदारी का अनुमान कुल श्रम का ५५ प्रतिशत से ६६ प्रतिशत तक है। डेयरी उत्पादन में महिलाओं की आगीदारी कुल रोजगार का ९४ प्रतिशत है। वनआधारित लघु-स्तरीय उद्यमों में महिलाओं की संख्या कुल कार्रवात श्रमिकों का ७४ प्रतिशत है।

ग्रामीण महिलाओं को श्रम के मामले में दोहरी भूमिका का निर्वहन करना होता है। उनकी एक भूमिका परिवार की ओजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की होती है तो दूसरी ओर उन्हें जरूरत पड़ने पर खेती के कार्यों में सहयोग देना होता है। शहरों में रहने वाली महिलाओं की श्रम के क्षेत्र में भूमिका छिन्न है। यहाँ पर मोटे तौर पर श्रमिक महिला और घरेलू महिला के दो वर्ग हैं।

यह प्रश्न सामने आता है कि आने वाले समय में थर्ड बिलियन यानी दुनिया की तीन अरब महिलाएँ किस प्रकार की भूमिका निभाएंगी और दुनिया की सरकारी व पूँजीवादी संस्थाएँ उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन देंगी या फिर उनके मार्ग को रोकने की कोशिश करेंगी। पिछले दिनों अंतराष्ट्रीय परामर्शी व प्रबंधन संस्था 'बूज एंड कम्पनी' ने 'थर्ड बिलियन इंडेवर्स' नाम की अपनी एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि अगले एक दशक में दुनिया के कुल कार्यबल में एक अरब महिलाएँ शामिल होंगी, लेकिन आर्थिक सशक्तीकरण तथा पेशेवर सफलता के मामले में उनके सामने काफी चुनौतियाँ भी आएंगी। थर्ड बिलियन शब्द विकासशील और औद्योगिक देशों की उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो २०२० में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता, उत्पादक, कर्मचारी और उद्यमियों का स्थान ग्रहण कर पहली बार अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल होंगी। कम से कम भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर इन महिलाओं का प्रभाव महत्वपूर्ण तरीके से पड़ने की आशा की जा सकती है वयोंकि इन देशों में इनकी आबादी लगभग एक अरब से अधिक है।

अर्थव्यवस्था में सूचना प्रौद्योगिकी के दृष्टतम उपयोगकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका में दिनोंदिन विस्तार होता जा रहा है। एयरलाइंस एक बड़ा सेवा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं को अच्छा व्यवितरण, संचार कौशल और कंप्यूटर योग्यता के साथ प्राथमिकता मिलती है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, वेरटर्न मनी ट्रांसफर, टेलर प्रणाली और ई बैंकिंग प्रणालियाँ तेजी से विकसित हुई हैं। इन कार्यों को महिलाएँ कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के साथ संभव बना रही हैं। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आईटी के जरिए महिलाओं के लिए अवसरों में बढ़ोत्तरी हुई है। मोबाइल फोन, इन्टरनेट आदि की सुविधा के साथ अन्य सेवाओं में भी महिलाओं की मांग अत्यधिक बढ़ रही है। मेडिकल ट्रांस्फ्रेशन (जंटेबतपचजपवद) सेवा क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएँ की इलाज और संबंधित चिकित्सा शर्तों को समझाती हैं। ई-पुस्तकों में नए कैरियर, ई-प्रतिकाएँ, ई-प्रकाशन और वेब डिजाइन वर्तमान परिदृश्य में लोकप्रिय हैं जहाँ महिलाओं की संख्या और उनकी भूमिका तेजी से बढ़ी है। थर्ड बिलियन इंडेवर्स रिपोर्ट में कहा

गया है कि यदि महिलाओं के रोज़गार की दर पुरुषों की रोज़गार दर के समान हो तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में २७ प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। विदित है कि महिलाओं और पुरुषों की रोज़गार-दर में समानता लाकर संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र सरीखी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ अपने सकल घरेलू उत्पाद में क्रमशः ४२ और ३४ प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं। कमोबेश ऐसा ही विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ भी हो सकता है। महिलाओं की रोज़गार दर को पुरुषों की रोज़गार दर के समान लाकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था ७ प्रतिशत और जापान की अर्थव्यवस्था ९ प्रतिशत की दर से वृद्धि कर सकती है। अर्थव्यवस्था के दरवाजे के बाहर खड़ी भारतीय महिलाओं की रिस्ति पर टिप्पणी करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि "अधिकांश भारतीय महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक सेवा, परिवहन तथा गुणलापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं है। अगर अपनी महिला जनसंख्या को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहता है तो उसे इन बुनियादी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हालाँकि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अच्छा-खासा जोर दिया गया है लेकिन भारत में विनिर्माण का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए व्यावसारिक रूप से दक्ष लोगों की आवश्यकता है, जबकि देश की शिक्षा व्यवस्था इस मामले में मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं कर पा रही है।"

१९वीं पंचवर्षीय योजना में महिला सशक्तिकरण पर बने एक कार्यकारी समूह के अनुसार वैश्वीकरण ने महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डाला है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के बढ़ने और सेवाओं के निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण सामूहिक रूप से महिलाएँ पीछे रह गई हैं और इसकी सफलता से होने वाले लाभ उठाने में असफल रही हैं। नए और अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कौशल आवश्यक होगा, इससे इन क्षेत्रों में महिलाओं को व्यावसारिक शिक्षा और रोज़गार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि कार्य के लिए महिलाओं को शहरों और महानगरों में आने के लिए प्रवृत्त किया जाए। सुरक्षित आवास तथा

कार्यस्थल पर लिंगबेट रहन्हित सुविधाएँ प्रदान करना भी आत्मयक होगा।

देखा जाए तो विश्व की 'आधी दुनिया' अंगर आत्मनिर्भरता का रस्ता चुनती है तो वह प्रत्यक्ष रूप से, उनके परिवार को आर्थिक सुदृढ़ीकरण देता है। वैशिक अर्थव्यवस्था में भी महत्ती भूमिका निभाता है। लैकिन दुर्भाग्यवश हम उनके प्रति बहुत निष्ठुर हैं और इस निष्ठुरता की परिणति यह है कि महिलाएं नौकरी छोड़ रही हैं। हर कामकाजी स्त्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दफ्तर से छुट्टी लेकर घर के दायित्व निभाएं चाहे प्रश्न बड़ों की जरूरत का हो या परिवार के किसी और अन्य सदस्य का। फिर भी उन्हें प्रशंसा नसीब नहीं होती और न ही अपने ही फुर्सत के पल।

ब्रिटेन में हुए एक सर्वे के मुताबिक, सुबह छह बजे बिस्तर छोड़ने के बाद से रात ११ बजे से पहले कामकाजी स्त्रियों को झापकी लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। सत्रह घंटे तक अनवरत कार्य करने से उनका शरीर बीमारियों का गढ़ बनने लगता है। 'कुर्किंग, केयरिंग एंड वोलटियरिंग: अनपेड वर्क अराउंड द वर्ल्ड' नामक अध्ययन रिपोर्ट भारत और चीन सहित कुल २९ देशों में सर्वे के आधार पर तैयार की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि वैसे तो पूरे विश्व में ही पुरुषों की तुलना में महिलाएं घरेलू कामकाज में अधिक समय बिताती हैं लैकिन भारत में तो महिलाएं प्रतिदिन पुरुषों से चार-पांच घंटे अधिक का समय घरेलू कामकाज में लगाती हैं।

स्तरों को हर मोर्चे पर सही सिद्ध करने की परीक्षा कामकाजी महिलाओं को भीतर ही भीतर तोड़ रही है। हर एक पल नया ढंग उनके भीतर चलता रहता है। बच्चों को समय न दे पाने की ज्ञानी इन्हें अवसादग्रस्त कर रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हालात से कामकाजी स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा तब ही संभव है जब परिवार के पुरुष सदस्य, आवनाओं से जुड़कर वास्तविक अर्थों में उनके सहयोगी बनें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. World Bank Report: 6 April 2009, Hindustan Times New Delhi Comparative study of Working Women P-11.
2. Pappola T.S. (1982): Woman works in an urban Labour Market: A study of Segregation and discrimination in employment Lucknow Publication P-116.
3. Shardamani. K (1985): Progressive Land Legislation and subordination of woman, Criterian Publication, New Delhi P-163.
4. Kapoor Pramila (1968): The Study of Martial Adjustment of educated working women in India, Agra Publication.
5. Desai Neera (1975): Women in Morden India, Bora Publication Mumbai P-253.
6. Dube L. & Patriwala, R (1990): Structural and strategies: Women work and family Sage New Delhi Publication,
7. Mather Deepa (1992): Women, Family and Work, Rawat Publication, Jaipur.
8. Srivastave Sudhir Kumar (1985): Women Empowerment: McGraw Hill Publication, New Delhi.



लोकसाहित्यातील सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन

प्रा. वैशाली गिरधर पाटील

(मराठी विभाग) बी. पी. आटर्स, एस. एम. ए. सायन्स आणि के. के. सी. कॉर्मस कॉलेज चालीसगाव

जिल्हा – जलगाव

Corresponding Author- प्रा. वैशाली गिरधर पाटील

Email: vaishaligsurya80@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7519361

प्रस्तावना

एखाद्या देशाच्या संस्कृतीची ओळख करून घ्यायची असेल तर त्या देशातील लोकसाहित्याच्या आधारे ती करून घेता येते. लोकसाहित्य हे लोक जीवनाचा आरसा असते. लोकसाहित्याच्या अध्ययनाने एखाद्या देशाच्या प्रदेशाच्या संस्कृतीचे धर्म, आचार-विचार, रुढी, प्रथा, विधी, विधाने लोकशब्दां, कला आणि तसेच समाजाच्या विकासाचे ज्ञान होऊ शकते समाजाचे आणि संस्कृतीचे जतन लोक साहित्य करत असते, लोक साहित्याचा अविष्कार लोकांच्या जगण्यातून घडत असतो.

लोकजीवनात परंपरेने चालत आलेल्या रुढी, प्रथा, विधी, निषेध, विधी, विधाने, लोक विश्वास, लोक दैवते नवस-सायास, व्रत वैकल्ये, सण-उत्सव, लोककला, वेशभूषा, अलंकार, खाद्यपदार्थ आणि मौखिक रूपातील शब्द अविष्कार लोक वाङ्मय इत्यादी बाबांचा समावेश लोकसाहित्यात होतो त्यामुळेच लोकसाहित्याचे अध्ययन हे त्या त्या समाजाचे आणि संस्कृतीचे अध्ययन ठरते कारण लोकसाहित्यात तत्कालीन समाजाचे आणि संस्कृतीचे चित्रण झालेले असते.

कोणत्याही देशातील साहित्य हे त्या देशातील समाजाचे लोक जीवनाचे प्रतिविनियोगी रूप असते असे म्हणता येते त्या-त्या देशातील साहित्यातून त्या-त्या जीवन विशेष यांचा अविष्कार स्वाभाविकपणेच घडत असतो साहित्याची निर्मिती समाज जीवनातच होत असल्याने जीवनाचे प्रतिविनियोगी रूप असल्याने जीवनाचे प्रतिविनियोगी रूप असतो साहित्य हा पारंपारिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याने लोकसाहित्यातून अत्यंत स्वाभाविक पणे समाजाचे आणि संस्कृतीचे दर्शन होते.

लोकसाहित्य म्हणजे काय?

व्याख्या-

1. 'कुराथ' - "लोकसाहित्य ही प्रामुख्याने सामुहिक निर्मिती असून परंपरेने चालत आलेली असते."
2. 'ना.रा.शेंडे' - "लोकसाहित्य अलिखित अक्षर वांगमय आहे स्वयंस्फूर्तीने निर्माण होणारी ती अमर लोकवाणी आहे हृदयाचे उत्स्फूर्त व उत्कट बोल आहे."
3. "परंपरेने चालत आलेली लोक जीवन पद्धती किंवा लोक जीवन रहाटी म्हणजेच लोक साहित्य".
4. "लोकांमध्ये प्रचलित असलेल्या मौखिक परंपरा म्हणजे लोकसाहित्य."

वरील व्याख्या पाहता आपल्या लक्षात येईल की लोकसाहित्य आणि लोकजीवन समाज जीवन, संस्कृती त्यांच्या परंपरा हे वेगळे नसून एकनिष्ठ आहेत.

इंग्रजीतील **folklore** या शब्दासाठी पर्यायी शब्द म्हणून 'लोकसाहित्य' हा शब्द मराठीत उपयोगात आणला जातो. **folkloer** या शब्दासाठी लोकविद्या, लोकवार्ता, लोकज्ञान, लोकपरंपरा, लोकप्रतिभा, लोकप्रवाह, लोकायन,

लोकपरंपरा, लोकविज्ञान व लोकसंस्कृती असे काही शब्द उपयोगात आणण्याचे प्रयत्न झाले पण श्रीमती 'दुर्गा भागवत' यांनी सुचविलेला 'लोकसाहित्य' हा शब्द folklore या अर्थात मात्र मराठीत अधिकच रुढ झाला.

मौखिक परंपरेने चालत आलेल्या लोकसाहित्यात लोककथा, लोकगीते, कथागीते, विधिनाट्य, लोकनाट्य, म्हणी, वाक्प्रचार, कुटकोडी, प्रहेलिका, अशा प्रकारच्या सामग्रीचा समावेश असतो. लोकसाहित्यातील निर्मिती समूहाकडून होते आणि त्याचे वाहन एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे अखंडितपणे सुरु असते लोकसाहित्यातील वरील प्रकारच्या सामग्री मधून समूह मनाचे आणि त्याच्यासमोर जीवनाचे चित्रण आलेले असते मानवी जीवन चित्रणा वरोबरच आधुनिक काळातील बदलत्या जीवनातील काही गोष्टींचा अविष्कार ही झालेला असतो लोकसाहित्यात केवळ सामाजिक वास्तवाचे चित्रण येते असे नाही तर त्या वास्तवा वरोबरच लोकांच्या भ्रांत कल्पनांचे आशा-आकांक्षांचे प्रतिविनियोगी रूप असल्याने जीवनात उमटलेले असते. अनेक वेळा वास्तव कठोर असते ते सरळ सरळ प्रकट करणे अडचणीचे वाटते अशा वेळी आदर्शाच्या आश्रयाने त्याचे प्रकटीकरण केलेले असते

परंतु त्यातही कुठेही चलाखी, बनवेगिरी आढळत नाही लोक माणसाला जे जाणवले त्यांचे निव्वजि आणि थेट चित्रण लोकसाहित्यात आलेले असते आदर्श आणि वास्तव यांचा मेळ घालून जीवन दर्शन घडविण्याचा प्रयत्न लोकसाहित्यात केलेला असतो लोक साहित्यातून सांस्कृतिक सामाजिक जीवनाचे उदात्त चित्रण केलेले असते ही गोष्ट खरी असली तरी अनेक वेळा समाजजीवनातील वाईट प्रथा, परंपरा, शोषण, अन्याय, अत्याचार इत्यादी गोष्टींची ही अभिव्यक्ती लोकसाहित्यात झालेली असते.

परंपरा आणि आधुनिकता:

लोकसाहित्य म्हणजे गतकालीन जीवनाचे चित्रण असते अशीच सामान्यता आपली समजूत असते पण ती धारणा योग्य नाही 'जॉन' या अभ्यासकाने लोकसाहित्यात गतकालीन जीवन चित्रणा बरोबरच आधुनिक जीवनाचेही चित्रण झालेले असते असे सांगितले आहे. औद्योगिकरणामुळे माणूस व्यक्तिवादी झाला तरी लोकसाहित्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया पूर्णत: थांबलेली असते असे नाही आधुनिक काळात नव्या रूपात लोकसाहित्य निर्माण होत असते औद्योगिकीकरणामुळे सामूहिक जीवन पद्धती बदलते व्यवसाय बदलतो आणि त्याच बरोबर लोकसाहित्याच्या अविष्काराचे स्वरूपही बदलते बदलत्या जीवनाचे तपशील लोकसाहित्यात येऊ लागतात उदाहरणार्थ- मध्ययुगीन लोकसाहित्यात- राजे-रजवाडे यांच्या परी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस यांच्या कथा निर्माण झाल्या नंतरच्या काळात अनेक ऐतिहासिक वीरांच्या दंतकथा निर्माण झाल्या, 1857 च्या युद्धात सामील झालेल्या अनेक क्रांतिकारकांच्या जीवनावर लोकगीते, लोककथा, रचलेल्या दिसतात अनेक आदिवासींच्या गीतांमध्ये 'बिरसा मुंडा' या आदिवासी क्रांतिकारकांच्या जीवनातील घटना प्रसंगांचे वर्णन आलेले दिसते रामोशी समाजातील 'सत्या बेरड' आधुनिक काळात पोवाड्याचा विषय झालेला दिसतो, 'महात्मा गांधी', 'बाबासाहेब अंबेडकर' यांचे निर्देश स्थियांच्या लोकगीतात आलेले दिसतात.

थोडक्यात लोकसाहित्यात गतकालीन जीवनाच्या चित्रणा बरोबरच आजच्या जीवनातील ही अनेक संदर्भ येतात.

लोक साहित्य निर्मिती आणि समाज दर्शन:

भावनिक सौंदर्यविष्कारापेक्षा मानवी मनातील सहज प्रेरणा लोकसाहित्याच्या निर्मितीमागे कार्यरत असतात. 'श्री. ना. बनहटी' यांनी आपल्या एका लेखात अद्भूतता, देवधर्म, प्रापंचिक आणि कौटुंबिक प्रेरणा लोकगीतांच्या निर्मितीमागे असतात असे सांगितले आहे. लोकसाहित्यातील लोककथा, लोककथागीत, स्फुटगाणी ही पौराणिक असोत वा

काळ्यनिक त्यातील अविष्काराचे नाते त्या- त्या काळातील माणसाच्या नेहमीच्या जगण्याशी संबंधित असते त्यामुळे च सर्वच प्रकारच्या लोकसाहित्यातून सामाजिक सांस्कृतिक वास्तवाचे विविध पैलू व्यक्त झालेले दिसतात.

"पोटी नाही पुत्र, नार झुरती मनामंदी

तुळशीची पूजा, करिते उन्हामंदी"

या ओळीतून वांग स्त्रीच्या दुःखाचे चित्रण येते मराठी माणसाच्या मनावर झानोबा, तुकाराम या संतांची मोहिनी पडलेली आहे त्यांनी दाखविलेल्या वाटेने जाताना खेड्यापाड्यातील अशिक्षीत स्त्री- पुरुषांनी असंख्य लोकगीते संतांच्या जीवनातील छोट्या मोळ्या घटना प्रसंगाची निवड करून रचलेली आहेत राम-सीता, कृष्ण -रुक्मिणी हे त्यांच्या लोकगीतांचे विषय झाले आहेत.

"चला जाऊ पाहू रामरायची बागशाई

कडेवरी पुत्र वेडा देत सीतामाई

शिंदेशाही तोडे, सीताबाईच्या पायात

उजेड पडला रामरायाच्या रथात

कजाग ती सासू, कुडाला कान लावी."

स्थियांनी खेरेतर राम-सीता ही पात्रे केवळ आधाराला घेतली आहेत आपल्या मनातील भाव भावनांना त्यांनी पौराणिक पात्रांद्वारे वाट करून दिलेली आहे.

कौटुंबिक जीवनाचे चित्रण:

समाजाच्या संकल्पनेत कुटुंब संस्था फार महत्वाचे असून समाज संकल्पनेची निर्मिती सामाजिक सुधारणा आणि समाज विकासाच्या कार्यात कुटुंब संस्थेचा वाटा फार मोठा आहे. एकत्र कुटुंबात आजा -आजी, आई- वडील, चुलता -चुलती, बहिण-भाऊ, दीर-भावजय आणि या सर्वांची मुळे एकत्र राहतात. त्यांच्यात जिब्हाळ्याची भावना असते, एकसंघतेची जाणीव असते त्यामुळे कुटुंबातील सर्वांना सुरक्षित वाटते त्याच बरोबर राग, द्रेष, असूया अशा भावनाही एकमेकांमध्ये असतात, लोकसाहित्यात महाराष्ट्रीय कुटुंबव्यवस्थेचे अनेक पैलूंचे अत्यंत प्रत्यक्कारी स्वरूपाचे चित्रण आलेले दिसते प्रामुख्याने लोकसाहित्याचा फार मोठा भाग स्त्रीगीतांनी व्यापलेला आहे. या गीतांतून दैनंदिन जीवनातील घटना प्रसंग, भावभावना, अपेक्षा, रुढी-परंपरा, शारीरिक कष्ट या सर्व गोष्टींचा सहज अविष्कार झालेला असतो याच अर्थाते 'लोकसाहित्य' हा लोकांच्या जीवन जगण्याचा एक अविभाज्य भाग असतो.

"आधी ववी गाते, बाप्पाजी रायाला

मागून हळदीच्या येलाला, मायबाईला

बाप्पाजी माझा वड, बया मालन पिंपरण

दोगाच्या सावलीत, झोप घेते मी संपूरण".

स्त्री आई-बापाच्या भरवशावर जगते आई-वडिलांच्या शास्वत प्रेमाचा तिचा अनुभव वरील ओळीतून व्यक्त होतो सासर आणि माहेर यातील विविध नातेसंबंधातील आलेले अनुभव स्थिया लोकसाहित्यातून चित्रित करीत असतात.

उदाहरणार्थ -

"आई बापाच्या राज्यात, तांच्या तुपाचा केला रिता

भावजयीचा राज्यात, नाही पाण्यावर सत्ता."

पती-पत्रीतील परस्पर संबंधः

पतीला परमेश्वर मानायचं, त्यांच्या सर्व सुख-दुःखात सहभागी व्हायचं, सासरच्या सर्व माणसांची मर्जी सांभाळण्याची, कितीही कष्ट झाले तरी कुरकुर न करता चांगले वर्तन ठेवायचे अशी शिकवण घेऊन मुलगी सासरी यायची नवऱ्याच्या घरात सर्वपेक्षा नवरा तिला जवळचा कसा वाटतो, त्याबद्दलचे तिने रंगविलेले स्वप्न, त्याच्या भेटीची आतुरता इत्यादी प्रसंग स्थिया गीतात चित्रित करतात.

उदाहरणार्थ-

"दुरुन वळकिता तुझ्या गाडीचे चक्रईर

बैल व्हती पाकईर".

पती भेटीसाठी पत्री जेवढी आतुर असायची तेवढीच ओढ नवऱ्याला देखील तिच्याबद्दल असायची हे वरील ओळीतून चित्रित होते.

ज्याप्रमाणे पती मिलनाचा आनंद, पती म्हणजे एक सुरक्षा कवच म्हणून वाटलेला आधार जसा चित्रित होतो तसाच पतिनिधनानंतर अगतिकतेचे ,असुरक्षिततेचे वर्णनही लोकसाहित्यात येते.

"वाटच्या वाटसरा, नको करूस उभा घोडा

कंथ माझा जंगलात, मोजे वाधिणीच्या दाढा".

असे पती सामर्थ्याचे वर्णनही येते. कर्तुत्वान पुरुषाची पत्री असल्याचा स्वाभिमाना वरोबरच दुराचारी नवऱ्याबद्दल चे दुःख चित्रणही ही आपणास लोकसाहित्यात पाहायला मिळते.

थोडक्यात पती-पत्रीचे संबंध जसे जिव्हाळ्याचे दिसतात तसेच त्यांच्यात बेबनावही आढळतो, सासू बदल फारशा चांगल्या भावना दिसत नाही ती 'अंथरुणातील पिसू आहे' असा निषेधात्मक सूर सासू विषयी दिसतो, सासूचा सासुरवास या विषयावर अनेक गीते आढळतात. उदाहरणार्थ -फेरातील गीतातील 'कारल्याचा वेल 'हे गाणे प्रसिद्ध आहे.

"सुनेला सासुरवास, ननंदवाईची लावणी

कळ लावीते येऊन, दीड दिवसाची पाहुणी".

यातून ननंद- भावजय चे वैर वर्णन केलेले आहे.

वेशभूषा: लोकसाहित्यातील लोकगीत, लोककथा, कथागीत, म्हणी इत्यादीतून भोवतालच्या स्त्री-पुरुषांचे, लहान मुलांचे घरातील अन्य व्यक्तींचे त्यांच्या वेशभूषेचे आणि दागिन्यांचे, आवडी-निवडीचे खुबीदार वर्णन आलेले आहे त्यांचे सौंदर्य, पोशाख, अलंकार याची विपुल वर्णने आलेली आहेत.

लहान मुलांसाठी- अंगडे टोपडे, स्थियासाठी -नऊवारी लुगडे खणाची ओळी आणि सणावाराला काळी चंद्रकला टोप दराचे लुगडे नेसत असत, एकंदरीत नियांच्या पोशाखात वर्णनात विविधता आढळते, पुरुषांसाठी- अंगरखा ,धोतर, डोक्याला पागोटे अंगरख्या ऐवजी बंडी, बाराबंदी ही असते पागोटे ऐवजी जरीचा मंदिर फटका असतो त्याचा शेमला पाठीवर लांब सोडलेला असतो, लोकसाहित्यात विविध दागिन्यांचाही उल्लेख येतो उदा.बाळासाठी- मनगट, भिदल्या, वाळा, वाळी, अंगठी, गळ्यात सर इत्यादी स्त्रीयांसाठी -सरी, मनी, डोरलं, पुतल्याची माळ, ठूशी ,चिंचपेटी, सोन्याची सरी, नथ, चंद्रहार, तोडे, गळे सर, पैंजण, पाटल्या, जोडवी, वाक्या, काचेचे कंकण, विंदी, झुबे, केसात गोंडे इत्यादी.

"नेसली पिवळा पितांबर

घेतला करगती शेला

घातली मदमका काचोळी

घातल्या घागऱ्या चराळ

ललाट भरलं कुंकवानं

मुख भरलं तांबूलानं

नेत्र भरली काजळनं"

नागपंचमीला नटनथून बाहेर पडलेल्या बाळाईचे हे चित्रण आहे.

वरील पोशाख व दागिने यांचे चित्रण हे दहा ते 15 टक्के स्थियांच्या बाबतीत वास्तव आहे, मात्र बऱ्याचशा प्रमाणात ते काल्पनिक आहे. कारण बहुतेक स्थिया या दारिद्र्यात पिचलेल्या संसारात कष्टाने दिवस काढणाऱ्या लोकसाहित्यातून चित्रित होतात.

जाती जमाती-

लोकसाहित्याची निर्मिती करणारे लोक खेड्यापाड्यात राहतात. निसर्ग आणि कृपी जीवनाशी त्यांच्या जगण्याचे अतूट नाते असते विविध जाती जमातीचे लोक एकत्र राहतात, त्यांच्यात सतत विविध प्रकारची देवाणघेवाण होत असते उदाहरणार्थ -सुतार, चांभार, न्हावी, शिंपी, कासार, सोनार, मांग, ढोर बलुतेदार, इत्यादी जाती जमातीचे लोक एकत्र राहतात.

थोडक्यात लोकसाहित्यात समाजात श्रेष्ठ मानल्या गेलेल्या ब्राह्मण जातीला गौण स्थान आहे त्याचबरोबर न्हावी, सोनार, शिंपी, कोल्हाटी अशा काही जमातींची

टिंगल केलेली असली तरी त्यांना लोक संस्कृतीचे घटक म्हणून स्थान आहे, गोंधळी, वाघ्या, मुरळी, वासुदेव, भराडी, अशा लोकसंस्कृतीचे उपासक असणाऱ्या जमातीना लोकपरंपरेत महत्वाचे स्थान दिसते. अनेक विधींमध्ये आणि सण- उत्सवात त्यांना मानाचे स्थान लोकसंस्कृतीने दिलेले आढळते.

सण-उत्सव:

लोकसाहित्यातून अनेक सण-समारंभ आणि कुटुंबात पाळली जाणारी कुलधर्म, कौटुंबिक सामाजिक पातळीवरील चालीरीतीचे, रुढी- परंपरांचे चित्रण येते.

मुल जन्मा आधी पासून ते जन्मानंतर चे विविध विधी उदाहरणार्थ- बाळ जन्माच्या पाचव्या दिवशी सटवाई चे पूजन, लग्नसमारंभ त्यातील होम-हवन सप्तपदी, पाणिग्रहण मुलीला दिवस गेल्यानंतर तिचे ओटीभरण इत्यादींचा उल्लेख लोकसाहित्यात येतो. तसेच ग्रामदेवता मातृदेवतांचे पूजन लोकपरंपरेत केले जाते.

उदा. शंकर, गणपती, भैरोबा, खंडोबा, वेताळ म्हसोबा, मरिआई यमाई, अंबावाई, जगदंबा इत्यादी चे पूजन.

तसेच यात्रोत्सवात सार्वजनिक पातळीवर नवस फेडणे या लोकपरंपरेचे चित्रण ही येते, त्याचबरोबर कृषी संस्कृतीशी, मातृसत्तक संस्कृतीशी निगडित असलेले सण- उत्सव मोळ्या उत्साहाने ग्रामजीवनात साजरे केले जातात.

सण-उत्सव

गुढीपाडवा:

चैत्र शुद्ध प्रतिपदा हा वर्षांभीचा पहिला दिवस पाडव्याचा सण म्हणून साजरा केला जातो या दिवशी घरोघरी दारासमोर गुळ्या उभारल्या जातात, अनेक लोकगीतातून कथेतून या सणाचे वर्णन येते. परंपरेने साजरा केल्या जाणाऱ्या सणांमध्ये एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक इतिहास असण्याची शक्यता आहे तो इतिहास गुढी उभारण्याच्या प्रथेत अवशेष रूपाने शिल्क राहिलेला आहे ही बाब लोक साहित्याचा सामाजिक दृष्टीने अभ्यास करताना ध्यानात येते.

होळी:

'होळी' हा सण देखील भारतभर प्रसिद्ध आहे आणि याचेही वर्णन आपल्याला लोकसाहित्यातून बघायला मिळते त्याचप्रमाणे श्रावणातील 'नागपंचमीचा' सण वैलोळा, भाद्रपदातील, गौरी, भुलाबाईचा उत्सव क्रृषीपंचमीचा सण, आश्विनातील नवरात्रोत्सव, हादगा, भोंडला, मार्गशीष यातील सटीचे नवरात्र, शाकंबरी, रथसप्तमी, मकरसंक्रांति या सर्व सणांमध्ये रुचीच्या सुफली करणाऱ्या गौरव करण्याची प्रथा आढळते. या सर्व सणांचे निर्देश स्थियांच्या गीतातून आणि लोक कथेतून येतात नागपंचमीच्या

सणासाठी माहेरी जाण्याच्या ओढीचे चित्रण कथा गीतातून, गीतातून येते.

'दिवाळी':

'दिवाळी' हा देखील ग्राम जीवनातला फार महत्वाचा असा सण आहे गाईगुरांना ओवाळण्या पासून या सणाची सुरुवात होते कृषी संस्कृतीचे अनेक पैलू या सणाच्या इतिहासातून हाती लागतात.

"ईडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो"

असे म्हणून आपल्या भावांना ओवाळनाऱ्या स्थिया सुखी समृद्ध राज्याची आस मनी बाळगून असतात. या सर्व सणांमध्ये करावयाचे उपचार, गोड-धोड खाद्यपदार्थाची तयारी, नव्या कपड्यांची खरेदी इत्यादी अनेक तपशील लोकसाहित्यातील लोककथा, लोकगीते यामध्ये सापडतात या तपशीलातून त्या- त्या काळातील जीवनाचे दर्शन साहित्यातून घडते लोकसंस्कृतीचे मूळ अवशेष बदलत्या सण- उत्सवात आजही टिकून आहेत.

सारांश:

लोकसाहित्यातील स्फुट स्वरूपाची स्त्रीगीते, कथागीते, लोककथा लोकसंस्कृतीच्या उपासकांची कथागीते, रुढ असणारी लोकगीते आणि कथा अशा विविध प्रकाराच्या सामुग्री तून जे जिवंत चित्रण येते त्यातून समाजाची, लोकसंस्कृतीची वैशिष्ट्ये प्रकट झालेली आहेत प्रयोगरूप लोककलांमध्ये उदाहरणार्थ - महाराष्ट्रात गोंधळ, भारुड, वासुदेव, वाघ्या- मुरळी चे जागरण, दंडार, दशावतार, कलगीतुराचे फळ, तमाशा इत्यादीतून प्रामुख्याने लोकजीवन आणि लोकसंस्कृतीचे चित्रण केलेले आहे.

विविध लोकसाहित्य कला प्रकारातून खेड्यापाड्यातील लोकांचे व्यवसाय, पोशाख, सण-उत्सव, जाती- जमाती, रुढी-परंपरा, नातेसंबंध यांचे वर्णन येते तसेच त्यांचे चातुर्य, बेरकीपणा, निर्वाज प्रेमलपणा, अपरिमित निष्ठा, जिन्हाळा, द्रेष, राग, चीड, अशा सर्व गोष्टींचे भावभावनांचे चित्रण लोक साहित्याद्वारे येते. म्हणूनच लोकसाहित्य आणि सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन हे अविभाज्य घटक असून लोक साहित्याद्वारे सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवन चित्रित होत असते.

संदर्भ पुस्तके -

1. लोक साहित्य संस्कृती - डॉक्टर विद्या व्यवहारे (प्रतिमा प्रकाशन -प्रथमावृत्ती-20 जून 2002)
2. लोकसाहित्य मिमांसा (भाग दुसरा)- डॉक्टर विश्वनाथ शिंदे. (स्नेहवर्धन पब्लिशिंग हाउस पुणे, प्रथमावृत्ती-15 आगस्ट 2006)
3. साहित्यदर्शन- डॉ. दिलीप भीमराव गायकवाड (प्रकाशक-प्रगति बुक्स-प्रथमावृत्ती- जून 2010)

प्रतिभा घाग, आणि उमा काळे



समांतर अर्थव्यवस्था निर्मितीची कारणे व परिणाम

प्रा. डॉ. देवराव नामदेव सोनकांबळे

विठ्ठलराव पाटील महाविद्यालय कले.

Corresponding Author- प्रा. डॉ. देवराव नामदेव सोनकांबळे

Email-prof.devrao09@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7519403

प्रस्तावना

भारतीय प्रजासत्ताकला आज ७२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या ७२ वर्षांच्या काळात अभिमान वाटावा अशा काही उद्दिष्टाची परिपूर्तता देशाने प्राप्त केली आहेत. परंतु काही बाबतीत अपयश ही आलेला आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे देशात सातत्याने वाढत जाणारी आर्थिक विषमता होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात या देशातील आर्थिक विषमता कमी करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून आपल्या आर्थिक धोरणात केलेल्या शिफारशीतून प्रत्यास आली आहेत. यात उत्तर भारतातील जमीनदारी पद्धत नष्ट करून साधारणत: तीन कोठी भूमिहीन कुळांना जमिनीचे मालकी हळ्के प्राप्त करून देण्यात आले. सन. १९६९ मध्ये देशातील १४ व १९८० मध्ये ०६ अशा एकूण २० खाजगी व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करून सामान्य माणसाची 'पत' भांडवलशाही बाजारपेटेत कशा प्रकारे वाढेल यासाठी सरकारकडून सतत प्रयत्न करण्यात आले. याचबरोबर १९६९ मध्ये 'मक्तेदारी' प्रतिबंधात्मक कायदा समंत करून मोठ्या गुंतवणूकदारावर प्रतिबंध घालून भांडवलदाराची बाजारपेटेतील मक्तेदारी कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच १९७३ मध्ये परकीय चलन विनिमय नियंत्रण कायदा करून त्यावर कडक निर्बंध टाकण्यात आले. 'हरितकांति' मुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयपूर्ण झाला. लहान शेतकरी अल्प भूधारक तसेच दलित व आदिवासी यांच्या विकासासाठी काही खास कल्याणकारी योजना राबवण्यात आल्या. शिक्षण, आरोग्य व पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते व दलणवळणाची साधने यांचा विस्तार ही मोठ्या प्रमाणात झाला. तरीही या देशातील आर्थिक विषमता कमी होत नाही असे आपणास दिसून येत आहे.

समांतर अर्थव्यवस्था म्हणजे काय ?

"ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत विविध प्रकारचे व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, व इतर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अनाधिकृतपणे चालू असतात आशा प्रकारच्या प्रक्रियेतून देशात आर्थिक विषमता निर्माण होऊन देशात सरकारकडून रावविण्यात आलेले मौद्रीक व वित्तीय धोरण अपयशी ठरतात, आशा प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेला समांतर अर्थव्यवस्था असे म्हणतात."

"ज्या अर्थव्यवस्थेत मौद्रीक गंगाजली व स्थायी स्वरूपाची मालमत्ता बेकायदेशीररित्या एका विशिष्ट गटाकडे केंद्रित झालेली असते.

आशा प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विषमता निर्माण होऊन गरीब व श्रीमंत असे दोन वर्ग निर्माण होतात "

संशोधनाची उद्दीप्ते

- १ . समांतर अर्थव्यवस्थेच्या संकल्पनेचा अभ्यास करणे.
- २ . समांतर अर्थव्यवस्थेच्या निर्मितीच्या कारणांचा शोध घेणे.
- ३ . समांतर अर्थव्यवस्थेच्या परिणामाचा शोध घेणे.

गृहीतक

१ . भांडवलशाही सदृश्य अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबरच अर्थव्यवस्थेत समांतर अर्थव्यवस्थेची निर्मिती होत असते.

समांतर अर्थव्यवस्थेची संकल्पना

समांतर अर्थव्यवस्थेची उत्पत्ति खाजगी अर्थात भांडवलशाहीच्या विकासातूनच होत असते. देशाचा सर्वांगीण शाश्वत विकास करण्याच्या उद्देशाने अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून विविध

प्रकारची धोरणे राबविली जातात. सार्वजनिक क्षेत्रात किंमतयंत्रणा निष्क्रिय असल्याने महत्तम नफा व संपत्ती संचयास प्राधान्य दिले जात नाही. परंतु खाजगी क्षेत्राचा विकास किंमतयंत्रणेवर चालतो. किंमतयंत्रणा प्रभावीपणे कार्य करत असल्याने महत्तम नफा व संपत्ती संचयास प्राधान्य दिले जाते या प्रक्रियेतून अर्थव्यवस्थेत बेकायदेशीरपणे मौद्रिक गंगाजळी मोळ्या प्रमाणात वाढत जाऊन भांडवलशाहीचा विकास होतो. भांडवलशाहीच्या विकासातून उद्योजक, व्यवसायिक व किरकोळ व्यापारी आपल्या व्यवसायाची पकड बाजार पेठेवर ठेऊन एकादीकारशाही निर्माण करून बेकायदेशीरपणे महत्तम नफा मिळवतात. मिळालेल्या महत्तम नफ्याची नोंद कोठेही कायदेशीर ठेवली जात नाही. अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे मिळवलेली मौद्रिक गंगाजळी भांडवलशाहीच्या बाजारपेटेत वाढत जाते. यातूनच अर्थव्यवस्थेत समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होत असते.

समांतर अर्थव्यवस्था निर्मितीची कारणे

(१) जमीन सुधारणा कायदा:

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील मागासलेल्या शेतीचा विकास करण्याच्या धेयाने प्रेरित होऊन तत्कालीन सरकारने नियोजनाच्या

माध्यमातून शेतीचा विकास करण्याचा संकल्प केला आहे. याचाच एक भाग समजून जमीन सुधारणा धोरण पहिल्या योजेने पासूनच राबविण्यात येतो. या धोरणात शेती क्षेत्रात मध्यस्थाचे उच्चाटन करणे, कमाल जमीन धारण क्षेत्रावर मर्यादा घालणे,

कुळकायद्याची कडक अमलबजावणी करणे, तसेच सहकार शेतीचे प्रयोग करण्यात आले. विविध प्रकारच्या धोरणाच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रांत देशातील सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु जमीन सुधारणा कायद्यातील पळवाटा शोधून अनेक जमीनदारांनी हजारो एकर जमीन आपल्या ताब्यात ठेवले आहेत. विविध प्रकारच्या सेवाभावी संस्था, विविध सहकारी संस्था व धार्मिक प्रार्थनास्थळे अशा विविध प्रकारच्या कारणाने जमीन सुधारणा कायद्याची अमलबजावणी न्याय पद्धतीने झालेली नाही. यांचा परिणाम म्हणून हजारो शेतमजूर अल्प वेतनावर शेती क्षेत्रात मजुरीचे काम करत आहेत. त्यांच्या किमान भौतिक गराजांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना दररोज रोजगार विकावा लागतो.

प्रा. डॉ. देवराव नामदेव सोनकांबळे

त्यांना दोन वेळेचे पौष्टिक आहार मिळत नाही, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य व शिक्षण अशा आवश्यक प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना मंजुरीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. अशा प्रकारची विषमता आपणास ग्रामीण भागात दिसून येते.

(२) भ्रष्ट प्रशासकीय वर्ग

भ्रष्ट म्हणजे अनीतीमान अथवा अधर्मी असे म्हंटले जाते. ही नीती जो कोणी आचरणात आणली जाते त्यास भ्रष्टाचारी असे म्हणतात. अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात राजरोशपणे चालत आहे. हे आपण उघड्या डोळ्याने पाहत असून सुध्दा बोलू शकत नाही. हीच शोकांतिका आजच्या तरुण वर्गांची झाली आहे. म्हणून देशात सर्वत्र भ्रष्टाचार वाढत असल्याचे आढळून येत आहे. नॅशनल क्राईम्स रेकॉर्ड ब्यूरो या संस्थेने २०२० मध्ये नोंदवलेले सर्वाधिक गुन्हे एकट्या महाराष्ट्रात ६१८ इतकी होती तर २०१८ मध्ये हाच आकडा ८२८ इतका होता. तर महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मार्फत नोंदवलेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक भ्रष्टाचार महसूल व पोलिस विभागात चालतो असे त्यांच्या निर्देशनात आले आहे. सन. २०२० मध्ये एकूण राज्यात ६६३ गुन्हे नोंदविली गेली. तर सन. २०२१ मध्ये ७७३ नोंदवली गेली आहेत. तर सन. २०१९ मध्ये ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या गैर सरकारी संस्थेने इंडियन भ्रष्टाचार सर्वे या नावाने देशातील २० राज्यांचा अभ्यास केला असता यात सर्वांत कमी गुन्हे महाराष्ट्रात ५५ % इतके आढळून आली आहेत. तर कर्नाटकात ६३ % राजस्थान ७८ % लोकानी आपले काम करून घेण्यासाठी लाच दिली आहे. अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारातून लाखो रूपायांची गंगाजळी भ्रष्ट व्यक्तीकडे साठवली जाते. यातूनच देशात समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होण्यास परिस्थिती तयार होते.

(३) सहकार क्षेत्र

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य अल्पभूदारक गरीब आणि होतकरू अशा लोकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा हा दृष्टीकोण समोर ठेऊन सहकार क्षेत्राची मूहर्तमेड स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात रोवली गेली. सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात सहकार तत्वावर सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, दुग्ध संस्था, सहकारी सोसायट्या आणि सहकार तत्वावर चालणारी इतर संस्था यांचा विस्तार ग्रामीण भागात सर्वत्र पसरलेला दिसून यतो.

यातूनच ग्रामीण भागात शिक्षण संस्था, बाजार पेठा, आरोग्य सुविधा, पिण्याचे पाणी व रस्ते इत्यादी सुविधांची पूर्तता करून ग्रामीण भागाचा सार्वत्रिक विकास करण्याचा संकल्प राज्यात करण्यात आला होता. परंतु सहकार क्षेत्रातील घराणेशाही व राजाश्रय यादोन्ही कारणाने सहकार क्षेत्र मोडकळीस आले आहे. राज्यात सध्या सहकार तत्वावर एकूण १६४ सहकारी कारखाने आहेत. त्यापैकी फक्त ११५ चालू स्थिति मध्ये असून ४५ सहकारी साखर कारखाने कर्ज सापल्यात अडकले असून सध्या ते बंद आहेत. जे चालू आहेत त्यांची अवस्था वाईट आहे. कामगारांची मंजूरी वेळेत होत नाही, ऊसाला वाजवी दर मिळत नाही. काही जिल्हा बँका, सोसायट्या, सूत गिरण्या व इतर सहकारी संस्था मोडकळीस आल्या आहेत. सहकाराच्या माध्यमातून अर्थिक समता निर्माण होण्या ऐवजी अर्थव्यवस्थेत विषमता निर्माण होऊन समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झालेली आहे.

(४) भांडवलशाही सदृश्य अर्थव्यवस्था

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करून नियोजनाच्या माध्यमातून सर्वांगीण शाश्वत विकास घडवून आणण्याचा संकल्प करण्यात आला. अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांगीण विकासाकरिता आवश्यक असलेले मूलभूत व पायाभूत क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्राकरिता राखून ठेवण्यात आले. तर इतर कमी महत्वाच्या क्षेत्रांत खाजगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली. परंतु बदलत्या काळानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध उद्योगांना आलेल्या अपयशांची कारणे लक्षात घेऊन सन. १९८० व १९९१ या वर्षी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचे भागभांडवल खाजगी भांडवलदारास विकण्यात आले. तर देशाचे हित लक्षात घेऊन काही क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रात राखून ठेऊन इतर सर्व क्षेत्र खाजगी भांडवलदाराच्या ताब्यात देण्यात आले. भांडवलशाही म्हणजे खाजगी भांडवलदाराचे वर्चस्व अस्तित्वात असलेली अर्थव्यवस्था होय. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा इतिहास आपणास जर्मनी व जपान या देशाच्या अर्थव्यवस्था व दुसरे महायुद्ध यावरुन आपल्या लक्षात आलेच असेल. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत सामान्य नागरिक व कामगारांची पिलवणूक मोळ्या प्रमाणात केली जाते. कामाचे तास, कामगारांना कमी वेतन, एकच किंमत व अतिरिक्त नफा इत्यादी उद्देश समोर ठेऊन भांडवलशाही सदृश्य अर्थव्यवस्था देशात

अस्तित्वात असते. भांडवलशाहीचे वर्चस्व असलेल्या अर्थव्यवस्थेत श्रीमंत श्रीमंतच तर गरीब गरीबच अशी दरी निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विषमतेची दरी वाढतच जाते यातूनच अर्थव्यवस्थेत समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होण्यास प्रोत्साहन मिळते.

(५) वाढती चलनवाढ

भांडवलशाही सदृश्य अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास हा अर्थव्यवस्थेत अस्तित्वात असलेल्या किंमत यंत्रणेवर अवलंबून असतो. म्हणून भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा अपेक्षित विकास करण्यासाठी रांगती चलनवाढ ही आवश्यक आहे. असे प्रतिपादन अर्थतज्जन जे. एम. केन्स यांनी केले होते. तसेच सरकारने अर्थव्यवस्थेला बुस्टर डोस देण्यासाठी दरवर्षी तुटीचा अंदाजपत्रक तयार करून चलनवाढ करावी म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो. अशा प्रकारचे मत त्यांनी त्यांच्या जगप्रसिद्ध ग्रंथात मांडले होते. या मतास अनुसरून सरकारने आपल्या राजकीय लाभासाठी देशात विविध प्रकारच्या वित्तीय धोरणांचा अमल सुरू करून, अर्थिक समता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सततच्या अनुउत्पादक धोरणाने राष्ट्रीय उत्पादन व वितरण व्यवस्था यातून निर्माण झालेली अर्थिक विषमता व अनुउत्पादक घटकांवर झालेल्या अवाढव्य खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून सात्यत्याने अर्थव्यवस्थेत चलन पुरवठा वाढविण्यात आला. यांचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेत उद्योगपती, जमीनदार, बिल्डर, वाळुमाफिया, व्यवसायिक व लहान मोठे ब्रोकर्स यांनी मोळ्या प्रमाणात लाभ मिळवून घेतला. याप्रक्रियेतूनच भांडवलशाहीच्या बाजार पेटेत सामान्य व गरिबांची लूट मोळ्या प्रमाणात होत गेली. परिणामतः वरील सर्व व्यवसायिकांना अतिरिक्त नफा प्राप्त होऊन अर्थव्यवस्थे समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली.

(६) वाढती बेरोजगारी

देशातील वाढती बेरोजगारी ही एक राष्ट्रीय समस्या निर्माण झाली आहे. वाढत्या बेरोजगारीवर उपाय काढण्यासाठी सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील सर्व प्रयत्न करूनही ही बेरोजगारी कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. म्हणून या वाढत्या बेरोजगारीच्या समस्येचा लाभ भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील उद्योगपती, शिक्षण समार्ट, साखर समार्ट, बिल्डर व इतर किरकोळ व्यवसायिक घेत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण हा सुशिक्षित व तांत्रिक

कौशयल्याचे ज्ञान असलेला वेरोजगार वाढत्या भाववाढीने त्रस्थ होऊन कमी वेतनावर रोजगार स्वीकारायला तयार आहे. अशा त्रस्थ झालेल्या वेरोजगाराना कमी वेतनावर रोजगार पुरवून भांडवलदारानी मोळ्या प्रमाणात काळा पैसा मिळवला आहे.

(७) सार्वजनिक बँकांचे कर्ज वितरणाचे धोरण

देशातील सामान्य नागरिक, शेतकरी व कामगार यांची भारतीय बाजार पेठेत पत वाढावी म्हणून सन. १९६९ व सन. १९८० मध्ये देशातील एकूण २० खाजगी व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीय कारण करण्यात आले. देशात होत असलेले आर्थिक संत्तेचे केंद्रीकरण कमी व्हावे, कृषि, लघु व कुटीर उद्योगाचा विकास व्हावा. देशातील प्रादेशिक असमतोल कमी करून वित्तीय क्षेत्रातील विषमता कमी व्हावी हा उद्देश समोर ठेऊन बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. देशात वाढत असलेला आर्थिक विकासाचा प्रवहा व वाढती चलनवाढ यांचा लाभ घेण्यासाठी देशातील काही उद्योगपतिनी सरकारच्या उदारीकरणाच्या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आला. देशातील विविध राष्ट्रीयकृत व्यापारी बँकांचे प्रशासकीय अधिकारी व मोठे उद्योगपती यांच्या संगनमताने सरकारच्या उदारीकरणाच्या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी विविध व्यापारी बँकातून मोळ्या प्रमाणात कर्ज काढून उद्योग सुरु केला. काळानुसार सरकारच्या बदलत्या धोरणाचा लाभ घेऊन उद्योगाचा विस्तारही केला. परंतु व्यापारी बँकांच्या कर्जाची परतफेड केलेली नाही, या प्रक्रियेतूनच अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा निर्माण होण्यास प्रोत्साहन मिळाले.

(८) १९९१ चे नवीन आर्थिक धोरण

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण शाश्वत विकास व्हावा हा दृष्टीकोण समोर १९९१ चे नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारण्यात आले. या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेत खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण या त्रीसूत्री धोरणाचा अवलंब करून आर्थिक विकासाचा हेतु साध्य करणे हा आहे. परंतु ही त्रीसूत्रे जगातील आर्थिक दृष्ट्या विकसित असलेल्या राष्ट्रांनी तयार केलेला त्यांचा आर्थिक विकासाचा आराखडा आहे. त्यामुळे ही धोरणे त्या देशाला आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतात. म्हणून आज विकसित देशात अतिरिक्त भांडवल, सुधारित तंत्रज्ञान, विकसित शेती व अतिरिक्त अन्नधान्याचे उत्पादन, विकसित झालेला नाणे व भांडवल

बाजाराचा विस्तार, उद्योग क्षेत्राचा विस्तार, निरपेक्ष दारिद्र्याचे अल्प प्रमाण व नियंत्रित लोकसंख्या अशी वैशिष्ट्यपूर्ण असलेली विकसित अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करून विकासाचा प्रवहात समाविष्ट झालेली आहे. परंतु आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची वास्तविकता पहिली तर तुलनात्मक दृष्ट्या विकसित देशाच्या तुलनेत भारताची अवस्था फार वाईट आहे. अशा परिस्थितीच्या काळात देशात आर्थिक विकासाचा प्रवाह गतिमान करण्यासाठी सरकारने मौद्रिक व वित्तीय धोरणात फारमोठा बदल करून विस्तारीत केला आहे. या बदललेल्या धोरणाचा लाभ भारतातील मोळ्या मोजक्याच उद्योगपतिनी घेतलेला दिसून येतो. अशा प्रकारच्या प्रक्रियेतूनच देशात मोळ्या प्रमाणात काळा पैसा निर्माण होत आहे.

(९) राजकीय संतेची नशा

पंचाहत्तर वर्षांपूर्वी भारतात प्रजासत्ताक स्थापन होऊन सांसदीय लोकशाही अस्तित्वात आली. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकांनी जनतेवर राज्य करणे म्हणजे प्रजेचे राज्य होय. अशा प्रकारची संकल्पना प्रजासत्ताक राज्य पद्धतीत असते. परंतु सध्या अस्तित्वात येत असलेले सरकार सर्वांचे की सर्वात मोळ्या असलेल्या अल्पमतांचे? विरोधी बाकावर असलेल्या सत्तर टक्के मूल्यांपेक्षा अल्पमतात असलेले प्रजासत्ताक सरकार राज्य चालवत असतात. अशा प्रकारची राजकीय सत्ता मंत्रालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयातच अडकलेली असते. अशावेळी राजकीय नेते जनतेच्या हितापेक्षा स्वतःच्या हिताकडे जास्त लक्ष देतात. स्वतःचे हित कसे साध्य करता येईल या विषयी ठराव पारित करून मोळ्या प्रमाणात काळा निर्माण करतात.

समांतर अर्थव्यवस्थेत निर्माण होणारे परिणाम.

(१) बाजारपेठेत भांडवलदाराचे वर्चस्व.

नवीन आर्थिक धोरणाचा परिणाम म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाही सदृश्य अर्थव्यवस्था निर्माण होत आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या बाजारपेठेत किंमत यंत्रांप्रभावीपणे कार्यरत असून मोळ्या प्रमाणात ग्रहाकांची लूट करून वाजवीपेक्षा महत्तम नफा उद्योजक वर्गाना प्राप्त होत आहे. या प्रक्रियेतून भांडवलांचे केंद्रीकरण होऊन बाजारपेठेत भांडवलदाराचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. परिणामतः श्रीमंत व गरीब असे दोन वर्ग निर्माण होण्यास परिस्थिती तयार होत आहे.

(२) कामगारांची पिलवणूक.

नवीन आर्थिक धोरणात भारतीय अर्थव्यवस्थेत खाजगीकरण व उदारीकरण या दोन घटकाला महत्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांत चालत असलेल्या उद्योगाचे भाग भांडवल सुध्दा खाजगी उद्योजकाना विकण्यात आले. एकंदरीत सार्वजनिक क्षेत्रातील काही महत्वाच्या उद्योगाचा अपवाद वगळल्यास इतर सर्व क्षेत्रांत खाजगी क्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले. खाजगी क्षेत्र म्हणजे भांडवलशाहीच्या विकासाचे क्षेत्र होय हे वास्तव सत्य आहे. ज्या क्षेत्रात भांडवलशाहीचा विकास होतो त्या क्षेत्रात कामगारांच्या हिताचे कोणीही विचार करू शकत नाही. त्यांचे वेतन, रोजगारांची हमी, सुटीचे दिवस व आरोग्य इत्यादी बाबतीत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांची पिलवणूक केली जाते. परिणामतः अर्थव्यवस्थेत आर्थिक विषमता वाढून श्रीमंत व गरीब असे दोन वर्ग निर्माण होण्यास चालना मिळते.

(३) मौद्रीक व वित्तीय धोरणास अपयश.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत नेहमीच तेजी व मंदीचे चक्र प्रत्यास येत असतात. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदी प्रत्यास असते अशावेळी सरकार आपल्या प्रभावी वित्तीय धोरणाच्या सहयाने अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी वित्तीय धोरणाच्या सहायाने विविध क्षेत्रांत कामगाराना नवीन रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून, आर्थिक विकासाला चालना दिली जाते. तर तेजीच्या काळात चलनवाढीवर नियंत्रण घालण्यासाठी रिजर्व्ह बँकेकडून रेपोदर, व्याजदर व प्रमाणवध ठेवी इत्यादी घटकाच्या माध्यमातून मौद्रीक धोरणावर निर्बंध टाकून चलनवाढ नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु ज्या अर्थव्यवस्थेत समांतर अर्थव्यवस्था प्रभावी असते त्या अर्थव्यवस्थेत मौद्रीक व वित्तीय धोरण हे अपयशी ठरतात.

(४) एकादीकारशाहीचा उदय.

नवीन आर्थिक धोरणात भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून देशाचा सर्वांगीन आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. म्हणून बहुतांश क्षेत्रात खाजगीकरणाचे वारे वाहत असून परिणत: अर्थव्यवस्थेत भांडवलांचे केंद्रीकरण होण्यास प्रोत्साहणच मिळालेले आहे. परिणामतः अर्थव्यवस्थेत अशाच प्रकारच्या धोरणाची पुनर्वृती करत गेल्यास अर्थव्यवस्थेत

एकादीकारशाहीचा उदय होऊन मोठ्या प्रमाणात लोकांची पिलवणूक होण्याची शक्यता असते.

(५) कल्याणकारी धोरणांचा अपव्यय.

भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वास अनुसरून देशातील राज्य सरकारनी कल्याणकारी धोरणाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक इत्यादी क्षेत्रात दुर्लक्षित झालेल्या समाजाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना सुरु करण्यात आल्या. परंतु देशात वाढती चलनवाढ व यांत्रिकीकरण यांच्या प्रभावाने देशात आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकावर सरकारच्या कल्याणकारी धोरणाचा परिणाम होत असलेला दिसून येत नाही.

(६) पैशाचे मूल्य कमी होते.

ज्या अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाहीचा विकास होत असतो त्या अर्थव्यवस्थेत एकादीकारशक्ती व किंमतयंत्रणा प्रभावीपणे कार्य करित असते. अशा अर्थव्यवस्थेत वस्तु व सेवांची वाढत असलेली मागणी परिणामतः बाजारपेटेलील वाढत्या किंमती यामुळे देशात चलनवाढ होऊन बाजारपेटेत पैशाचे मूल्य कमी होत असते.

(७) समाजात सामाजिक व धार्मिक मूल्ये जोपासले जात नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास जगातील इतर विकासनशील देशाच्या तुलनेत बऱ्यापैकी होत आहे, परंतु जगातील इतर भांडवलशाही सदृश्य देशातील अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाहीच्या विकासातून श्रीमंत व गरीब असे दोनवर्ग निर्माण झाले आहेत. तेथील सामाजिक व धार्मिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास तेथे सामाजिक व धार्मिक तत्वाला समाजात कसल्याही प्रकारचे स्थान प्राप्त झालेले नाही. अशाच प्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्थेत भांडवलशाहीचा विकास होऊन देशात श्रीमंत व गरीब असे दोनवर्ग निर्माण होतील व समाजात सामाजिक व धार्मिक मूल्याला कसल्याही प्रकारचे मूल्य प्राप्त होणार नाही.

(८) वर्ग संघर्ष निर्माण होतो.

भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या विकासावरोबरच अर्थव्यवस्थेत दोन वर्ग निर्माण होतात, एक भांडवलदार व दूसरा कामगार या दोन वर्गांचा संघर्ष समाजात अनिवार्य असतो. कारण भांडवलदार वर्गांकडून भांडवलशाहीच्या विकासाकरिता बाजारपेटेलील वस्तु व सेवांच्या किंमत

निर्णय प्रक्रियेवर आपला प्रभाव ठेऊन ग्राहक वर्गाची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जाते. या प्रक्रियेतून श्रीमंत श्रीमंतच होतो तर गरीब गरीबच होतो. कामगार वर्ग आपल्या न्याय हळासाठी संघटित होऊन भांडवलदाराच्या विरोधात सामूहिक संप, मोर्चे, बहिष्कार व कामगार कायद्याच्या विरोधात निषेद नोंदवून भांडवलदाराच्या विरोधात संघर्ष करतात.

निष्कर्ष

भांडवलशाहीच्या विकासातूनच अर्थव्यवस्थेचा विकास होत असतो, हे वास्तव सत्य विकसित देशानी जगाला दाखवून दिले आहे. परंतु भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या बाजारपेटेत बेकायदेशीरपणे चालणारे व्यवसाय, उद्योग व व्यापार यातून भांडवलदारानी मिळवलेला महत्तम नफा यांचा परिणाम असा होतो की, संपतीचे केंद्रीकरण होऊन सरकारनी कार्याचित केलेल्या नवीन मौद्रीक व वित्तीय धोरणाचा प्रभाव दिसून येत नाही. तसेच अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ, वेरोजगारी, दारिद्र्य व आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन समाजात सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक इत्यादी क्षेत्रात विषमता निर्माण होईल देशातील सामान्य लोकाना न्याय मिळणार नाही. श्रीमंत व गरीब असा वर्गसंघर्ष तयार होऊन समाजात भांडवलशाहीच्या विरोधात असंतोष निर्माण होईल. परिणामतः देशात भांडवलशाहीच्या अस्थितवाचा प्रश्न निर्माण होईल. म्हणून भांडवलशाहीच्या बाजारपेटेत मुक्तपणे चालणारे व्यवसाय, उद्योग, व्यापार व इतर घटकावर वेळेत निर्बंध घालून समाजातील सर्व घटकांना अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रवाहात समावीष होतील अशाप्रकरचे धोरणे सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात राबवून सर्वांना न्याय मिळवून द्यावे म्हणजे सर्वांचा विकास होईल.

संदर्भ ग्रंथ

- १ . भारतीय अर्थव्यवस्था लेखक- प्रा. डॉ. राजेंद्र रसाळ
- २ . कृषि अर्थशास्त्र -लेखक. प्रा. डॉ. देसाई भालेराव
- ३ . दैनिक लोकमत- २६ . जानेवारी -२०२२
- ४ . दैनिक लोकमत- २७ , फेब्रुवारी -२०२२
५. <https://www.nepjol.info,EJDI>,
६. www.gathacognition.com



भारत में खाद्य सुरक्षा: एक अध्ययन

रघुबर प्रसाद सिंह¹ साधी सिंह²

¹शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

²छात्रा, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

Corresponding Author- रघुबर प्रसाद सिंह

Email- rraji4@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7520295

सारांश:-

खाद्य सुरक्षा स्वाभाविक रूप से अप्राप्य है और इसे परिभाषित करना कठिन है, लेकिन यह आंतरिक और साधन दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भोजन द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पोषक तत्वों की शारीरिक आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन प्रदर्शन और कल्याण में एक महत्वपूर्ण इनपुट है। इसलिए कई विकास कार्यक्रमों, परियोजनाओं और नीतियों में खाद्य सुरक्षा उद्देश्य शामिल हैं। शारीरिक आवश्यकता के अलावा भोजन आनंद का स्रोत भी है। चूँकि भोजन के लिए जैविक ज़रूरतें और भोजन से मानसिक संतुष्टि दोनों आवादी के बीच स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं, इसलिए खाद्य सुरक्षा के सटीक, संचालन योग्य उपायों को निर्धारित करना मुश्किल है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में केवल वर्तमान पोषण की स्थिति से अधिक शामिल है; इसमें पर्याप्त और उचित भोजन तक किसी की पहुंच में भविष्य के व्यवधानों की भेद्यता भी शामिल है। खाद्य सुरक्षा का यह दूरदर्शी, अनिश्चितता आधारित आयाम अवधारणा में और जटिलता जोड़ता है।

मुख्य शब्द:- खाद्य सुरक्षा, सरकारी उपाय, नवाचार, जैव-नैनो प्रौद्योगिकी।

परिचय:-

खाद्य सुरक्षा, सामान्य रूप से, वैश्विक आर्थिक और पर्यावरणीय घटनाओं से तेजी से प्रभावित होती है। इसके अंतर्गत भोजन की कमी के कारण खाद्य कीमतें प्रभावित होती हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती हैं और मानवीय संकटों को बढ़ा सकती हैं। इस संदर्भ में, 1996 में आयोजित विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में विश्व खाद्य सुरक्षा पर रोम घोषणा द्वारा दी गई खाद्य सुरक्षा की परिभाषा का अध्ययन करना बेहतर है। यहां, शोधकर्ता खाद्य सुरक्षा के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर समझना चाहते थे। रोम घोषणा के अनुसार परिभाषा है: "खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है जब सभी लोगों को, हर समय, सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो।"

अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसी दिशा-निर्देश पर भारत की पहलों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के ठोस प्रयासों से लेकर मूल्य स्थिरीकरण के उद्देश्य से दूरगामी बाजार हस्तक्षेप शामिल

हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण और आय-सूजन योजनाओं के माध्यम से गरीबों की भोजन तक पहुंच में सुधार के उपाय किए गए हैं। भारत की वैश्विक स्थिति के संदर्भ में, आर्थिक मंदी के दौरान कृषि में कम निवेश की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जब निजी और सार्वजनिक दोनों बजट सिकुड़ते हैं, तो निवेश में काफी हद तक कटौती होती है। कृषि सहित सभी क्षेत्रों में अन्य व्यय की तुलना में लगातार खाद्य और आर्थिक संकटों के बोझ से निपटने की कोशिश में, जैव-नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ प्रगति खाद्य सुरक्षा में मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। जैव प्रौद्योगिकी कृषि को आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के युग से परमाणु रूप से संशोधित जीवों की बहादुर नई दुनिया में ले जाएगी।

"खाद्य सुरक्षा" के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण मानव के लिए दिव्य और नैतिकता के रूप में है! यह इसलिए है क्योंकि हम सभी ईश्वर में विश्वास करते हैं और सभी, यहां तक कि अर्थव्यवस्था भी स्वीकार करते हैं कि भूमि से उत्पन्न भोजन "एक भगवान है।" इसलिए, जब भी भोजन का मुद्दा चर्चा में आता है तो व्यावसायिक दृष्टिकोण के अलावा चर्चा करने के लिए हमेशा एक नैतिक पक्ष होता है।

आकस्मिकताओं का विश्लेषण डब्ल्यू. आर. टी. भारत की जनसंख्या की तुलना में खाद्य उत्पादन और इस आवादी के लिए भोजन की उपलब्धता के साथ-साथ खाद्य भंडार तक पहुंच और इसका रखरखाव यानी, इसके पोषण मूल्य को संरक्षित करने के लिए। साथ ही, हम "खाद्य के साथ-साथ उसकी सुरक्षा" के मुद्दे पर भी पाठक का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जिसे एक वैश्विक मुद्दा भी माना जाना चाहिए। एक ऐसे मामले पर विचार करें जहाँ किसी विशेष देश में भोजन का उत्पादन कम है; आम तौर पर, दरों को अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। साथ ही, यह उन राष्ट्रों के लिए एक अवसर पैदा करता है जहाँ भोजन का उत्पादन अधिक होता है; यहाँ दरें गिर जाती हैं, जिससे उत्पादकों, यानी किसानों को खतरा होता है। यह स्थिति अस्थिरता के साथ-साथ वाणिज्यिक लेनदेन की शुरुआत की ओर ले जाती है।

शब्द "खाद्य सुरक्षा" में वास्तविक खाद्य सुरक्षा को भी संदर्भित करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। खाद्य सुरक्षा की परिभाषा पर विचार करें:

1974 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में, खाद्य सुरक्षा को "खाद्य उपभोग के निरंतर विस्तार को बनाए रखने और उत्पादन और कीमतों में उतार-चढ़ाव को ऑफसेट करने के लिए बुनियादी खाद्य पदार्थों की पर्याप्ति विश्व खाद्य आपूर्ति की हर समय उपलब्धता" के रूप में परिभाषित किया गया था।

1983 में, एफएओ ने कहा कि यह "यह सुनिश्चित कर रहा था कि सभी लोगों को हर समय बुनियादी भोजन की भौतिक और आर्थिक दोनों तरह से पहुंच हो, जिसकी उन्हें आवश्यकता है।" 1986 में, विश्व बैंक ने कहा कि "हर किसी को एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर समय पर्याप्त भोजन की पहुंच होनी चाहिए।"

1996 में, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया, "खाद्य सुरक्षा मौजूद है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्ति, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए पर्याप्ति, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच होती है और एक सक्रिय व्यक्ति के लिए भोजन की प्राथमिकताएं होती हैं। और स्वस्थ जीवन शैली।"

2002 में फिर से, खाद्य सुरक्षा पर एफएओ विशेषज्ञ परामर्श ने खाद्य सुरक्षा की एक कार्यशील परिभाषा दी, "खाद्य सुरक्षा तब मौजूद होती है जब सभी लोगों के पास हर समय पर्याप्ति, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच होती है जो उनकी जरूरतों को

पूरा करता है। एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आहार की ज़रूरतें और भोजन की प्राथमिकताएँ।"

तब से, विश्व बैंक, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा कई परिभाषाएँ प्रदान की गई हैं। सामान्य तौर पर, खाद्य सुरक्षा को "खाद्य उत्पादन और खाद्य उपलब्धता के साथ-साथ भोजन तक आर्थिक पहुंच" के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए केवल खाद्य उपलब्धता से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती; भोजन तक पहुंच समान रूप से महत्वपूर्ण है।

एफएओ की एक रिपोर्ट, अगस्त 2008, निम्नलिखित चार प्रमुख पहलुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को परिभाषित करती है:

- **खाद्य उपलब्धता:** घरेलू उत्पादन, शुद्ध आयात (वाणिज्यिक या खाद्य सहायता), और स्टॉक के कैरीओवर के माध्यम से देश के लिए भोजन की पर्याप्ति उपलब्धता
 - **खाद्य पहुंच:** व्यक्तियों की भोजन खरीदने की क्षमता और सुरक्षा जाल या उपलब्धता के माध्यम से भोजन प्राप्त करने में सक्षम होना
 - **खाद्य उपयोगिता:** घर में भोजन की उचित खपत। यह भोजन की तैयारी, भंडारण और उपयोग, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और आहार संतुलन को भी ध्यान में रखता है।
 - **खाद्य भेद्यता:** शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, या राजनीतिक कारकों के कारण खाद्य असुरक्षा के प्रति जनसंख्या की भेद्यता।
- अब हम खाद्य सुरक्षा की चिंता को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उससे जुड़ी वास्तविकताओं से समझने की स्थिति में हैं। खाद्य सुरक्षा का मामला भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शेष विश्व के लिए। भारत में पहली हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। यह उच्च उपज वाले बीज, उर्वरकों के व्यापक उपयोग, भूमि सुधार और सिंचाई योजनाओं का संयुक्त प्रयास था जिसके परिणामस्वरूप यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। यद्यपि यह एक दिन में लगभग 2,200 कैलोरी खाने के लिए पर्याप्त था, पिछले दस वर्षों में खाद्य उत्पादन में केवल 15 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

वर्तमान में, भारत खुद को एक विरोधाभासी स्थिति के बीच में पाता है: बढ़ते खाद्यान्न भंडार के साथ-साथ स्थानिक सामूहिक भुखमरी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक आवश्यकता की

तुलना में सरकार के पास उपलब्ध खाद्य स्टॉक 62 मिलियन मीट्रिक टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। फिर भी, अनुमानित 200 मिलियन लोग अल्पपोषित, और 50 मिलियन भुखमरी के कगार पर हैं, जिसके परिणामस्वरूप भुखमरी से मौतें होती हैं। विरोधाभास मौजूदा नीति और कार्यान्वयन बाधाओं में अंतर्निहित खामियों में निहित है। इस विरोधाभासी स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चलता है कि खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को "खाद्य असुरक्षा" के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए और यह भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट है। देश के ग्रामीण और शहरी भागों के संबंध में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। एम.एस.स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने शहरी भारत में खाद्य असुरक्षा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रोजगार हासिल करने और सुविधाओं तक पहुंच के मामले में परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली कमी छोटे शहरों में सबसे बड़ी है। शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीबों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के लिए इस खोज के महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ हैं।

सरकारी उपाय:

दुनिया भर के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को धीमा और पीछे हटते हुए देख रहे हैं। कोई भी राष्ट्र प्रतिरक्षा नहीं है, और, हमेशा की तरह, यह सबसे गरीब देश हैं और सबसे गरीब लोग, जो सबसे अधिक पीड़ित हैं। आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप, द स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन द वर्ल्ड के इस संस्करण में रिपोर्ट किए गए अनुमान बताते हैं कि, 1970 के बाद पहली बार, एक अरब से अधिक लोग पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 100 मिलियन अधिक और लगभग एक छठा पूरी मानवता दुनिया भर में भूखी और कुपोषित है। मौजूदा संकट ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व है, जिसमें कई कारक इसे खाद्य असुरक्षा के जोखिम वाले लोगों के लिए हानिकारक बना रहे हैं। इससे नाजुक स्थिति पैदा होगी। इसे समझने के लिए कुछ कारकों पर विचार करना होगा।

सबसे पहले, यह एक खाद्य संकट के साथ ओवरलैप होता है जिसने बुनियादी स्टेपल की कीमतों को लाखों गरीब लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया। कीमतों में वृद्धि ने कई गरीब परिवारों को संपत्ति बेचने या स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, या भोजन का त्याग करने के लिए मजबूर कर दिया था। अपने संसाधनों को ब्रेकिंग पॉइंट तक बढ़ाए जाने के कारण, उन परिवारों को आर्थिक तूफान से बाहर निकलने में मुश्किल होगी।

खाद्य सुरक्षा की दिशा में नवाचार:-

कृषि में प्रगति हासिल करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार प्रमुख कारक रहे हैं। पादप प्रजनन प्रयासों, कृषि संबंधी प्रथाओं में सुधार के साथ मिलकर हमें पर्याप्त स्तर की खाद्य आपूर्ति प्रदान करने के मामले में जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल रखने की अनुमति दी है। फिर भी, कृषि को कई मोर्चों पर जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और स्थायी कृषि प्रगति के लिए जैव प्रौद्योगिकी के साथ सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। स्थिर खाद्यान्न उत्पादन और बढ़ती आबादी की बढ़ती खपत जरूरतों को देखते हुए, भारत सरकार ने एक केंद्र प्रायोजित योजना, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" शुरू की। इसका प्रमुख उद्देश्य गेहूं, चावल और दालों की उत्पादकता को स्थायी आधार पर बढ़ाना था ताकि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 2021-22 तक, एनएफएसएम से चावल के उत्पादन में 25 मिलियन मीट्रिक टन, गेहूं के उत्पादन में आठ मिलियन मीट्रिक टन और दलहन के उत्पादन में दो मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होने की भी उम्मीद है। केवल तीन फसलों (चावल, गेहूं और दाल) की उत्पादकता में सुधार के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करना हमारे सामने एक चुनौती है। उत्पादकता में सुधार के लिए मौजूदा और नई तकनीक का उपयोग और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा, जो इनपुट लागत, संसाधन उपलब्धता (मृदा स्वास्थ्य और पानी), पर्यावरणीय कारकों, बाजार मूल्य और अन्य पर निर्भर हैं।

निष्कर्ष:-

खाद्य सुरक्षा की समस्या आर्थिक स्थिरता, मानव कल्याण और सभी जीवित चीजों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर प्रतीत होती है। इसके लिए तीन गतिविधियों की आवश्यकता होती है- सुरक्षित आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और बेहतर जैव प्रौद्योगिकीय बीजों और कीटनाशकों का उपयोग, जल संसाधनों के कम उपयोग के साथ बंजर भूमि का खेती में पुनर्वास भारत में प्राथमिक स्रोत के रूप में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों के उपयोग की अनुमति देता है क्योंकि पानी के उपयोग के लिए अधिक दबाव मानव के लिए सामुदायिक आपूर्ति से आता है (उत्पादन गतिविधियों की कीमत पर भी), सरकार की मदद से द्विपक्षीय नीतियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की तैनाती, वित्त की उपलब्धता, और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार बंद की रणनीतिक योजना के माध्यम से बढ़ती आय नीतियों का उपयोग।

सन्दर्भ सूची:-

1. बेनामी (2009), कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा।
2. बीएस रिपोर्टर (2009): भारत में उच्च खाद्य सुरक्षा जोखिम: वैश्विक एजेंसी <http://www.business-standard.com/india/economy>
3. चक्रवर्ती, दंड (2006), "भारत में खाद्य असुरक्षा: कारण और आयाम।" भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, अनुसंधान और प्रकाशन विभाग <http://www.iimahd.ernet.in/publications/data/2005-04-01sujoy.pdf>
4. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2008-09 (भारत सरकार).
5. संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (2009) सांख्यिकी प्रभाग। <http://faostat.fao.org/default.aspx>
6. संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के खाद्य और कृषि संगठन (2009) विश्व आर्थिक संकट में खाद्य असुरक्षा की स्थिति: प्रभाव

- | और | सीखे | गए | सबक, |
|-----|--|----|------|
| | http://www.fao.org/catalog/inter-e.htm | | |
| 7. | गोयल, पी. (2002). भारत में खाद्य सुरक्षा, द हिंदू। | | |
| 8. | http://www.hinduonnet.com | | |
| 9. | http://www.foodsecuritynews.com/ | | |
| 10. | http://www.mssrf.org | | |
| 11. | इयान्स, 2008, "बायो-नैनोटेक्नोलॉजी भारत की खाद्य सुरक्षा में मदद करेगी," http://www.siliconindia.com/news | | |
| 12. | जेमी काज़ोर (2008), "भारत में खाद्य असुरक्षा। | | |
| 13. | कुम्भार वी. (2009): भारत में खाद्य असुरक्षा: प्राकृतिक या कृत्रिम? यूआरएल: http://www.indianba.com/Faculty_Column/F_C1075/fc1075.html | | |
| 14. | लिस्टन, बी। (2008)। नैनो-खाद्य पदार्थ: अगला उपभोक्ता डर? | | |
| | http://www.islamonline.net/Templates/English/HealthScience.htm | | |



**सोलापूर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय विहिरीद्वारे होणाऱ्या जलसिंचित क्षेत्राचा भौगोलिक अभ्यास
(सन 2010-11)**

डॉ. लोंदे सी. बी.

सहा. प्राध्यापक शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज
तालुका- माळशिरस जिल्हा- सोलापूर

Corresponding Author- डॉ. लोंदे सी. बी.

DOI- 10.5281/zenodo.7558349

सोलापूर जिल्ह्याची ओळख:-

सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण लागवड योग्य क्षेत्रफलापैकी 83 टक्के इतक्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष शेती हा व्यवसाय केला जातो उर्वरित 17 टक्के क्षेत्रफली काय यावरून सोलापूर जिल्हा हा कृषीप्रधान जिल्हा म्हणूनच ओळखला जातो मात्र या जिल्ह्याचे भौगोलिक स्थान विचारात घेता हा जिल्हा पर्जन्याद्यायेच्या प्रदेशात येतो पाण्याचा योग्य व नियोजनबद्ध वापर करून जलसिंचनामार्फत 24 टक्के बागायती शेती केली जाते व उर्वरित 76 टक्के क्षेत्रात कोरडवाहू शेती केली जाते म्हणजेच केवळ 24 टक्के क्षेत्रातच उत्पन्नाची हमी आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील एकूण सात मध्यम प्रकल्पातून त्यातील दोन प्रकल्प जिल्ह्याबाहेरील आहेत. या सात प्रकल्पापासून जिल्ह्यातील २८५९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात मध्यम प्रकल्पापासून सर्वात जास्त सिंचन क्षेत्र बुद्धिहाळ या प्रकल्प पासून सांगोला तालुक्यात 6875 हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. तर सर्वात कमी सिंचन क्षेत्र आष्टी मध्यम प्रकल्पापासून मोहोळ तालुक्यात 1313 हे. एवढे असल्याचे दिसून येते.

स्थान व विस्तार


महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर जिल्हा क्षेत्रफल व लोकसंख्या या दृष्टिकोनातून एक महत्वाचा जिल्हा मानला जातो. या जिल्ह्यातून भीमा सीना व माण इत्यादी प्रमुख नद्या वाहतात. या सर्व नद्या कृष्णा नदीच्या उपनद्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्याचा विस्तार $17^{\circ} 10'$ उत्तर अक्षांश ते $18^{\circ} 32'$ उत्तर अक्षांश आणि $74^{\circ} 42'$ पूर्व रेखांश ते $76^{\circ} 15'$ पूर्व रेखांश आहे.

(नकाशा क्रमांक 1.) सोलापूर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 4315527 (2011) असून प्रशासकीय दृष्ट्या सोलापूर जिल्हा 11 तालुक्यामध्ये विभागला आहे. त्यात करमाळा, बाशी, माढा, माळशिरस, आहे.

मोहोळ, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेडा, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर व उत्तर सोलापूर या तालुक्यांचा समावेश होतो.

उद्दिष्टे:-

1. सोलापूर जिल्ह्यातील जलसिंचन क्षेत्राचा अभ्यास करणे.
2. जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांची माहिती घेणे.
3. जिल्ह्यातील विहिरीद्वारे ओलिताखाली आलेल्या क्षेत्राचा अभ्यास करणे.
4. जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी उपाय योजना आखणे




अक्र	तालुके	वापरात असलेल्या सिंचन विहिरींची संख्या	वापरात नसलेल्या सिंचन विहिरींची संख्या	एकूण विहिरींची संख्या
1	द.सोलापूर	3726 (92.61)	297 (7.38)	4023 (100)
2	बार्डी	7002 (90.02)	776 (9.97)	7778 (100)
3	अळकलकोट	9170 (97.26)	258 (2.73)	9428 (100)
4	दक्षिण सोलापूर	5875 (76.25)	1826 (23.71)	7701 (100)
5	मोहोळ	5820 (96.05)	239 (3.94)	6059 (100)
6	मंगळवेढा	6458 (93.87)	421 (6.12)	6879 (100)
7	पंढरपूर	12220 (90.52)	1279 (9.47)	13491 (100)
8	सांगोला	8510 (93.98)	545 (6.01)	9055 (100)
9	माळशिरस	8302 (96.43)	304 (3.53)	8606 (100)
10	करमाळा	3901 (81.93)	860 (18.6)	4761 (100)
11	माढा	6566 (96.09)	267 (3.90)	6833 (100)
	एकूण	77550 (91.64)	7072 (8.35)	84622 (100)

स्रोत:- जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन सन 2010-11

सन 2010 -11 या वर्षात जिल्ह्यातील एकूण 84622 विहिरींपैकी वापरात असलेल्या सिंचन विहिरींची संख्या 7750 (91.64 टक्के) असून वापरात नसलेल्या सिंचन विहिरींची संख्या ही 7072 (8.32टक्के) एवढी असल्याचे दिसून आले (तक्ता क्रमांक 1) जिल्ह्यात वापर असलेल्या सिंचन विहिरींची सर्वात जास्त संख्या पंदरपूर तालुक्यात 12220 एवढे आहे तर वापरात नसलेल्या सर्वात कमी विहिरींची संख्या उत्तर सोलापूर तालुक्यात 3726 एवढी असल्याचे दिसून येते. उर्वरित अक्कलकोट तालुक्यातील 9170, सांगोला 8510, माळशिरस 8302, बार्फी 7002, माढा 6566, मंगळवेढा 6458, दक्षिण सोलापूर 5775, मोहोल 5820 आणि करमाळा तालुक्यात 3901 विहिरी वापरात असल्याचे दिसून येते (तक्ता क्रमांक 1) वापरात नसलेल्या विहिरींचा अभ्यास केला असता जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या विहिरींची एकूण संख्या 7072 एवढ्या असून वापरात नसलेल्या विहिरींची सर्वात जास्त संख्या द.सोलापूर तालुक्यात 1826 एवढी आढळते

कारण द. सोलापूर तालुक्यात मोठ्या व मध्यम प्रकल्पापासून भिजणारे क्षेत्र कमी असल्याने त्या प्रदेशातील भूमिकेत पाण्याची पातळी खालावते. त्यामुळे या तालुक्यातील विहिरी ह्या उन्हाळ्यात कोरड्या पडतात तर मोहोल तालुक्यात प्रकारच्या विहिरींची संख्या सर्वात कमी 239 एवढी आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये हेच प्रमाण कमी अधिक असल्याचे पहावयास मिळते. पंदरपूर 1279, करमाळा 860, बार्फी 776, सांगोला 545, मंगळवेढा 421, माळशिरस 3004, सोलापूर 297, माढा 267 आणि अक्कलकोट तालुक्यात 258 विहिरींची संख्या आढळून येते. यावरून असे दिसून येते की अभ्यास क्षेत्रात सन 2010 -11 साली जिल्ह्यातील एकूण विहिरींची संख्या ही 84622 एवढी होती. त्यापैकी 77550 विहिरी वापरात होत्या तर 7072 विहिरी या वापरात नसलेल्या पाहावयास मिळतात.



दुष्काळ

निवारण्यासाठी

शाश्वत

उपायोजना:-

1. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम
2. पाझर तलाव व सिमेंट बंधारे बांधणे व पुनर्जीवित करणे

संदर्भ ग्रंथ

1. Dr. Londe C. B, Mane S. P. (2015), “Environmental Distributional Analysis of Indian Forestry” Manas Publication and Distribution Jaipur, ISBN 978-93-83231-31-7.Pp.26-29
2. Dr. A. M Kamble, A. P. Waghmode & S. P. Mane (2019) “A Study of Socio-Economic Status And its Impact on Wrestling Player’s Performance in Solapur University (MS) India” Review of Research, ISSN: 2249-894X, Pp-1-8.
3. DR. Ashok M Kamble, Prof. Dadasaheb A. Kokate & Santosh P. Mane (2020), "Wrestling & Judo Best Practices of Physical Education In Sameer Gandhi Kala Mahavidyalaya, Malshiras (MS)", OUR HERITAGE (UGC Care Journal), Vol-68, Special Issue-50, ISSN-0474-9030.
4. Dr. Banduke D. K. & Santosh P. Mane (2019) “Rice Productivity in Satara District: A Geographical Analysis.” Research Journey Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452(2015),(GIF)-0.676 (2013) Special Issue 144, Pp-159-165.
5. Dr. Caroline David & Santosh P. Mane (2020), "COVID 19 and students," Aayushi International Interdisciplinary Research Journal, ISSN 2349-638x Impact Factor 6.293, Special Issue No.80
6. Dr. D. C. Kamble and Mr. Santosh P. Mane (2018) “A Study of Irrigation Intensity of Different Sources in Malshiras Tahsil.” Research Journey, Research Journey, ISSN: 2348-7143 Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013) Special Issue 144, Pp-28-36.
7. Dr. D. C. Kamble and Mr. Santosh P. Mane (2018) “Irrigation Pattern In Malshiras Tahsil Of Solapur District: A Geographical Analysis.”

3. नदी जोड नालेजोड प्रकल्प ओढा व नाल्यावरती सिमेंट बंधाच्यांची साखळी निर्माण करणे. 4. विहिरींचे पुनर्भरण करणे.

Review of Research ISSN2249-894X, impact factor: 5.2331(UIF), Volume, Issue-9 Pp-74-77.

8. Dr. D. C. Kamble and Mr. Santosh P. Mane (2018), “Agriculture Productivity in Malshiras: A Geographical Analysis,” Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (ISSN 2349-638x) Impact Factor 4.574, Volume 2, Issue-9 Pp-658-662.
9. Dr. D. H. Bhojane, **Santosh P. Mane** (2020), “Satisfaction Of Irrigated And Non-Irrigated Farmers”, Research Journey, Impact Factor - (SJIF) – 6.261, (CIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013) Special Issue 236(C), Pp-142-147
10. Dr. Dhanesh N. Ligade & Santosh P. Mane (2020), "Transformation of Food Crops Into Cash Crops: A Case Of Solapur District:, Aayushi International Interdisciplinary Research Journal, ISSN 2349-638x Impact Factor 6.293, Special Issue No.80
11. Dr. Rajaram Patil & Santosh P. Mane (2020), "Geographical Analysis of Agricultural Land Use Pattern of Kankavli Tahsil", Research Journey Pp-50-54, ISSN 2348-7143
12. Dr. Sukamal Maity & Santosh P. Mane (2020), “Assessment of Tasseled Cap transformation of Mumbai Urban Agglomeration, India,” Aayushi International Interdisciplinary Research Journal, ISSN 2349-638x Impact Factor 6.293, Special Issue No.80
13. Dr. Sukamal Maity, Dr. Girijesh Lal Srivastava & Santosh P. Mane (2020), "Comprehensive analysis of Land Surface Temperature with different indices using Landsat – 8 (OLI / TIRS) data in Kanpur Metropolis, India" "Akshar Wangmay" Special Issue, Volume-I "Multidisciplinary Perspectives on Health,

- Society, Environment & Sustainable Development" ISSN: 2229-4929, Pp-144-151
14. Dr. Vivekanand A. Ughade & Santosh P Mane (2020), "Digital Marketing - Social Media Surges Economic Growth: A Perspective", Aayushi International Interdisciplinary Research Journal, ISSN 2349-638x Impact Factor 6.293, Special Issue No.80
15. Krishna B. Patre, Dr. Sambhaji Shinde, Santosh P Mane (2020), "Spatial-Temporal Variation of Biogas in Kolhapur Distract," 'Akshar Wangmay' UGC Care Listed, International Research Journal, ISSN: 2229-4929, Special Issue, Volume-II "Multidisciplinary Perspectives on Health, Society, Environment & Sustainable Development" Pp-133-135.
16. Mane Santosh P. (2020) "Impact of Irrigation on Agriculture in Malshiras Tahsil of Solapur District (Ms): A Geographical Analysis" unpublished M.Phil. Dissertation submitted to Shivaji University, Kolhapur.
17. Prin. Dr. B.M. Bhanje, Dr. Dede Deepak Kashinath & Santosh P Mane (2020), "Women's Role in Indian Agriculture ", 'Akshar Wangmay'
- UGC Approved & Peer Reviewed International Research Journal. ISSN 2229-4929, Pp-28-31
18. Santosh P mane and Somnath B. Gaikwad (2019) "Agriculture Productivity Calculate Based on MG Kendall's Method in Malshiras Tahsil." Research Journey, ISSN: 2348-7143 impact factor: 3.261 (SJIF), Issue-114, Pp-145-151.
19. Sitanshu Sekhar Patra, P. Suneetha, Sandeep Rout, and Santosh P Mane (2020), "Assessment of Soil fertility Status during Kharif Rice in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India, "Akshar Wangmay" UGC Care Listed, International Research Journal, ISSN: 2229-4929, Special Issue, Volume-III "Multidisciplinary Perspectives on Health, Society, Environment & Sustainable Development" Pp-4-8
20. Somnath B Gaikwad, Santosh P Mane & Dashrath K Banduke (2019) "Crop Combination Calculate on Weaver's Method in Malshiras Tahsil." Research Journey, ISSN: 2348-7143, Impact Factor- (SJIF) 6.261, Special Issue 144 (A) Pp-145-151

Chief Editor
P. R. Talekar

Secretary,

Young Researcher Association, Kolhapur(M.S), India

Editorial & Advisory Board

Dr. S. D. Shinde

Dr. M. B. Potdar

Dr. P. K. Pandey

Dr. L. R. Rathod

Mr. V. P. Dhulap

Dr. A. G. Koppad

Dr. S. B. Abhang

Dr. S. P. Mali

Dr. G. B. Kalyanshetti

Dr. M. H. Lohgaonkar

Dr. R. D. Bodare

Dr. D. T. Bornare